



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण ।

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 161]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 11, 2016/फाल्गुन 21, 1937

No. 161]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 11, 2016/ PHALGUNA 21, 1937

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय****अधिसूचना**

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2016

**सा. का. नि. 294(अ).** —केंद्रीय सरकार, खादी और ग्रामोद्योग अधिनियम, 1956 की धारा 14 और धारा 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और पूर्ववर्ती उद्योग मंत्रालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, समूह 'क' और समूह 'ख' पदों के भर्ती नियमावली, 1998 का अधिक्रमण करते हुए इस प्रकार के अधिक्रमण से पूर्व की गयी बातों अथवा विलोपित की जाने वाली बातों के सिवाय, एतद्वारा खादी और ग्रामोद्योग आयोग (जिसे इसमें इसके पश्चात् आयोग कहा गया है) में समूह 'क', 'ख' और 'ग' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.** —(1) इन नियमों को खादी और ग्रामोद्योग आयोग समूह 'क', 'ख' और 'ग' पद भर्ती नियमावली, 2016 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. लागू होना.** —ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

**3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और पे-बैंड, ग्रेड-पे अथवा वेतनमान.** —उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संबद्ध पे-बैंड, ग्रेड-पे अथवा वेतनमान वे होंगे, जो अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट होंगे।

**4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएँ.** —उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएँ और उनसे संबंधित अन्य बातें उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट होंगी।

**5. आरंभिक गठन.** —(1) खादी और ग्रामोद्योग आयोग की नियमित स्थापना में कार्यरत समूह 'क', 'ख' और 'ग' अधिकारी और कर्मचारी अर्थात् संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, निदेशक, उप निदेशक, सिविल इंजीनियर, वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी, सहायक निदेशक, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, लेखा अधिकारी, अनुसंधान अधिकारी, वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक, अर्थ अधिकारी, हिन्दी अधिकारी, विधि अधिकारी, अधीक्षक, केयर टेकर, आशुलिपिक (चयन ग्रेड), आशुलिपिक-I, वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक, उप-संपादक, फोटोग्राफर, पुस्तकालय अध्यक्ष, मुद्रण प्रबन्धक, वरिष्ठ कलाकार,

व्याख्याता, लेखाकार, विकास अधिकारी, अर्थ अन्वेषक, विधि सहायक, कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक, कनिष्ठ उप-संपादक, कलाकार, सहायक व्याख्याता, लेखा परीक्षक-I, लेखा परीक्षक-II, सहायक विकास अधिकारी, प्रवर श्रेणी लिपिक, मुख्य रसोइया, आशुलिपिक-II, पर्यवेक्षक-II, पर्यवेक्षक-III, प्रबंधक, अवर श्रेणी लिपिक, चालक, रसोइया, पुस्तकालय सहायक, कारीगर, सहायक हलवाई, कूपन लिपिक, सहायक प्रबंधक, हलवाई, टी मेकर, बैरा, एमटीएस इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख को उन पदों के तत्स्थानी पदों पर सम्यक रूप से नियुक्ति किए गए समझे जाएंगे जिन्हें वे उस तारीख को नियमित आधार पर धारण कर रहे थे।

(2) प्रत्येक श्रेणी में ऐसे अधिकारियों की परस्पर वरिष्ठता जिन्हें आरंभिक गठन पर नियुक्त किया गया है, उनकी अपनी-अपनी श्रेणी में नियमित नियुक्ति की तारीख के अनुसार, इस शर्त के अधीन रखते हुए, अवधारित की जाएंगी कि उनकी अपनी-अपनी श्रेणियों में उनकी परस्पर ज्येष्ठता पर कोई व्यवधान न डाला जाए।

(3) उपनियम (1) में उल्लिखित अधिकारियों की, इन नियमों के अधीन आरंभिक गठन पर उनकी नियुक्ति से पूर्व की नियमित निरंतर सेवा को, परिवीक्षा अवधि, प्रोन्नति, पुष्टि और पेंशन के लिए अर्हता सेवा के प्रयोजन के लिए गणना में लिया जाएगा।

**6. सम्पूर्ण भारत में सेवा करने का दायित्व.** — इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्त कोई भी व्यक्ति भारत में कहीं भी सेवा करने के लिए दायी होगा।

**7. प्रशिक्षण प्राप्त करने का दायित्व.** — (1) इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति, ऐसा प्रशिक्षण लेने के लिए उत्तरदायी होगा और भारत में ऐसे प्रशिक्षण के अनुक्रमों में भेजा जा सकेगा, जो आयोग समय-समय पर विनिश्चित करे।

(2) ऐसे प्रशिक्षण या अनुक्रम के लिए, जिसकी अवधि छह माह या अधिक है, भेजा गया कोई व्यक्ति जिसे भारत से बाहर या भारत में प्राइवेट फर्मों या कारखानों में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया कोई व्यक्ति, प्रशिक्षण के दौरान की अवधि को ध्यान में लाए बिना, यदि किसी कारणवश, प्रशिक्षण के दौरान या ऐसे प्रशिक्षण के समापन के पश्चात तीन वर्ष की अवधि के दौरान वह अपनी सेवा को छोड़ने का विकल्प देता है, तो वह प्रशिक्षण का सम्पूर्ण व्यय या खर्च वापस करने के लिए दायी होगा।

**8. निरर्हता.** — कोई व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। परंतु यदि केंद्र सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

**9. शिथिल करने की शक्ति.** — जहां केंद्र सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो काम उन्हें लेखबद्ध करने, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग अथवा प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश शिथिल कर सकेगी।

**10. व्यावृत्ति.** — इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रकार के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

### अनुसूची

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे-बैंड, ग्रेड-पे या वेतनमान	चयन या गैर-चयन पद
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी	1*(2016) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'क', अननुसचिवीय	पे-बैंड-4 (रु. 37400-67000) एवं ग्रेड-पे रु. 8900	चयन

सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षितशैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
(6)	(7)
<p>50 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिए 55 वर्ष तक शिथिलनीय। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं)</p> <p><b>नोट 1:</b> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी। (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी अंतिम तारीख को छोड़कर)</p> <p><b>नोट 2:</b> आयु छूट का लाभ खादी और ग्रामोद्योग आयोग के केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो इन नियमों के अधीन शामिल किसी पद पर इन नियमों की अधिसूचना से पूर्व खादी और ग्रामोद्योग आयोग में नियुक्त थे।</p>	<p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अभियांत्रिकी स्नातक/प्रौद्योगिकी स्नातक; या</p> <p>(ii) सनदी लेखाकार; या</p> <p>(iii) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री; या</p> <p>(iv) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक डिग्री; और</p> <p>(v) संबंध क्षेत्र में बीस वर्ष का अनुभव।</p> <p><b>नोट 1:</b> अर्हताएँ, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।</p> <p><b>नोट 2:</b> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएँ) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में तब शिथिल की जा सकती है, जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>

क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	<b>भर्ती की पद्धति:</b> सीधी भर्ती या प्रोन्नति द्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले, श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए एक वर्ष	<p>(i) प्रोन्नति द्वारा; जिसके न होने पर</p> <p>(ii) प्रतिनियुक्ति द्वारा, इसमें अल्पकालिक संविदा भी शामिल है; जिसके न होने पर</p> <p>(iii) सीधी भर्ती द्वारा</p> <p><b>नोट:</b> पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि</p>	<p><b>प्रोन्नति:</b> उप-मुख्य कार्यकारी अधिकारी के संबन्धित ग्रेड में पे-बैंड-4 (रु. 37400-67000) एवं ग्रेड-पे रु. 8700 में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p><b>नोट 1:</b> जहां पर ऐसे कनिष्ठ, जिन्होंने अपनी अर्हता या पात्रता सेवा पूर्ण कर ली हो, प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा हो, उनके वरिष्ठ पर भी प्रोन्नति के लिए विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हता/पात्रता सेवा,</p>	<p>पुष्टि पर विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति</p> <p>1. सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार -अध्यक्ष;</p> <p>2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधिकारी, जो संयुक्त सचिव के स्तर से कम नहीं होंगे -सदस्य</p> <p>3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग -संयोजक;</p>	लागू नहीं होता

	<p>के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों को केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/सांविधिक प्राधिकरणों/स्वायत्तशासी निकायों के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।</p>	<p>अपेक्षित अर्हता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से कम न हो, जो भी कम हो, उन्होंने अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति हेतु अपने कनिष्ठों के साथ-साथ परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, <b>जिन्होंने</b> ऐसी अर्हता/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।</p> <p><b>नोट 2:</b> प्रोन्नति के लिए न्यूनतम पात्रता सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006, अर्थात् उस तारीख जिस दिन से छोटे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधित वेतनमान लागू किया गया था, के पहले की गयी नियमित सेवा के बारे में यह माना जाएगा कि ऐसी सेवा इस वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर लागू किए गए अनुरूप वेतनमान/विस्तारित वेतनमान में की गयी है।</p> <p>प्रतिनियुक्ति, जिसमें लघु अवधि संविदा सम्मिलित है (आईएसटीसी): केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/सांविधिक प्राधिकरणों/स्वायत्तशासी निकायों के ऐसे अधिकारी;</p> <p>(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; अथवा</p> <p>(ii) <b>जिन्होंने</b> पे-बैंड-4 (रु. 37400-67000) एवं ग्रेड-पे रु. 8700 के पद पर दो वर्ष की नियमित सेवा की हो; अथवा</p> <p>(iii) <b>जिन्होंने</b> पे-बैंड-3 (रु. 15600-39100) एवं ग्रेड-पे रु. 7600 के पद पर छः वर्ष की नियमित सेवा की हो; अथवा</p> <p>(iv) <b>जिन्होंने</b> पे-बैंड-3 (रु. 15600-39100) एवं ग्रेड-पे रु. 6600 के पद पर दस वर्ष की</p>	<p>4. वित्तीय सलाहकार, खादी और ग्रामोद्योग आयोग - सदस्य;</p> <p>5. भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के दो अधिकारी - सदस्य।</p>
--	--	---	---

			<p>नियमित सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जो सीधी भर्ती के लिए स्तंभ (7) में विहित शैक्षिक अर्हताएँ रखते हों।</p> <p><b>नोट 1:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि (आईएसटीसी), जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>नोट 2:</b> ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>नोट 3:</b> इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p>		
--	--	--	--	--	--

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे-बैंड, ग्रेड-पे या वेतनमान	चयन या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी	8*(2016)* (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'क', अननुसचिवीय	पे-बैंड-4 (रु. 37400-67000) एवं ग्रेड-पे रु. 8700	चयन	50 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिए 55 वर्ष तक शिथिलनीय। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं) <b>नोट 1:</b> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी। (असम, मेघालय,	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अभियांत्रिकी स्नातक/प्रौद्योगिकी स्नातक; या (ii) सनदी लेखाकार; या (iii) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री; या (iv) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक डिग्री; और

					<p>अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी अंतिम तारीख को छोड़कर)</p> <p><b>नोट 2:</b> आयु छूट का लाभ खादी और ग्रामोद्योग आयोग के केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो इन नियमों के अधीन शामिल किसी पद पर इन नियमों की अधिसूचना से पूर्व खादी और ग्रामोद्योग आयोग में नियुक्त थे।</p>	<p>(v) संबद्ध क्षेत्र में पंद्रह वर्ष का अनुभव।</p> <p><b>नोट 1:</b> अर्हताएँ, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।</p> <p><b>नोट 2:</b> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएँ) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में तब शिथिल की जा सकती है, जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>
--	--	--	--	--	---	--

क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या प्रोन्नतिद्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नतियाँ प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए एक वर्ष	<p>(i) प्रोन्नति द्वारा; जिसके न होने पर</p> <p>(ii) प्रतिनियुक्ति द्वारा, इसमें अल्पकालिक संविदा भी शामिल है; जिसके न होने पर</p> <p>(iii) सीधी भर्ती द्वारा</p> <p><b>नोट:</b> पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए</p>	<p><b>प्रोन्नति:</b> निदेशक के संबन्धित ग्रेड में पे-बैंड-3 (रु. 15600-39100) एवं ग्रेड-पे रु. 7600 में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p><b>नोट 1:</b> जहाँ पर ऐसे कनिष्ठ, जिन्होंने अपनी अर्हता या पात्रता सेवा पूर्ण कर ली हो, प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा हो, उनके वरिष्ठ पर भी प्रोन्नति के लिए विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हता/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से कम न हो, जो भी कम हो, उन्होंने अगले उच्च</p>	<p>पुष्टि पर विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति</p> <p>1. सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार-अध्यक्ष;</p> <p>2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधिकारी, जो संयुक्त सचिव के स्तर से कम नहीं होंगे- सदस्य</p>	लागू नहीं होता

		<p>बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों को केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/सांविधिक प्राधिकरणों/स्वायत्तशासी निकायों के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।</p>	<p>ग्रेड में प्रोन्नति हेतु अपने कनिष्ठों के साथ-साथ परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, <b>जिन्होंने</b> ऐसी अर्हता/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।</p> <p><b>नोट 2:</b> प्रोन्नति के लिए न्यूनतम पात्रता सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006, अर्थात् उस तारीख जिस दिन से छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधित वेतनमान लागू किया गया था, के पहले की गयी नियमित सेवा के बारे में यह माना जाएगा कि ऐसी सेवा इस वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर लागू किए गए अनुरूप वेतनमान/विस्तारित वेतनमान में की गयी है।</p> <p>प्रतिनियुक्ति, जिसमें लघु अवधि संविदा सम्मिलित है (आईएसटीसी) : केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/सांविधिक प्राधिकरणों/स्वायत्तशासी निकायों के ऐसे अधिकारी;</p> <p>(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हों; या</p> <p>(ii) <b>जिन्होंने</b> वेतन बैंड-3 (रु. 15600-39100) एवं ग्रेड वेतन रु. 7600 में पद पर 05 वर्ष की नियमित सेवा की हो; या</p> <p>(iii) <b>जिन्होंने</b> वेतन बैंड-3(रु. 15600-39100) एवं ग्रेड वेतन रु. 6600 में पद पर 07 वर्ष की नियमित सेवा की हो; या</p> <p>(iv) <b>जिन्होंने</b> वेतन बैंड-2(रु. 9300-34800) एवं ग्रेड वेतन रु. 5400 में पद पर 10 वर्ष की नियमित सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जो सीधी भर्ती के लिए स्तंभ (7) में विहित शैक्षिक अर्हताएँ रखते हों।</p> <p><b>नोट 1:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि (आईएसटीसी), जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति</p>	<p>3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, खा. ग्रा. आ. - संयोजक ;</p> <p>4. वित्तीय सलाहकार, खा. ग्रा. आ. - सदस्य;</p> <p>5. भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के दो अधिकारी- सदस्य।</p>	
--	--	---	--	---	--

			<p>(आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>नोट 2:</b> ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>नोट 3:</b> इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p>		
--	--	--	---	--	--

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे-बैंड, ग्रेड-पे या वेतनमान	चयन या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	निदेशक	44*(2016) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'क', अतनुसचिवीय	पे-बैंड (रु. 15600-39100) एवं ग्रेड-पे रु. 7600	चयन	<p>50 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिए 55 वर्ष तक शिथिलनीय। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं)</p> <p><b>नोट 1:</b> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी। (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी अंतिम तारीख को छोड़कर)</p> <p><b>नोट 2:</b> आयु छूट का लाभ खादी और ग्रामोद्योग आयोग के केवल उन्हीं</p>	<p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अभियांत्रिकी स्नातक/प्रौद्योगिकी स्नातक; या</p> <p>(ii) सनदी लेखाकार; या</p> <p>(iii) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री; या</p> <p>(iv) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक डिग्री; और</p> <p>(v) संबद्ध क्षेत्र में बारह वर्ष का अनुभव।</p> <p><b>नोट 1:</b> अर्हताएँ, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।</p> <p><b>नोट 2:</b> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएँ) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में तब शिथिल की जा सकती है, जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए</p>



					कर्मचारियों को मिलेगा जो इन नियमों के अधीन शामिल किसी पद पर इन नियमों की अधिसूचना से पूर्व खादी और ग्रामोद्योग आयोग में नियुक्त थे।	आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।
--	--	--	--	--	---	---

क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या प्रोन्नति द्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नतियाँ प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए एक वर्ष	(i) प्रोन्नति द्वारा; जिसके न होने पर (ii) प्रतिनियुक्ति द्वारा, इसमें अल्पकालिक संविदा भी शामिल है; जिसके न होने पर (iii) सीधी भर्ती द्वारा <b>नोट:</b> पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों को केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/सांविधिक प्राधिकरणों/स्वायत्तशासी निकायों के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।	<b>प्रोन्नति:</b> उप-निदेशक के संबन्धित ग्रेड में पे-बैंड-3 (रु. 15600-39100) एवं ग्रेड-पे रु. 6600 में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो। <b>नोट 1:</b> जहाँ पर ऐसे कनिष्ठ, जिन्होंने अपनी अर्हता या पात्रता सेवा पूर्ण कर ली हो, प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा हो, उनके वरिष्ठ पर भी प्रोन्नति के लिए विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हता/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से कम न हो, जो भी कम हो, उन्होंने अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति हेतु अपने कनिष्ठों के साथ-साथ परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हता/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है। <b>नोट 2:</b> प्रोन्नति के लिए न्यूनतम पात्रता सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006, अर्थात् उस तारीख जिस दिन से छोटे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधित वेतनमान लागू किया गया था, के पहले की गयी नियमित सेवा के बारे में	पुष्टि पर विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति 1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग-अध्यक्ष; 2. वित्तीय सलाहकार, खादी और ग्रामोद्योग आयोग-सदस्य; 3. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधिकारी, जो निदेशक के स्तर से कम नहीं होंगे-सदस्य; 4. दो अधिकारी जिनका स्तर उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी से कम नहीं होगा-सदस्य; 5. संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग-संयोजक	लागू नहीं होता

			<p>यह माना जाएगा कि ऐसी सेवा इस वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर लागू किए गए अनुरूप वेतनमान/विस्तारित वेतनमान में की गयी है।</p> <p>प्रतिनियुक्ति, जिसमें लघु अवधि संविदा सम्मिलित है (आईएसटीसी): केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/सांविधिक प्राधिकरणों/स्वायत्तशासी निकायों के ऐसे अधिकारी;</p> <p>(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हों; या</p> <p>(ii) जिन्होंने पे- बैंड-3 (रु. 15600-39100) एवं ग्रेड-पे रु. 6600 में पद पर 05 वर्ष की नियमित सेवा की हो; या</p> <p>(iii) जिन्होंने पे- बैंड-3(रु. 15600-39100) या पे- बैंड-2 (रु. 9300-34800) एवं ग्रेड-पे रु. 5400 में पद पर 07 वर्ष की नियमित सेवा की हो; या</p> <p>(iv) जिन्होंने पे- बैंड-2 (रु. 9300-34800) एवं ग्रेड-पे रु. 4800 में पद पर 10 वर्ष की नियमित सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जो सीधी भर्ती के लिए स्तंभ (7) में विहित शैक्षिक अर्हताएँ रखते हों।</p> <p><b>नोट 1:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि (आईएसटीसी), जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>नोट 2:</b> ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>नोट 3:</b> इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p>		
--	--	--	---	--	--

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे-बैंड, ग्रेड-पे या वेतनमान	चयन या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	उप निदेशक	43*(2016) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'क', अनुसूचित जातीय	पीवी-3 (रु. 15600-39100) एवं ग्रेड-पे रु. 6600	चयन	40 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिए 45 वर्ष तक शिथिलनीय। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं) <b>नोट 1:</b> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निम्नलिखित तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी। (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी अंतिम तारीख को छोड़कर) <b>नोट 2:</b> आयु छूट का लाभ खादी और ग्रामोद्योग आयोग के केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो इन नियमों के अधीन शामिल किसी पद पर इन नियमों की अधिसूचना से पूर्व खादी और ग्रामोद्योग आयोग में नियुक्त थे।	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अभियांत्रिकी स्नातक/प्रौद्योगिकी स्नातक; या (ii) सनदी लेखाकार; या (iii) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री; या (iv) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक डिग्री; और (v) संबद्ध क्षेत्र में दस वर्ष का अनुभव। <b>नोट 1:</b> अर्हताएँ, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। <b>नोट 2:</b> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएँ) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में तब शिथिल की जा सकती है, जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या प्रोन्नति द्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नतियाँ प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति के लिए दो वर्ष	(i) प्रोन्नति द्वारा; जिसके न होने पर (ii) प्रतिनियुक्ति द्वारा, इसमें अल्पकालिक संविदा भी शामिल है; जिसके न होने पर (iii) सीधी भर्ती द्वारा <b>नोट:</b> पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों को केंद्रीय सरकार/ राज्य सरकार/ सांविधिक प्राधिकरणों/ स्वायत्तशासी निकायों के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।	<b>प्रोन्नति:</b> सहायक निदेशक ग्रेड-I की पारस्परिक वरिष्ठता में संबन्धित ग्रेड में पे-बैंड-2 (रु. 9300-34800) एवं ग्रेड-पे रु. 5400 में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो। <b>नोट 1:</b> जहाँ पर ऐसे कनिष्ठ, जिन्होंने अपनी अर्हता या पात्रता सेवा पूर्ण कर ली हो, प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा हो, उनके वरिष्ठ पर भी प्रोन्नति के लिए विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हता/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से कम न हो, जो भी कम हो, उन्होंने अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति हेतु अपने कनिष्ठों के साथ-साथ परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हता/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है। <b>नोट 2:</b> प्रोन्नति के लिए न्यूनतम पात्रता सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006, अर्थात् उस तारीख जिस दिन से छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधित वेतनमान लागू किया गया था, के पहले की गयी नियमित सेवा के बारे में यह माना जाएगा कि ऐसी सेवा इस वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर लागू किए गए अनुरूप वेतनमान/विस्तारित वेतनमान में की गयी है।	पुष्टि पर विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति 1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग - अध्यक्ष; 2. वित्तीय सलाहकार, खादी और ग्रामोद्योग आयोग - सदस्य; 3. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधिकारी, जो निदेशक के स्तर से कम नहीं होंगे - सदस्य; 4. दो अधिकारी जिनका स्तर निदेशक से कम नहीं होगा - सदस्य; और 5. संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग - संयोजक	लागू नहीं होता

		<p>प्रतिनियुक्ति, जिसमें लघु अवधि संविदा सम्मिलित है (आईएसटीसी):</p> <p>केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/सांविधिक प्राधिकरणों/स्वायत्तशासी निकायों के ऐसे अधिकारी;</p> <p>(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हों; या</p> <p>(ii) जिन्होंने पे-बैंड-3 (रु. 15600-39100) या पे-बैंड-2 (रु. 9300-34800) एवं ग्रेड-पे रु. 5400 में पद पर 05 वर्ष की नियमित सेवा की हो; या</p> <p>(iii) जिन्होंने पे- बैंड-2 (रु. 9300-34800) एवं ग्रेड-पे रु. 4800 में पद पर 06 वर्ष की नियमित सेवा की हो; या</p> <p>(iv) जिन्होंने पे-बैंड-2 (रु. 9300-34800) एवं ग्रेड-पे रु. 4800 में पद पर 06 वर्ष की नियमित सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जो सीधी भर्ती के लिए स्तंभ (7) में विहित शैक्षिक अर्हताएँ रखते हों।</p> <p><b>नोट 1:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि (आईएसटीसी), जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>नोट 2:</b> ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>नोट 3:</b> इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p>		
--	--	---	--	--

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे-बैंड, ग्रेड-पे या वेतनमान	चयन या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	सहायक निदेशक ग्रेड-I	114*(2016) *(संवर्ग-वार आवंटन: खादी-07, ग्रामोद्योग-37, प्रशिक्षण-5, वित्त, बजट, लेखा परीक्षा और लेखा-32, प्रशासन और मानव संसाधन-24, अर्थ अनुसंधान-08 और विधिक-01. कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ख' तकनीकी	पे-बैंड-2 (रु. 9300-34800) एवं ग्रेड-पे रु. 5400	चयन	35 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीय। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं) <b>नोट 1:</b> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी। (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी अंतिम तारीख को छोड़कर) <b>नोट 2:</b> आयु छूट का लाभ खादी और ग्रामोद्योग आयोग के केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो इन नियमों के अधीन शामिल किसी पद पर इन नियमों की अधिसूचना से पूर्व खादी और ग्रामोद्योग आयोग में नियुक्त थे।	संवर्ग-वार आवश्यक अर्हताएं: (1) खादी: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अभियांत्रिकी स्नातक/टेक्सटाइल अभियांत्रिकी अथवा टेक्सटाइल प्रौद्योगिकी अथवा फैशन प्रौद्योगिकी में स्नातक; और (ii) संबद्ध क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव। (2) ग्रामोद्योग: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अभियांत्रिकी स्नातक/ प्रौद्योगिकी स्नातक; अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातकोत्तर; अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक के साथ व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर; और (ii) संबद्ध क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव। (3) प्रशिक्षण: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अभियांत्रिकी स्नातक/ प्रौद्योगिकी स्नातक; अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातकोत्तर; अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक के साथ व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर; और (ii) संबद्ध क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव। <b>बांछनीय:</b> खादी और ग्रामोद्योग आयोग के किसी विभागीय प्रशिक्षण केंद्र से कम से कम तीन माह की

						<p>अवधि का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम।</p> <p>(4) वित्त, बजट, लेखा परीक्षा और लेखा:</p> <p>(i) सनदी लेखाकार; या</p> <p>(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से व्यवसाय प्रशासन (वित्त) में स्नातकोत्तर; या</p> <p>(iii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातकोत्तर; या</p> <p>(ii) संबद्ध क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव।</p> <p>(5) प्रशासन और मानव संसाधन:</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी एक विषय में मास्टर डिग्री; और</p> <p>(ii) संबद्ध क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव।</p> <p>(6) अर्थ अनुसंधान:</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र/सांख्यिकी/वाणिज्य में मास्टर डिग्री (सांख्यिकी और अर्थशास्त्र एक विषय के रूप में होने चाहिए) और; और</p> <p>(ii) संबद्ध क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव।</p> <p>(7) विधिक:</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातकोत्तर; और</p> <p>(ii) संबद्ध क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव; या</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक; और</p> <p>(ii) संबद्ध क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव।</p> <p><b>नोट 1:</b> अर्हताएँ, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।</p>
--	--	--	--	--	--	--

							<p><b>नोट 2:</b> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएँ) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में तब शिथिल की जा सकती है, जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या प्रोन्नतिद्वारा या आमेसन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नतिया प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए एक वर्ष	<p>संवर्ग-वार: खादी, ग्रामोद्योग, अर्थ अनुसंधान, प्रशिक्षण, वित्त, बजट, लेखा परीक्षा, लेखा; तथा प्रशासन और मानव संसाधन:</p> <p>(i) 50% सीधी भर्ती द्वारा;</p> <p>(ii) 50% प्रोन्नति द्वारा; जिसके न होने पर</p> <p>(क) प्रतिनियुक्ति द्वारा, इसमें अल्पकालिक संविदा भी शामिल है; जिसके न होने पर</p> <p>(ख) सीधी भर्ती द्वारा</p> <p>विधि: शत-प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।</p> <p><b>नोट:</b> पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य</p>	<p>प्रोन्नति (संवर्ग-वार): खादी, ग्रामोद्योग, अर्थ अनुसंधान और विधि: सहायक निदेशक ग्रेड-II में संबन्धित ग्रेड में पे-बैंड-2 (रु. 9300-34800) एवं ग्रेड-पे रु. 4600 में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p><b>नोट 1:</b> जहाँ पर ऐसे कनिष्ठ, जिन्होंने अपनी अर्हता या पात्रता सेवा पूर्ण कर ली हो, प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा हो, उनके वरिष्ठ पर भी प्रोन्नति के लिए विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हता/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से कम न हो, जो भी कम हो, उन्होंने अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति हेतु अपने कनिष्ठों के साथ-साथ परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हता/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।</p> <p><b>नोट 2:</b> प्रोन्नति के लिए न्यूनतम पात्रता सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01</p>	<p>पुष्टि पर विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग-अध्यक्ष;</li> <li>निदेशक (संबन्धित संवर्ग प्रभारी), खादी और ग्रामोद्योग आयोग - सदस्य;</li> <li>सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधिकारी, जो अवर सचिव के स्तर से कम नहीं होंगे-सदस्य;</li> <li>दो अधिकारी जिनका स्तर उप-निदेशक से कम नहीं होगा- सदस्य; और</li> <li>निदेशक (प्रशासन और मानव संसाधन)</li> </ol>	लागू नहीं होता



		<p>परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों को केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/सांविधिक प्राधिकरणों/स्वायत्तशासी निकायों के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।</p>	<p>जनवरी, 2006, अर्थात् उस तारीख जिस दिन से छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधित वेतनमान लागू किया गया था, के पहले की गयी नियमित सेवा के बारे में यह माना जाएगा कि ऐसी सेवा इस वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर लागू किए गए अनुरूप वेतनमान/विस्तारित वेतनमान में की गयी है।</p> <p>प्रतिनियुक्ति, जिसमें लघु अवधि संविदा सम्मिलित है (आईएसटीसी):</p> <p>केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/सांविधिक प्राधिकरणों/स्वायत्तशासी निकायों के ऐसे अधिकारी;</p> <p>(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हों; अथवा</p> <p>(ii) पे-बैंड-2 (रु. 9300-34800) एवं ग्रेड-पे रु. 4800 में पद पर दो वर्ष की नियमित सेवा की हो; अथवा</p> <p>(iii) जिन्होंने पे-बैंड-2(रु. 9300-34800) एवं ग्रेड-पे रु. 4600 में पद पर तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; अथवा</p> <p>(iv) जिन्होंने पे-बैंड-2(रु. 9300-34800) एवं ग्रेड-पे रु. 4200 में पद पर आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जो सीधी भर्ती के लिए स्तंभ (7) में विहित शैक्षिक अर्हताएँ रखते हों।</p> <p><b>नोट 1:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि (आईएसटीसी), जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>नोट 2:</b> ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p>	खादी और ग्रामोद्योग आयोग-संयोजक	
--	--	---	--	---------------------------------	--

			<b>नोट 3:</b> इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।		
--	--	--	--	--	--

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे-बैंड, ग्रेड-पे या वेतनमान	चयन या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.	सहायक निदेशक ग्रेड-II	207*(2016) *(संवर्ग-वार आवंटन: खादी-29, ग्रामोद्योग-151, अर्थ अनुसंधान-25 और विधि-02. कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ख'	पे-बैंड-2 (रु. 9300-34800) एवं ग्रेड-पे रु. 4600	चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीय। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं) <b>नोट 1:</b> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी। (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी अंतिम तारीख को छोड़कर) <b>नोट 2:</b> आयु छूट का लाभ खादी और ग्रामोद्योग आयोग के केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो इन नियमों के अधीन शामिल किसी पद पर इन नियमों की अधिसूचना से पूर्व खादी और ग्रामोद्योग आयोग में नियुक्त थे।	संवर्ग-वार आवश्यक अर्हताएँ: (1) खादी: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अभियांत्रिकी स्नातक/टेक्सटाइल अभियांत्रिकी अथवा टेक्सटाइल प्रौद्योगिकी अथवा फैशन प्रौद्योगिकी में स्नातक; और (ii) संबद्ध क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव (2) ग्रामोद्योग: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अभियांत्रिकी स्नातक/प्रौद्योगिकी स्नातक; अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातकोत्तर; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक के साथ व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर; और (ii) संबद्ध क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव (3) अर्थ अनुसंधान: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र/सांख्यिकी/वाणिज्य (सांख्यिकी और अर्थशास्त्र एक विषय के रूप में होना चाहिए) में स्नातकोत्तर डिग्री; और (ii) संबद्ध क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव। (4) विधि: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कानून की उपाधि; और (ii) संबद्ध क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव।

						<p><b>नोट 1:</b> अर्हताएँ, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p><b>नोट 2:</b> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएँ) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में तब शिथिल की जा सकती है, जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>
--	--	--	--	--	--	---

क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या प्रोन्नति द्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नतियाँ प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती और *प्रोन्नति के मामले में दो वर्ष। *केवल खादी और ग्रामोद्योग केंद्र के लिए लागू।	<p>(i) प्रोन्नति द्वारा; जिसके न होने पर</p> <p>(ii) प्रतिनियुक्ति द्वारा, इसमें लघु अवधि संविदा भी सम्मिलित है;</p> <p>जिसके न होने पर</p> <p>(iii) सीधी भर्ती द्वारा</p> <p><b>नोट:</b> पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों को केंद्रीय सरकार/राज्य</p>	<p>प्रोन्नति (संवर्ग-वार): खादी और ग्रामोद्योग: कार्यकारी के रूप में संबन्धित ग्रेड में पे-बैंड-2 (रु. 5200-20100) एवं ग्रेड-पे रु. 2800 में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p><b>नोट 1:</b> जहां पर ऐसे कनिष्ठ, जिन्होंने अपनी अर्हता या पात्रता सेवा पूर्ण कर ली हो, प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा हो, उनके वरिष्ठ पर भी प्रोन्नति के लिए विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हता/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से कम न हो, जो भी कम हो, उन्होंने अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति हेतु अपने कनिष्ठों के साथ-साथ परिवीक्षा की अवधि</p>	<p>पुष्टि पर विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग-अध्यक्ष;</li> <li>2. निदेशक (संबन्धित संवर्ग प्रभारी), खादी और ग्रामोद्योग आयोग-सदस्य;</li> <li>3. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधिकारी, जो अवर सचिव के स्तर से कम नहीं होंगे-सदस्य ;</li> </ol>	लागू नहीं होता

		<p>सरकार/सांविधिक प्राधिकरणों/स्वायत्तशासी निकायों के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।</p>	<p>सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हता/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।</p> <p><b>नोट 2:</b> प्रोन्नति के लिए न्यूनतम पात्रता सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006, अर्थात् उस तारीख जिस दिन से छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधित वेतनमान लागू किया गया था, के पहले की गयी नियमित सेवा के बारे में यह माना जाएगा कि ऐसी सेवा इस वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर लागू किए गए अनुरूप वेतनमान/विस्तारित वेतनमान में की गयी है।</p> <p>प्रतिनियुक्ति, जिसमें लघु अवधि संविदा सम्मिलित है (आईएसटीसी):</p> <p>केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/सांविधिक प्राधिकरणों/स्वायत्तशासी निकायों के ऐसे अधिकारी;</p> <p>(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हों; या</p> <p>(ii) जिन्होंने पे-बैंड-2(रु. 9300-34800) एवं ग्रेड-पे रु. 4200 में पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; या</p> <p>(iii) जिन्होंने पे-बैंड-1(रु. 5200-20100) एवं ग्रेड-पे रु. 2800 में पद पर दस वर्ष की नियमित सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जो सीधी भर्ती के लिए स्तंभ (7) में विहित शैक्षिक अर्हताएँ रखते हों।</p> <p><b>नोट 1:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि (आईएसटीसी), जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>नोट 2:</b> ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p>	<p>4. दो अधिकारी जिनका स्तर सहायक निदेशक ग्रेड-1 से कम नहीं होगा- सदस्य; और</p> <p>5. निदेशक (प्रशासन और मानव संसाधन) खादी और ग्रामोद्योग आयोग-संयोजक</p>	
--	--	---	---	---	--

			<b>नोट 3:</b> इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।		
--	--	--	--	--	--

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे-बैंड, ग्रेड-पे या वेतनमान	चयन या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	वरिष्ठ कार्यकारी	230* (2016) *(संवर्ग-वार आवंटन: प्रशिक्षण-20; वित्त, बजट, लेखा परीक्षा और लेखा-64; प्रशासन और मानव संसाधन-98 ; अर्थ अनुसंधान-40 और विधि-08. कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ख' तकनीकी	पे-बैंड-2 (रु. 9300-34800) एवं ग्रेड-पे रु. 4200	चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीय। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं) <b>नोट 1:</b> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी। (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी अंतिम तारीख को छोड़कर) <b>नोट 2:</b> आयु छूट का लाभ खादी और ग्रामोद्योग आयोग के केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो इन नियमों के अधीन शामिल किसी पद पर इन नियमों की अधिसूचना से पूर्व खादी और ग्रामोद्योग आयोग में नियुक्त थे।	संवर्ग-वार आवश्यक अर्हताएँ: (1) प्रशिक्षण: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अभियांत्रिकी स्नातक/प्रौद्योगिकी स्नातक; अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातकोत्तर; अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक के साथ व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर; और (ii) संबद्ध क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव। वांछनीय: खादी और ग्रामोद्योग आयोग के किसी विभागीय प्रशिक्षण केंद्र से कम से कम तीन माह की अवधि का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम। (2) वित्त, बजट, लेखा परीक्षा और लेखा: (i) सनदी लेखाकार; या (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से व्यवसाय प्रशासन (वित्त) में स्नातकोत्तर; या (iii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातकोत्तर; और (ii) संबद्ध क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव। (3) प्रशासन और मानव संसाधन: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री अथवा समकक्ष; और

						<p>(ii) संबद्ध क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव।</p> <p>(4) अर्थ अनुसंधान:</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र/सांख्यिकी/वाणिज्य (एक विषय के रूप में सांख्यिकी और अर्थशास्त्र) में स्नातकोत्तर डिग्री।</p> <p>(5) विधिक:</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक।</p> <p><b>नोट 1:</b> अर्हताएँ, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p><b>नोट 2:</b> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएँ) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में तब शिथिल की जा सकती है, जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>
--	--	--	--	--	--	---

क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या प्रोन्नतिद्वारा या आमेसन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नतिया प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती और प्रोन्नति के मामले में दो वर्ष।	संवर्ग-वार: प्रशिक्षण; और वित्त, बजट, लेखा परीक्षा और लेखा; तथा प्रशासन और मानव संसाधन:  (i) शत-प्रतिशत प्रोन्नति	प्रोन्नति (संवर्ग-वार): प्रशिक्षण; और वित्त, बजट, लेखा परीक्षा और लेखा: कार्यकारी के रूप में संबन्धित ग्रेड में पे-बैंड-2 (रु. 5200-20100) एवं ग्रेड-पे रु. 2800 में छ: वर्ष की नियमित सेवा की हो।	पुष्टि पर विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति 1. संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग	लागू नहीं होता

	<p>द्वारा; जिसके न होने पर (ii) प्रतिनियुक्ति द्वारा, इसमें लघु अवधि संविदा भी सम्मिलित है; जिसके न होने पर (iii) सीधी भर्ती द्वारा अर्थ अनुसंधान और विधि: शत-प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। <b>नोट:</b> पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों को केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/सांविधिक प्राधिकरणों/स्वायत्तशासी निकायों के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।</p>	<p>प्रशासन और मानव संसाधन: कनिष्ठ कार्यकारी के रूप में संबन्धित ग्रेड में पे-बैंड-2 (रु. 5200-20100) एवं ग्रेड-पे रु. 2400 में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो। <b>नोट 1:</b> जहां पर ऐसे कनिष्ठ, जिन्होंने अपनी अर्हता या पात्रता सेवा पूर्ण कर ली हो, प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा हो, उनके वरिष्ठ पर भी प्रोन्नति के लिए विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हता/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से कम न हो, जो भी कम हो, उन्होंने अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति हेतु अपने कनिष्ठों के साथ-साथ परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हता/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है। <b>नोट 2:</b> प्रोन्नति के लिए न्यूनतम पात्रता सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006, अर्थात् उस तारीख जिस दिन से छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधित वेतनमान लागू किया गया था, के पहले की गयी नियमित सेवा के बारे में यह माना जाएगा कि ऐसी सेवा इस वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर लागू किए गए अनुरूप वेतनमान/विस्तारित वेतनमान में की गयी है। प्रतिनियुक्ति, जिसमें लघु अवधि संविदा सम्मिलित है (आईएसटीसी): केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/ सांविधिक प्राधिकरणों/स्वायत्तशासी निकायों के ऐसे अधिकारी; (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने पे-बैंड-1(रु. 5200- 20100) एवं ग्रेड-पे रु. 2800 में पद परछः वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने पे-बैंड-1(रु. 5200- 20100) एवं ग्रेड-पे रु. 2400 में पद पर दस वर्ष की नियमित सेवा की</p>	<p>आयोग- अध्यक्ष; 2. निदेशक (संबन्धित संवर्ग प्रभारी), खादी और ग्रामोद्योग आयोग- सदस्य; 3. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधिकारी, जो अवर सचिव के स्तर से कम नहीं होंगे-सदस्य; 4. दो अधिकारी जिनका स्तर सहायक निदेशक ग्रेड-1 से कम नहीं होगा- सदस्य; और 5. निदेशक (प्रशासन और मानव संसाधन) खादी और ग्रामोद्योग आयोग-संयोजक</p>	
--	--	--	---	--

			<p>हो; और</p> <p>(ख) जो सीधी भर्ती के लिए स्तंभ (7) में विहित शैक्षिक अर्हताएँ रखते हों।</p> <p><b>नोट 1:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि (आईएसटीसी), जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>नोट 2:</b> ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>नोट 3:</b> इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p>		
--	--	--	---	--	--

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे-बैंड, ग्रेड-पे या वेतनमान	चयन या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8.	कार्यकारी	479*(2016) *(संवर्ग-वार आवंटन: खादी-89, ग्रामोद्योग-272, प्रशिक्षण-38; और वित्त, बजट, लेखा परीक्षा और लेखा-80। कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग' तकनीकी	पे-बैंड-1 (रु. 5200-20200) एवं ग्रेड-पे रु. 2800	चयन	<p>18 से 27 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों के लिए 33 वर्ष तक शिथिलनीय। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं)</p> <p><b>नोट 1:</b> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी। (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की</p>	<p>संवर्ग-वार आवश्यक अर्हताएँ:</p> <p>(1) खादी:</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अभियांत्रिकी स्नातक/ टेक्सटाइल अभियांत्रिकी अथवा टेक्सटाइल प्रौद्योगिकी अथवा फैशन प्रौद्योगिकी में स्नातक।</p> <p>(2) ग्रामोद्योग:</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अभियांत्रिकी स्नातक/ प्रौद्योगिकी स्नातक; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातकोत्तर; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक के साथ व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर।</p> <p>(3) प्रशिक्षण:</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त</p>



					<p>गयी अंतिम तारीख को छोड़कर)</p> <p><b>नोट 2:</b> आयु छूट का लाभ खादी और ग्रामोद्योग आयोग के केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो इन नियमों के अधीन शामिल किसी पद पर इन नियमों की अधिसूचना से पूर्व खादी और ग्रामोद्योग आयोग में नियुक्त थे।</p>	<p>विश्वविद्यालय से अभियांत्रिकी स्नातक/ प्रौद्योगिकी स्नातक; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातकोत्तर; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक के साथ व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर।</p> <p>वांछनीय:</p> <p>खादी और ग्रामोद्योग आयोग के किसी विभागीय प्रशिक्षण केंद्र से कम से कम तीन माह की अवधि का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम।</p> <p>(4) वित्त, बजट, लेखा परीक्षा और लेखा:</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक; और</p> <p>(ii) संबद्ध क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव।</p> <p>वांछनीय:</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सनदी लेखाकार /लागत और प्रबंधन लेखाकार/व्यवसाय प्रशासन(वित्त) में स्नातकोत्तर/ वाणिज्य स्नातकोत्तर।</p> <p><b>नोट 1:</b> अर्हताएँ, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p><b>नोट 2:</b> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएँ) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में तब शिथिल की जा सकती है, जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>
--	--	--	--	--	---	--

क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या प्रोन्नति द्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नतियाँ प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष।	<p>संवर्ग-वार: खादी और ग्रामोद्योग: (i) 85% सीधी भर्ती द्वारा; (ii) 15% प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर (अ)प्रतिनियुक्ति द्वारा, इसमें लघु अवधि संविदा भी सम्मिलित है; जिसके न होने पर (ब)सीधी भर्ती द्वारा</p> <p>प्रशिक्षण: (i) 60% सीधी भर्ती द्वारा; और (ii) 40% प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर (अ)प्रतिनियुक्ति द्वारा, इसमें लघु अवधि संविदा भी सम्मिलित है; जिसके न होने पर (ब)सीधी भर्ती द्वारा</p> <p>वित्त, बजट, लेखा परीक्षा और लेखा: (i) प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर (ii) प्रतिनियुक्ति द्वारा, इसमें लघु अवधि संविदा भी सम्मिलित है; जिसके न होने पर (iii) सीधी भर्ती द्वारा</p> <p><b>नोट:</b> पदधारी के</p>	<p>प्रोन्नति (संवर्ग-वार): खादी, ग्रामोद्योग, और वित्त, बजट, लेखा परीक्षा और लेखा: कनिष्ठ कार्यकारी के रूप में संबन्धित ग्रेड में पे-बैंड-2 (रु. 5200-20100) एवं ग्रेड-पे रु. 2400 में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो। प्रशिक्षण : सहायक के रूप में संबन्धित ग्रेड में पे-बैंड-2 (रु. 5200-20100) एवं ग्रेड-पे रु. 1900 में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p><b>नोट 1:</b> जहाँ पर ऐसे कनिष्ठ, जिन्होंने अपनी अर्हता या पात्रता सेवा पूर्ण कर ली हो, प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा हो, उनके वरिष्ठ पर भी प्रोन्नति के लिए विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हता/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से कम न हो, जो भी कम हो, उन्होंने अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति हेतु अपने कनिष्ठों के साथ-साथ परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हता/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।</p> <p><b>नोट 2:</b> प्रोन्नति के लिए न्यूनतम पात्रता सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006, अर्थात् उस तारीख जिस दिन से छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधित वेतनमान लागू किया गया था, के पहले की गयी नियमित सेवा के बारे में यह माना जाएगा कि ऐसी सेवा इस वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर लागू किए गए अनुरूप</p>	<p>पुष्टि पर विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग-अध्यक्ष;</li> <li>2. निदेशक (संबन्धित संवर्ग प्रभारी), खा. ग्रा. आ. - सदस्य;</li> <li>3. दो अधिकारी जिनका स्तर सहायक निदेशक ग्रेड-1 से कम नहीं होगा- सदस्य; और</li> <li>4. निदेशक (प्रशासन और मानव संसाधन) खादी और ग्रामोद्योग आयोग-संयोजक</li> </ol>	लागू नहीं होता

		<p>प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों को केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/सांविधिक प्राधिकरणों/स्वायत्तशासी निकायों के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।</p>	<p>वेतनमान/विस्तारित वेतनमान में की गयी है। प्रतिनियुक्ति, जिसमें लघु अवधि संविदा सम्मिलित है (आईएसटीसी): केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/सांविधिक प्राधिकरणों/स्वायत्तशासी निकायों के ऐसे अधिकारी;</p> <p>(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हों; या</p> <p>(ii) जिन्होंने पे-बैंड-1(रु. 5200-20100) एवं ग्रेड-पे रु. 2400 में पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; या</p> <p>(ii) जिन्होंने पे-बैंड-1(रु. 5200-20100) एवं ग्रेड-पे रु. 1900 में पद पर दस वर्ष की नियमित सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जो सीधी भर्ती के लिए स्तंभ (7) में विहित शैक्षिक अर्हताएँ रखते हों।</p> <p><b>नोट 1:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि (आईएसटीसी), जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>नोट 2:</b> ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>नोट 3:</b> इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p>		
--	--	--	--	--	--

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे-बैंड, ग्रेड-पे या वेतनमान	चयन या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9.	कनिष्ठ कार्यकारी	414*(2016)	सामान्य केंद्रीय	पे-बैंड-1	अचयन	18 से 27 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष	संवर्ग-वार आवश्यक अर्हताएँ: (1) खादी:

		<p>*(संवर्ग-वार आवंटन: खादी-16; ग्रामोद्योग-51; वित्त, बजट, लेखा परीक्षा और लेखा-76 तथा प्रशासन और मानव संसाधन-271। कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)</p>	<p>सेवा समूह 'ग' तकनीकी</p>	<p>(रु. 5200-20200) एवं ग्रेड-पे रु. 2400</p>	<p>तक शिथिलनीय। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं)</p> <p><b>नोट 1:</b> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी। (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी अंतिम तारीख को छोड़कर)</p> <p><b>नोट 2:</b> आयु छूट का लाभ खादी और ग्रामोद्योग आयोग के केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो इन नियमों के अधीन शामिल किसी पद पर इन नियमों की अधिसूचना से पूर्व खादी और ग्रामोद्योग आयोग में नियुक्त थे।</p>	<p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड/संस्थान से बख्त अभियांत्रिकी या वस्त्र प्रौद्योगिकी या फैशन प्रौद्योगिकी या हथकरघा प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा।</p> <p>(2) ग्रामोद्योग:</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड/संस्थान से अभियांत्रिकी में डिप्लोमा या विज्ञान स्नातक।</p> <p>(3) वित्त, बजट, लेखा परीक्षा और लेखा:</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक।</p> <p>वांछनीय:</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सनदी लेखाकार /लागत और प्रबंधन लेखाकार/व्यवसाय प्रशासन(वित्त) में स्नातकोत्तर/वाणिज्य स्नातकोत्तर।</p> <p>(4) प्रशासन और मानव संसाधन:</p> <p>(अ) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री या समकक्ष; या</p> <p>(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री या समकक्ष; और</p> <p>(ब) संबद्ध क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव।</p> <p><b>नोट 1:</b> अर्हताएँ, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p><b>नोट 2:</b> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएँ) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में तब शिथिल की जा सकती है, जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के</p>
--	--	---	-----------------------------	---	---	--

							अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।
--	--	--	--	--	--	--	--

क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या प्रोन्नतिद्वारा या आमेलनद्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नतियाँ प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष।	संवर्ग-वार: खादी और ग्रामोद्योग: (i) प्रोन्नति द्वारा; जिसके न होने पर (ii) प्रतिनियुक्ति द्वारा, इसमें लघु अवधि संविदा भी सम्मिलित है; जिसके न होने पर (iii) सीधी भर्ती द्वारा वित्त, बजट, लेखा परीक्षा और लेखा; शत-प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। प्रशासन और मानव संसाधन: (i) 50% सीधी भर्ती द्वारा; और (ii) 50% प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, इसमें लघु अवधि संविदा भी सम्मिलित है; जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा <b>नोट:</b> पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई	प्रोन्नति (संवर्ग-वार): खादी, ग्रामोद्योग, तथा प्रशासन और मानव संसाधन: सहायक के रूप में संबन्धित ग्रेड में पे-बैंड-2 (रु. 5200-20100) एवं ग्रेड-पे रु. 1900 में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो। <b>नोट 1:</b> जहाँ पर ऐसे कनिष्ठ, जिन्होंने अपनी अर्हता या पात्रता सेवा पूर्ण कर ली हो, प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा हो, उनके वरिष्ठ पर भी प्रोन्नति के लिए विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हता/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से कम न हो, जो भी कम हो, उन्होंने अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति हेतु अपने कनिष्ठों के साथ-साथ परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हता/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है। <b>नोट 2:</b> प्रोन्नति के लिए न्यूनतम पात्रता सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006, अर्थात् उस तारीख जिस दिन से छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधित वेतनमान लागू किया गया था, के पहले की गयी नियमित सेवा के बारे में यह माना जाएगा कि ऐसी सेवा इस वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर लागू किए गए अनुरूप वेतनमान/विस्तारित वेतनमान में की गयी है।	पुष्टि पर विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति 1. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग- अध्यक्ष; 2. निदेशक (संबन्धित संवर्ग प्रभारी), खादी और ग्रामोद्योग आयोग- सदस्य; 3. दो अधिकारी जिनका स्तर सहायक निदेशक ग्रेड-1 से कम नहीं होगा- सदस्य; और 4. निदेशक (प्रशासन और मानव संसाधन) खादी और ग्रामोद्योग आयोग-संयोजक	लागू नहीं होता

		<p>रिक्तियों को केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/सांविधिक प्राधिकरणों/स्वायत्तशासी निकायों के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।</p>	<p>प्रतिनियुक्ति, जिसमें लघु अवधि संविदा सम्मिलित है (आईएसटीसी): केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/सांविधिक प्राधिकरणों/स्वायत्तशासी निकायों के ऐसे अधिकारी;</p> <p>(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हों; या</p> <p>(ii) जिन्होंने पे-बैंड-1(रु. 5200-20100) एवं ग्रेड-पे रु. 1900 में पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जो सीधी भर्ती के लिए स्तंभ (7) में विहित शैक्षिक अर्हताएँ रखते हों।</p> <p><b>नोट 1:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि (आईएसटीसी), जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>नोट 2:</b> ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>नोट 3:</b> इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p>		
--	--	---	--	--	--

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे-बैंड, ग्रेड-पे या वेतनमान	चयन या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10.	सहायक	214*(2016) *(संवर्ग-वार आवंटन: खादी-15; ग्रामोद्योग-58; प्रशिक्षण-18;	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग' तकनीकी	पे-बैंड-1 (रु. 5200-20200) एवं ग्रेड-पे रु. 1900	लागू नहीं	18 से 27 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीय। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं) <b>नोट 1:</b> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन	संवर्ग-वार आवश्यक अर्हताएँ: (1) खादी: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड/संस्थान से टेक्सटाइल अभियांत्रिकी या टेक्सटाइल प्रौद्योगिकी या फैशन प्रौद्योगिकी या हेंडलूम प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा। (2) ग्रामोद्योग:

		तथा प्रशासन और मानव संसाधन-173 कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)				<p>प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी। (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी अंतिम तारीख को छोड़कर)</p> <p><b>नोट 2:</b> आयु छूट का लाभ खादी और ग्रामोद्योग आयोग के केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो इन नियमों के अधीन शामिल किसी पद पर इन नियमों की अधिसूचना से पूर्व खादी और ग्रामोद्योग आयोग में नियुक्त थे।</p>	<p>किसी मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय/बोर्ड/संस्थान से अभियांत्रिकी में डिप्लोमा या विज्ञान स्नातक।</p> <p>(3) प्रशिक्षण: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड/संस्थान से अभियांत्रिकी में डिप्लोमा या विज्ञान स्नातक।</p> <p>(4) प्रशासन और मानव संसाधन:</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं उत्तीर्ण या समकक्ष योग्यता।</p> <p>(ii) कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति। (प्रत्येक शब्द के लिए औसत 5 की डिप्रेशन के आधार पर 10500/9000 की डिप्रेशन प्रति घंटा (केडीपीएच) के अनुरूप 35 और 30 शब्द प्रति मिनट)</p> <p><b>नोट 1:</b> अर्हताएँ, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p>
--	--	--	--	--	--	---	---

क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या प्रोन्नतिद्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नतिया प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष।	संवर्ग-वार: खादी, ग्रामोद्योग और प्रशिक्षण: शत-प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। प्रशासन और मानव संसाधन: (i) 85% सीधी	प्रोन्नति (संवर्ग-वार): प्रशासन और मानव संसाधन: कॉलम 10 में निर्धारित अनुसार।	पुष्टि पर विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति 1. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग-अध्यक्ष;	लागू नहीं होता

	<p>भर्ती द्वारा;</p> <p>(ii) 10% रिक्तियाँ उन एमटीएस कर्मचारियों में से भरी जाएंगी 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या उसके समकक्ष अर्हता रखते हैं और विभागीय अर्हता परीक्षा के आधार पर ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है। परीक्षा की पात्रता के लिए अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष है (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के लिए आयु सीमा 50 वर्ष है)</p> <p><b>नोट:</b> यदि खंड (ii) के अधीन उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से कर्मचारियों की संख्या अधिक है, ऐसे आधिक्य कर्मचारियों के नाम पर बाद के वर्षों में उत्पन्न रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा ताकि पूर्व में सम्पन्न परीक्षा में उत्तीर्ण कर्मचारियों के नाम पर उन कर्मचारियों से पहले विचार किया जा सके जिन्होंने बाद में परीक्षा उत्तीर्ण की है। और</p> <p>(iii) 5% रिक्तियाँ उन एमटीएस कर्मचारियों में से बरिष्ठता-सह-फिटनेस आधार पर भरी जाएगी, जिन्होंने तीन वर्ष</p>		<p>2. निदेशक (संबंधित संवर्ग प्रभारी), खादी और ग्रामोद्योग आयोग -सदस्य;</p> <p>3. दो अधिकारी जिनका स्तर सहायक निदेशक ग्रेड-I से कम नहीं होगा - सदस्य; और</p> <p>4. निदेशक (प्रशासन और मानव संसाधन) खादी और ग्रामोद्योग आयोग -संयोजक</p>	
--	--	--	---	--



		की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो।					
क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे-बैंड, ग्रेड-पे या वेतनमान	चयन या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11.	एमटीएस (मल्टी टास्किंग स्टाफ)	183*(2016) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अनुनसचिवीय	पे-बैंड-1 (रु. 5200-20200) एवं ग्रेड-पे रु. 1800	लागू नहीं	<p>18 से 25 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीय। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं)</p> <p><b>नोट 1:</b> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी। (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी अंतिम तारीख को छोड़कर)</p> <p><b>नोट 2:</b> आयु छूट का लाभ खादी और ग्रामोद्योग आयोग के केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो इन नियमों के अधीन शामिल किसी पद पर इन नियमों की अधिसूचना से पूर्व खादी और ग्रामोद्योग आयोग में नियुक्त थे।</p>	<p>मैट्रिक या समकक्ष उत्तीर्ण; या संबद्ध विषय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईआईटी) से उत्तीर्ण।</p> <p><b>नोट 1:</b> अर्हताएँ, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p>

क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या प्रोन्नतिद्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नतियाँ प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	शत-प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं।	पुष्टि पर विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति 1. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग-अध्यक्ष; 2. निदेशक (संबंधित संवर्ग प्रभारी), खादी और ग्रामोद्योग आयोग-सदस्य; 3. दो अधिकारी जिनका स्तर सहायक निदेशक ग्रेड-1 से कम नहीं होगा- सदस्य; और 4. निदेशक (प्रशासन और मानव संसाधन) खादी और ग्रामोद्योग आयोग-संयोजक	लागू नहीं होता

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे-बैंड, ग्रेड-पे या वेतनमान	चयन या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12.	स्टाफ कार चालक	60*(2016) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अनुनसचिवीय	पे-बैंड-1 (रु. 5200-20200) एवं ग्रेड-पे रु.	लागू नहीं	18 से 25 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीय। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं) <b>नोट 1:</b> आयु सीमा अवधारित	(i) मोटर कार चलाने हेतु वैध ड्राइविंग लाइसेंस; (ii) मोटर मशीनीकरण की जानकारी (उम्मीदवार को मोटर कार मरम्मत की सामान्य जानकारी होनी चाहिए)

				1900	<p>करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी। (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी अंतिम तारीख को छोड़कर)</p> <p><b>नोट 2:</b> आयु छूट का लाभ खादी और ग्रामोद्योग आयोग के केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो इन नियमों के अधीन शामिल किसी पद पर इन नियमों की अधिसूचना से पूर्व खादी और ग्रामोद्योग आयोग में नियुक्त थे।</p>	<p>(iii) मोटर कार चलाने का न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव।</p> <p>(iv) दसवीं कक्षा उत्तीर्ण।</p> <p>वांछनीय: होम गार्ड/सिविल वालंटियर के रूप में तीन वर्ष की सेवा की हो।</p> <p><b>नोट 1:</b> अर्हताएँ, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p><b>नोट 2:</b> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएँ) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में तब शिथिल की जा सकती है, जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>
--	--	--	--	------	--	--

क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या प्रोन्नति द्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नतिया प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	शत-प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं।	पुष्टि पर विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति 1. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग-अध्यक्ष; 2. निदेशक (संबंधित संवर्ग प्रभारी), खादी और ग्रामोद्योग आयोग-सदस्य;	लागू नहीं होता

				3. दो अधिकारी जिनका स्तर सहायक निदेशक ग्रेड-I से कम नहीं होगा- सदस्य; और 4. निदेशक (प्रशासन और मानव संसाधन) खादी और ग्रामोद्योग आयोग-संयोजक	
--	--	--	--	--	--

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे-बैंड, ग्रेड-पे या वेतनमान	चयन या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13.	उप निदेशक (राजभाषा)	01*(2016) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'क' अनुसूचिवीय	पे-बैंड-3 (रु. 15600-39100) एवं ग्रेड-पे रु. 6600	चयन	40 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिए 45 वर्ष तक शिथिलनीय। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं) <b>नोट 1:</b> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी। (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी अंतिम तारीख को छोड़कर) <b>नोट 2:</b> आयु छूट का लाभ खादी और ग्रामोद्योग आयोग के केवल उन्हीं कर्मचारियों	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी में स्नातकोत्तर उपाधि, जिसके साथ डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय रहा हो या परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी रहा हो; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि, जिसके साथ डिग्री स्तर पर हिन्दी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय रहा हो या परीक्षा का माध्यम हिन्दी रहा हो; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी के अलावा हिन्दी माध्यम से किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, जिसके साथ डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी रहा हो; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी के अलावा अंग्रेजी माध्यम से किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, जिसके साथ डिग्री स्तर पर हिन्दी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम हिन्दी रहा हो; या

					<p>को मिलेगा जो इन नियमों के अधीन शामिल किसी पद पर इन नियमों की अधिसूचना से पूर्व खादी और ग्रामोद्योग आयोग में नियुक्त थे।</p>	<p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, जिसके साथ डिग्री स्तर पर हिन्दी और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहे हों या दोनों में से कोई एक परीक्षा का माध्यम रहा हो और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो; और</p> <p>केंद्रीय/राज्य सरकारों/स्वायत्तशासी निकायों/सांविधिक संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थानों में, हिन्दी में शब्दावली के प्रयोग या लागू करने (शब्दावली कार्य) और अंग्रेजी से हिन्दी में या विलोमतः अनुवाद कार्य में, विशेषकर तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य में पाँच वर्ष का अनुभव; या</p> <p>केंद्रीय/राज्य सरकारों/स्वायत्तशासी निकायों/सांविधिक संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थानों में हिन्दी और अंग्रेजी में शिक्षण या हिन्दी और अंग्रेजी में अनुसंधान में पाँच वर्ष का अनुभव।</p> <p>वांछनीयः संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल हिन्दी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं के स्तर तक अध्ययन किया हो।</p> <p><b>नोट 1:</b> अर्हताएँ, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।</p> <p><b>नोट 2:</b> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएँ) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के</p>
--	--	--	--	--	--	--

							मामले में तब शिथिल की जा सकती है, जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।
--	--	--	--	--	--	--	---

क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या प्रोन्नति द्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नतियाँ प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	(i) संयुक्त पद्धति द्वारा: प्रतिनियुक्ति (इसमें अल्पकालिक संविदा भी शामिल है)/प्रोन्नति (यदि सहायक निदेशक (राजभाषा) के फीडर संवर्ग में पद सीधी भर्ती या प्रोन्नति द्वारा भरा गया हो); जिसके न होने पर (ii) सीधी भर्ती द्वारा। <b>नोट:</b> पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों को केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/सांविधिक प्राधिकरणों/स्वायत्तशासी निकायों के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।	प्रतिनियुक्ति, जिसमें लघु अवधि संविदा (आईएसटीसी) सम्मिलित है (आईएसटीसी): केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/सांविधिक निकायों/स्वायत्तशासी निकायों के ऐसे अधिकारी; (क) (i) जो नियमित आधार पर सद्दृश्य पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने पे-बैंड-3 (रु. 15600-39100) या पे-बैंड-2 (रु. 9300-34800) एवं ग्रेड-पे रु. 5400 में पद पर तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने पे-बैंड-2 (रु. 9300-34800) एवं ग्रेड-पे रु. 4800 में पद पर पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (iv) जिन्होंने पे-बैंड-2 (रु. 9300-34800) एवं ग्रेड-पे रु. 4600 में पद पर सात वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (v) जिन्होंने पे-बैंड-2 (रु. 9300-34800) एवं ग्रेड-पे रु. 4200 में पद पर दस वर्ष की नियमित सेवा की हो; और	पुष्टि पर विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति 1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग-अध्यक्ष; 2. वित्तीय सलाहकार, खादी और ग्रामोद्योग आयोग-सदस्य; 3. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधिकारी, जो उप-सचिव के स्तर से कम नहीं होंगे-सदस्य; 4. दो अधिकारी जिनका स्तर निदेशक से कम नहीं होगा-सदस्य; और 5. संयुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग-संयोजक	लागू नहीं होता

			<p>(ख) जो सीधी भर्ती के लिए स्तंभ (7) में विहित शैक्षिक अर्हताएँ रखते हों।</p> <p><b>नोट 1:</b> पे-बैंड-2 (रु. 9300-34800) एवं ग्रेड-पे रु. 5400 में कार्यरत विभागीय अधिकारी नामतः सहायक निदेशक (राजभाषा), जिन्होंने उस ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो, के नाम पर भी बाहरी उम्मीदवारों के साथ विचार किया जाएगा और यदि पद पर नियुक्ति के लिए उनका चयन हो जाता है तो पद को प्रोन्नति द्वारा भरा हुआ माना जाएगा।</p> <p><b>नोट 1:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि (आईएसटीसी), जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>नोट 2:</b> ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>नोट 3:</b> इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p>		
--	--	--	---	--	--

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे-बैंड, ग्रेड-पे या वेतनमान	चयन या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14.	सहायक निदेशक (राजभाषा)	01*(2016) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ख' अनुसूचिवीय	पे-बैंड-2 (रु. 9300-34800) एवं ग्रेड-पे रु. 5400	चयन	35 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीय। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं) <b>नोट 1:</b> आयु सीमा अवधारित करने के	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी में स्नातकोत्तर उपाधि, जिसके साथ डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय रहा हो या परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी रहा हो; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में

					<p>लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी। (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी अंतिम तारीख को छोड़कर)</p> <p><b>नोट 2:</b> आयु छूट का लाभ खादी और ग्रामोद्योग आयोग के केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो इन नियमों के अधीन शामिल किसी पद पर इन नियमों की अधिसूचना से पूर्व खादी और ग्रामोद्योग आयोग में नियुक्त थे।</p>	<p>स्नातकोत्तर उपाधि, जिसके साथ डिग्री स्तर पर हिन्दी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय रहा हो या परीक्षा का माध्यम हिन्दी रहा हो; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी के अलावा हिन्दी माध्यम से किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, जिसके साथ डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी रहा हो; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी के अलावा अंग्रेजी माध्यम से किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, जिसके साथ डिग्री स्तर पर हिन्दी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम हिन्दी रहा हो; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, जिसके साथ डिग्री स्तर पर हिन्दी और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहे हों या दोनों में से कोई एक परीक्षा का माध्यम रहा हो और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो; और</p> <p>केंद्रीय/राज्य सरकारों/स्वायत्तशासी निकायों/सांविधिक संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों /विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थानों में, हिन्दी में शब्दावली के प्रयोग या लागू करने (शब्दावली कार्य) और अंग्रेजी से हिन्दी में या विलोमतः अनुवाद कार्य में, विशेषकर तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य में तीन वर्ष का अनुभव; या</p>
--	--	--	--	--	--	--



						<p>केंद्रीय/राज्य सरकारों/ स्वायत्तशासी निकायों/ सांविधिक संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थानों में हिन्दी और अंग्रेजी में शिक्षण या हिन्दी और अंग्रेजी में अनुसंधान में तीन वर्ष का अनुभव।</p> <p>वांछनीय:</p> <p>संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल हिंदी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं के स्तर तक अध्ययन किया हो।</p> <p><b>नोट 1:</b> अर्हताएँ, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p><b>नोट 2:</b> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएँ) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में तब शिथिल की जा सकती है, जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>
--	--	--	--	--	--	--

क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ के मामले में लागू होंगी	परिचीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या प्रोन्नति द्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नतियाँ प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	(i) प्रोन्नति द्वारा; जिसके न होने पर (ii) प्रतिनियुक्ति द्वारा, इसमें लघु	<b>प्रोन्नति:</b> वरिष्ठ अनुवादक के रूप में संबन्धित ग्रेड में पे-बैंड-2 (रु. 9300-34800) एवं ग्रेड-पे रु. 4200 में आठ वर्ष की नियमित सेवा	पुष्टि पर विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति	लागू नहीं होता

	<p>अवधि संविदा भी सम्मिलित है; जिसके न होने पर (iii) सीधी भर्ती द्वारा</p> <p><b>नोट:</b> पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों को केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/सांविधिक प्राधिकरणों/स्वायत्तशासी निकायों के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।</p>	<p>की हो।</p> <p><b>नोट 1:</b> जहां पर ऐसे कनिष्ठ, जिन्होंने अपनी अर्हता या पात्रता सेवा पूर्ण कर ली हो, प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा हो, उनके वरिष्ठ पर भी प्रोन्नति के लिए विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हता/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से कम न हो, जो भी कम हो, उन्होंने अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति हेतु अपने कनिष्ठों के साथ-साथ परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हता/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।</p> <p><b>नोट 2:</b> प्रोन्नति के लिए न्यूनतम पात्रता सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006, अर्थात् उस तारीख जिस दिन से छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधित वेतनमान लागू किया गया था, के पहले की गयी नियमित सेवा के बारे में यह माना जाएगा कि ऐसी सेवा इस वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर लागू किए गए अनुरूप वेतनमान/विस्तारित वेतनमान में की गयी है।</p> <p>प्रशिक्षण, वित्त, बजट, लेखा परीक्षा और लेखा तथा प्रशासन और मानव संसाधन: उस ग्रेड में आठ वर्ष की नियमित सेवा के साथ संबंधित संवर्ग के रु. 4200 ग्रेड-पे के साथ पे-बैंड-2 में (रु. 9300-34800) में कार्यरत वरिष्ठ कार्यकारी।</p> <p>प्रतिनियुक्ति, जिसमें लघु अवधि संविदा सम्मिलित है (आईएसटीसी):</p> <p>केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/ सांविधिक निकायों/स्वायत्त सेवी निकायों के ऐसे अधिकारी;</p> <p>(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हों; या</p> <p>(ii) पे-बैंड-2 (रु. 9300-34800) एवं ग्रेड-पे रु. 4600 में पद पर तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; या</p> <p>(iii) जिन्होंने पे-बैंड-2 (रु. 9300-34800) एवं ग्रेड-पे रु. 4200 में पद पर आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो; या</p> <p>(iv) जिन्होंने पे-बैंड-1 (रु. 5200-20200) एवं ग्रेड-पे रु. 2800 में पद पर दस वर्ष</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग-अध्यक्ष;</li> <li>उप-निदेशक (राजभाषा), खादी और ग्रामोद्योग आयोग-सदस्य;</li> <li>सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधिकारी, जो उप-सचिव के स्तर से कम नहीं होंगे-सदस्य;</li> <li>दो अधिकारी जिनका स्तर उप निदेशक से कम नहीं होगा- सदस्य; और</li> <li>निदेशक (प्रशासन और मानव संसाधन), खादी और ग्रामोद्योग आयोग-संयोजक</li> </ol>	
--	---	---	---	--

		<p>की नियमित सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जो सीधी भर्ती के लिए स्तंभ (7) में विहित शैक्षिक अर्हताएँ रखते हों।</p> <p><b>नोट 1:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि (आईएसटीसी), जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>नोट 2:</b> ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>नोट 3:</b> इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p>		
--	--	---	--	--

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे-बैंड, ग्रेड-पे या वेतनमान	चयन या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15.	वरिष्ठ अनुवादक	03*(2016) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ख' अननुसचिवीय	पे-बैंड-2 (रु. 9300-34800) एवं ग्रेड-पे रु. 4200	चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीय। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं) <b>नोट 1:</b> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी। (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उपखंड,	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी में स्नातकोत्तर उपाधि, जिसके साथ डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय रहा हो या परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी रहा हो; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि, जिसके साथ डिग्री स्तर पर हिन्दी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय रहा हो या परीक्षा का माध्यम हिन्दी रहा हो; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी के अलावा हिन्दी माध्यम से किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, जिसके साथ डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य या

					<p>अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी अंतिम तारीख को छोड़कर)</p> <p><b>नोट 2:</b> आयु छूट का लाभ खादी और ग्रामोद्योग आयोग के केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो इन नियमों के अधीन शामिल किसी पद पर इन नियमों की अधिसूचना से पूर्व खादी और ग्रामोद्योग आयोग में नियुक्त थे।</p>	<p>वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी रहा हो; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी के अलावा अंग्रेजी माध्यम से किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, जिसके साथ डिग्री स्तर पर हिन्दी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम हिन्दी रहा हो; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, जिसके साथ डिग्री स्तर पर हिन्दी और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहे हों या दोनों में से कोई एक परीक्षा का माध्यम रहा हो और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो; और</p> <p>(ii) हिंदी से अंग्रेजी और विलोमतः अनुवाद में मान्यताप्राप्त डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स या केंद्रीय अथवा राज्य सरकार, भारत सरकार के उपक्रम सहित, में हिंदी से अंग्रेजी एवं विलोमतः अनुवाद कार्य में तीन वर्ष का अनुभव।</p> <p><b>नोट 1:</b> अर्हताएँ, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।</p> <p><b>नोट 2:</b> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएँ) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में तब शिथिल की जा सकती है, जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए</p>
--	--	--	--	--	---	--

						आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।
--	--	--	--	--	--	---

क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या प्रोन्नति द्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नतियाँ प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	(i) प्रोन्नति द्वारा; जिसके न होने पर (ii) प्रतिनियुक्ति द्वारा, इसमें लघु अवधि संविदा भी सम्मिलित है; जिसके न होने पर (iii) सीधी भर्ती द्वारा <b>नोट:</b> पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों को केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/सांविधिक प्राधिकरणों/स्वायत्तशासी निकायों के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।	<b>प्रोन्नति:</b> वरिष्ठ अनुवादक के रूप में संबन्धित ग्रेड में पे-बैंड-2 (रु. 9300-34800) एवं ग्रेड-पे रु. 4200 में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो। <b>नोट 1:</b> जहाँ पर ऐसे कनिष्ठ, जिन्होंने अपनी अर्हता या पात्रता सेवा पूर्ण कर ली हो, प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा हो, उनके वरिष्ठ पर भी प्रोन्नति के लिए विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हता/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से कम न हो, जो भी कम हो, उन्होंने अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति हेतु अपने कनिष्ठों के साथ-साथ परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हता/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है। <b>नोट 2:</b> प्रोन्नति के लिए न्यूनतम पात्रता सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006, अर्थात् उस तारीख जिस दिन से छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधित वेतनमान लागू किया गया था, के पहले की गयी नियमित सेवा के बारे में यह माना जाएगा कि ऐसी सेवा इस वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर लागू किए गए अनुरूप वेतनमान/विस्तारित वेतनमान में की	पुष्टि पर विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति 1. संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग-अध्यक्ष; 2. उप-निदेशक (राजभाषा), खादी और ग्रामोद्योग-सदस्य; 3. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधिकारी, जो उप-सचिव के स्तर से कम नहीं होंगे-सदस्य; 4. दो अधिकारी जिनका स्तर सहायक निदेशक ग्रेड-1 से कम नहीं होगा- सदस्य; और 5. निदेशक (प्रशासन और मानव संसाधन), खादी और ग्रामोद्योग आयोग-संयोजक	लागू नहीं होता

			<p>गयी है।</p> <p>प्रतिनियुक्ति, जिसमें लघु अवधि संविदा सम्मिलित है (आईएसटीसी): केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/सांविधिक प्राधिकरणों/स्वायत्तशासी निकायों के ऐसे अधिकारी;</p> <p>(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हों; या</p> <p>(ii) पे-बैंड-1 (रु. रु. 5200-20200) एवं ग्रेड-पे रु. 2800 में पद पर छः वर्ष की नियमित सेवा की हो; या</p> <p>(iii) जिन्होंने पे-बैंड-2(रु. रु. 5200-20200) एवं ग्रेड-पे रु. 2400 में पद पर दस वर्ष की नियमित सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जो सीधी भर्ती के लिए स्तंभ (7) में विहित शैक्षिक अर्हताएँ रखते हों।</p> <p><b>नोट 1:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि (आईएसटीसी), जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>नोट 2:</b> ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>नोट 3:</b> इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p>		
--	--	--	--	--	--

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे-बैंड, ग्रेड-पे या वेतनमान	चयन या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16.	कनिष्ठ अनुवादक	12*(2016) *(कार्यभार के आधार	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ख' अननुसचिवीय	पे-बैंड-2 (रु. 9300-	चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीय। खादी और	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी में स्नातकोत्तर उपाधि, जिसके

		पर परिवर्तन किया जा सकता है)		34800) एवं ग्रेड-पे रु. 4200	<p>ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं)</p> <p><b>नोट 1:</b> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी। (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी अंतिम तारीख को छोड़कर)</p> <p><b>नोट 2:</b> आयु छूट का लाभ खादी और ग्रामोद्योग आयोग के केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो इन नियमों के अधीन शामिल किसी पद पर इन नियमों की अधिसूचना से पूर्व खादी और ग्रामोद्योग आयोग में नियुक्त थे।</p>	<p>साथ डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय रहा हो या परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी रहा हो; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि, जिसके साथ डिग्री स्तर पर हिन्दी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय रहा हो या परीक्षा का माध्यम हिन्दी रहा हो; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी के अलावा हिन्दी माध्यम से किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, जिसके साथ डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी रहा हो; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी के अलावा अंग्रेजी माध्यम से किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, जिसके साथ डिग्री स्तर पर हिन्दी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम हिन्दी रहा हो; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, जिसके साथ डिग्री स्तर पर हिन्दी और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहे हों या दोनों में से कोई एक परीक्षा का माध्यम रहा हो और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो; और</p> <p>(ii) हिन्दी से अंग्रेजी और विलोमतः अनुवाद में मान्यताप्राप्त डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स या केंद्रीय अथवा राज्य सरकार, भारत</p>
--	--	------------------------------	--	------------------------------	--	---

						सरकार के उपक्रम सहित, में हिंदी से अंग्रेजी एवं विलोमतः अनुवाद कार्य में तीन वर्ष का अनुभव। <b>नोट 1:</b> अर्हताएँ, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। <b>नोट 2:</b> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएँ) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में तब शिथिल की जा सकती है, जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।
--	--	--	--	--	--	---

क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या प्रोन्नति द्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नतियाँ प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं।	पुष्टि पर विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति 1. संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग -अध्यक्ष; 2. उप-निदेशक (राजभाषा), खादी और ग्रामोद्योग -सदस्य; 3. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	लागू नहीं होता



				के अधिकारी, जो उप-सचिव के स्तर से कम नहीं होंगे -सदस्य ; 4. दो अधिकारी जिनका स्तर सहायक निदेशक ग्रेड-1 से कम नहीं होगा- सदस्य; और 5. निदेशक (प्रशासन और मानव संसाधन), खादी और ग्रामोद्योग आयोग -संयोजक	
--	--	--	--	--	--

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे-बैंड, ग्रेड-पे या वेतनमान	चयन या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17.	निजी सचिव	03*(2016) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ख' अनुसचिवीय	पे-बैंड-2 (रु. 9300-34800) एवं ग्रेड-पे रु. 4600	चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीय। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं) <b>नोट 1:</b> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निम्नलिखित तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी। (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी अंतिम तारीख को छोड़कर) <b>नोट 2:</b> आयु छूट का लाभ खादी और ग्रामोद्योग आयोग के केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो इन नियमों के अधीन शामिल किसी पद पर	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातक; (ii) कौशल परीक्षा मानदंड: (क) श्रुतलेखन (अंग्रेजी/हिंदी): 100 शब्द प्रति मिनट की दर से 10 मिनट (ख) प्रतिलेखन (कंप्यूटर पर): अंग्रेजी में 40 मिनट अथवा हिंदी में 55 मिनट; और (iii) आशुलिपि और कंप्यूटर प्रचालन में तीन वर्ष का अनुभव। <b>नोट 1:</b> अर्हताएँ, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। <b>नोट 2:</b> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएँ) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में तब शिथिल की जा सकती है, जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के

					इन नियमों की अधिसूचना से पूर्व खादी और ग्रामोद्योग आयोग में नियुक्त थे।	लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।
--	--	--	--	--	---	--

क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या प्रोन्नति द्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नतियाँ प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	(i) प्रोन्नति द्वारा; जिसके न होने पर (ii) प्रतिनियुक्ति द्वारा, इसमें लघु अवधि संविदा भी सम्मिलित है; जिसके न होने पर (iii) सीधी भर्ती द्वारा <b>नोट:</b> पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों को केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/सांविधिक प्राधिकरणों/स्वायत्तशासी निकायों के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।	<b>प्रोन्नति:</b> वैयक्तिक सहायक के रूप में संबन्धित ग्रेड में पे-बैंड-2 (रु. 9300-34800) एवं ग्रेड-पे रु. 4200 में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो। <b>नोट 1:</b> जहाँ पर ऐसे कनिष्ठ, जिन्होंने अपनी अर्हता या पात्रता सेवा पूर्ण कर ली हो, प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा हो, उनके वरिष्ठ पर भी प्रोन्नति के लिए विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हता/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से कम न हो, जो भी कम हो, उन्होंने अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति हेतु अपने कनिष्ठों के साथ-साथ परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हता/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है। <b>नोट 2:</b> प्रोन्नति के लिए न्यूनतम पात्रता सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006, अर्थात् उस तारीख जिस दिन से छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधित वेतनमान लागू किया गया था, के पहले की गयी नियमित सेवा के बारे में यह माना जाएगा कि ऐसी सेवा इस वेतन आयोग की सिफारिशों के	पुष्टि पर विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति 1. संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग - अध्यक्ष; 2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधिकारी, जो उप-सचिव के स्तर से कम नहीं होंगे - सदस्य; 3. दो अधिकारी जिनका स्तर सहायक निदेशक ग्रेड-1 से कम नहीं होगा- सदस्य; और 4. निदेशक (प्रशासन और मानव संसाधन), खादी और ग्रामोद्योग आयोग - संयोजक	लागू नहीं होता

		<p>आधार पर लागू किए गए अनुरूप वेतनमान/विस्तारित वेतनमान में की गयी है।</p> <p>प्रतिनियुक्ति, जिसमें लघु अवधि संविदा सम्मिलित है (आईएसटीसी): केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/सांविधिक प्राधिकरणों/स्वायत्तशासी निकायों के ऐसे अधिकारी;</p> <p>(क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हों; या</p> <p>(ii) पे-बैंड-2 (रु. 9300-34800) एवं ग्रेड-पे रु. 4200 में पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; या</p> <p>(iii) पे-बैंड-1 (रु. रु. 5200-20200) एवं ग्रेड-पे रु. 2800 में पद पर दस वर्ष की नियमित सेवा की हो; या</p> <p>(iii) <b>जिन्होंने</b> पे-बैंड-1(रु. 5200-20200) एवं ग्रेड-पे रु. 2400 में पद पर बारह वर्ष की नियमित सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जो सीधी भर्ती के लिए स्तंभ (7) में विहित शैक्षिक अर्हताएँ रखते हों।</p> <p><b>नोट 1:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि (आईएसटीसी), जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>नोट 2:</b> ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>नोट 3:</b> इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p>		
--	--	---	--	--

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे-बैंड, ग्रेड-पे या वेतनमान	चयन या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18.	वैयक्तिक सहायक	22*(2016)  *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	सामान्य  केंद्रीय सेवा समूह 'ख' अनुसूचित वीय	पे-बैंड-2 (रु. 9300- 34800) एवं ग्रेड- पे रु. 4200	चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीया खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं)  <b>नोट 1:</b> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निम्नलिखित तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी। (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी अंतिम तारीख को छोड़कर)  <b>नोट 2:</b> आयु छूट का लाभ खादी और ग्रामोद्योग आयोग के केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो इन नियमों के अधीन शामिल किसी पद पर इन नियमों की अधिसूचना से पूर्व खादी और ग्रामोद्योग आयोग में नियुक्त थे।	(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट (12वीं कक्षा) उत्तीर्ण;  (ii) कौशल परीक्षा मानदंड:  (क) श्रुतलेखन (अंग्रेजी/हिंदी):  100 शब्द प्रति मिनट की दर से 10 मिनट  (ख) प्रतिलेखन (कंप्यूटर पर): अंग्रेजी में 40 मिनट अथवा हिंदी में 55 मिनट; और  (iii) आशुलिपि और कंप्यूटर प्रचालन में तीन वर्ष का अनुभव  <b>नोट 1:</b> अर्हताएँ, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।  <b>नोट 2:</b> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएँ) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में तब शिथिल की जा सकती है, जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या प्रोन्नति द्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नतियाँ प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	<p>(i) प्रोन्नति द्वारा; जिसके न होने पर</p> <p>(ii) प्रतिनियुक्ति द्वारा, इसमें लघु अवधि संविदा भी सम्मिलित है; जिसके न होने पर</p> <p>(iii) सीधी भर्ती द्वारा</p> <p><b>नोट:</b> पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों को केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/सांविधिक प्राधिकरणों/स्वायत्तशासी निकायों के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।</p>	<p><b>प्रोन्नति:</b> आशुलिपिक ग्रेड- घ के रूप में संबन्धित ग्रेड में पे-बैंड-1 (रु. 5200-20200) एवं ग्रेड-पे रु. 2800 में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p><b>नोट 1:</b> जहाँ पर ऐसे कनिष्ठ, जिन्होंने अपनी अर्हता या पात्रता सेवा पूर्ण कर ली हो, प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा हो, उनके वरिष्ठ पर भी प्रोन्नति के लिए विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हता/पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से कम न हो, जो भी कम हो, उन्होंने अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति हेतु अपने कनिष्ठों के साथ-साथ परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हता/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।</p> <p><b>नोट 2:</b> प्रोन्नति के लिए न्यूनतम पात्रता सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006, अर्थात् उस तारीख जिस दिन से छोटे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधित वेतनमान लागू किया गया था, के पहले की गयी नियमित सेवा के बारे में यह माना जाएगा कि ऐसी सेवा इस वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर लागू किए गए अनुरूप वेतनमान/विस्तारित वेतनमान में की गयी है।</p> <p>प्रतिनियुक्ति, जिसमें लघु अवधि संविदा सम्मिलित है (आईएसटीसी): केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/सांविधिक प्राधिकरणों/स्वायत्तशासी निकायों के ऐसे अधिकारी;</p> <p>(क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश्य</p>	<p>पुष्टि पर विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग-अध्यक्ष;</li> <li>2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधिकारी, जो उप-सचिव के स्तर से कम नहीं होंगे-सदस्य;</li> <li>3. दो अधिकारी जिनका स्तर सहायक निदेशक ग्रेड-1 से कम नहीं होगा- सदस्य; और</li> <li>4. निदेशक (प्रशासन और मानव संसाधन), खादी और ग्रामोद्योग आयोग-संयोजक</li> </ol>	लागू नहीं होता

			<p>पद धारण किए हुए हों ; या</p> <p>(ii) पे-बैंड-1 (रु. रु. 5200-20200) एवं ग्रेड-पे रु. 2800 में पद पर छः वर्ष की नियमित सेवा की हो; या</p> <p>(iii) <b>जिन्होंने</b> पे-बैंड-1(रु. 5200-20200) एवं ग्रेड-पे रु. 2400 में पद पर दस वर्ष की नियमित सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जो सीधी भर्ती के लिए स्तंभ (7) में विहित शैक्षिक अर्हताएँ रखते हों।</p> <p><b>नोट 1:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि (आईएसटीसी), जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>नोट 2:</b> ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>नोट 3:</b> इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p>		
--	--	--	--	--	--

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे-बैंड, ग्रेड-पे या वेतनमान	चयन या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
19.	आशुलिपिक श्रेणी-घ	48*(2016) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अनुसचिवीय	पे-बैंड-1 (रु. 5200-20200) एवं ग्रेड-पे रु. 2400	लागू नहीं।	25 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीया खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं) <b>नोट 1:</b> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी। (असम, मेघालय,	(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट (12वीं कक्षा) उत्तीर्ण; (ii) कौशल परीक्षा मानदंड: (क) श्रुतलेखन (अंग्रेजी/हिंदी): 80 शब्द प्रति मिनट की दर से 10 मिनट (ख) प्रतिलेखन (कंप्यूटर पर): अंग्रेजी में 50 मिनट अथवा हिंदी में 65 मिनट। <b>नोट 1:</b> अर्हताएँ, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के

					<p>अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी अंतिम तारीख को छोड़कर)</p> <p><b>नोट 2:</b> आयु छूट का लाभ खादी और ग्रामोद्योग आयोग के केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो इन नियमों के अधीन शामिल किसी पद पर इन नियमों की अधिसूचना से पूर्व खादी और ग्रामोद्योग आयोग में नियुक्त थे।</p>	मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।
--	--	--	--	--	---	--

क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या प्रोन्नतिद्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नतियाँ प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं।	पुष्टि पर विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति 1. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग-अध्यक्ष; 2. दो अधिकारी जिनका स्तर सहायक निदेशक ग्रेड-1 से कम नहीं होगा- सदस्य; और 3. निदेशक (प्रशासन और मानव संसाधन), खादी और ग्रामोद्योग आयोग-संयोजक	लागू नहीं होता

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे-बैंड, ग्रेड-पे या वेतनमान	चयन या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20.	प्रचार अधिकारी	7*(2016) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ख' अननुसचिवीय	पे-बैंड-2 (रु. 9300-34800) एवं ग्रेड-पे रु. 4200	चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीया खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं) <b>नोट 1:</b> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी। (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी अंतिम तारीख को छोड़कर) <b>नोट 2:</b> आयु छूट का लाभ खादी और ग्रामोद्योग आयोग के केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो इन नियमों के अधीन शामिल किसी पद पर इन नियमों की अधिसूचना से पूर्व खादी और ग्रामोद्योग आयोग में नियुक्त थे।	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड/संस्थान से पत्रकारिता में डिप्लोमा सहित स्नातक डिग्री; या (ii) पत्रकारिता में स्नातक डिग्री; और (iii) किसी प्रतिष्ठित संगठन में प्रकाशन/संपादकीय प्रोफ रीडिंग/ लेखन/समाचार सामग्री का सम्पादन/हिंदी से अंग्रेजी एवं विलोमतः अनुवाद/समाचार सामग्री की रूपरेखा तैयार करने का तीन वर्ष का अनुभव। या (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री और किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से फोटोग्राफी अथवा माइक्रो-फोटोग्राफी में डिप्लोमा (जिसकी अवधि कम से कम 06 माह होनी चाहिए) (ii) किसी प्रतिष्ठित संगठन में फोटो डेवलपिंग और प्रिंटिंग में तीन वर्ष का अनुभव। या (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक डिग्री या पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा सहित स्नातक डिग्री; और (ii) किसी प्रतिष्ठित संगठन में पुस्तकालय अथवा रीडिंग रूम में तीन वर्ष का अनुभव। या (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से मुद्रण प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री/डिप्लोमा (तीन वर्ष की अवधि) और (ii) किसी प्रकाशन गृह में कार्य करने का तीन वर्ष का अनुभव



						<p>और किसी प्रतिष्ठित संगठन में पत्रिका मुद्रण तथा प्रकाशन का ज्ञान; या</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अप्लाइड आर्ट में स्नातक डिग्री अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अप्लाइड/कमर्शियल आर्ट्स (03 वर्ष की अवधि) में डिप्लोमा; और</p> <p>(ii) किसी प्रतिष्ठित संगठन में कलाकृति की डिजाइन तैयार करना और ग्राफिक, फोटोग्राफिक, लेटर प्रेस के माध्यम से ब्लॉक बनाने हेतु रिप्रोडक्शन, सिनेमा, स्लाइड, डिस्प्ले, ब्लॉक बनाने, साइट सेटिंग, प्रदर्शनी आदि आयोजित करने संबंधी तीन वर्ष का अनुभव।</p> <p><b>वांछनीय:</b> कम्प्यूटर अनुप्रयोग विशेष रूप से फोटोशॉप/कोरल ड्रा/इलस्ट्रेटर/मल्टीमीडिया/क्वार्क एक्सप्रेस का ज्ञान</p> <p><b>नोट 1:</b> अर्हताएँ, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p><b>नोट 2:</b> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएँ) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में तब शिथिल की जा सकती है, जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>
--	--	--	--	--	--	---

क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या प्रोन्नति द्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नतियाँ प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	<p>(i) 75% सीधी भर्ती द्वारा।</p> <p>(ii) 25% प्रोन्नति द्वारा; जिसके न होने पर</p> <p>(iii) प्रतिनियुक्ति द्वारा, इसमें लघु अवधि संविदा भी सम्मिलित है; जिसके न होने पर</p> <p>(iii) सीधी भर्ती द्वारा</p> <p><b>नोट:</b> पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों को केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/सांविधिक प्राधिकरणों/स्वायत्तशासी निकायों के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।</p>	<p><b>प्रोन्नति:</b></p> <p>प्रचार सहायक-1 के रूप में संबन्धित ग्रेड में पे-बैंड-1 (रु. 5200-20200) एवं ग्रेड-पे रु. 2800 में छः वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p><b>नोट 1:</b> जहाँ पर ऐसे कनिष्ठ, जिन्होंने अपनी अर्हता या पात्रता सेवा पूर्ण कर ली हो, प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा हो, उनके वरिष्ठ पर भी प्रोन्नति के लिए विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हता/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से कम न हो, जो भी कम हो, उन्होंने अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति हेतु अपने कतिष्ठों के साथ-साथ परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हता/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।</p> <p><b>नोट 2:</b> प्रोन्नति के लिए न्यूनतम पात्रता सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006, अर्थात् उस तारीख जिस दिन से छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधित वेतनमान लागू किया गया था, के पहले की गयी नियमित सेवा के बारे में यह माना जाएगा कि ऐसी सेवा इस वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर लागू किए गए अनुरूप वेतनमान/विस्तारित वेतनमान में की गयी है।</p> <p>प्रतिनियुक्ति, जिसमें लघु अवधि संविदा सम्मिलित है (आईएसटीसी): केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/सांविधिक प्राधिकरणों/स्वायत्तशासी निकायों के ऐसे अधिकारी;</p>	<p>पुष्टि पर विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग-अध्यक्ष;</li> <li>2. निदेशक (प्रचार), खादी और ग्रामोद्योग आयोग-सदस्य</li> <li>3. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधिकारी, जो उप-सचिव के स्तर से कम नहीं होंगे-सदस्य;</li> <li>4. दो अधिकारी जिनका स्तर सहायक निदेशक ग्रेड-1 से कम नहीं होगा- सदस्य; और</li> <li>5. निदेशक (प्रशासन और मानव संसाधन), खादी और ग्रामोद्योग आयोग-संयोजक</li> </ol>	लागू नहीं होता

			<p>(क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हों; या</p> <p>(ii) पे-बैंड-1 (रु. रु. 5200-20200) एवं ग्रेड-पे रु. 2800 में पद पर छः वर्ष की नियमित सेवा की हो; या</p> <p>(iii) जिन्होंने पे-बैंड-1(रु. 5200-20200) एवं ग्रेड-पे रु. 2400 में पद पर दस वर्ष की नियमित सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जो सीधी भर्ती के लिए स्तंभ (7) में विहित शैक्षिक अर्हताएँ रखते हों।</p> <p><b>नोट 1:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि (आईएसटीसी), जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>नोट 2:</b> ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>नोट 3:</b> इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p>		
--	--	--	--	--	--

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे-बैंड, ग्रेड-पे या वेतनमान	चयन या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
21.	प्रचार सहायक-I	2*(2016) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अननुसूचित वीय	पे-बैंड-2 (रु. 5200-20200) एवं ग्रेड-पे रु. 2800	अचयन	27 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीय। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं) <b>नोट 1:</b> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड/संस्थान से पत्रकारिता में डिप्लोमा सहित स्नातक डिग्री; या (ii) पत्रकारिता में स्नातक डिग्री; या (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अप्लाइड

					<p>अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी। (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी अंतिम तारीख को छोड़कर)</p> <p><b>नोट 2:</b> आयु छूट का लाभ खादी और ग्रामोद्योग आयोग के केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो इन नियमों के अधीन शामिल किसी पद पर इन नियमों की अधिसूचना से पूर्व खादी और ग्रामोद्योग आयोग में नियुक्त थे।</p>	<p>आई में स्नातक डिग्री अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से अप्लाइड/ कर्मशियल आर्ट्स (03 वर्ष की अवधि) में डिप्लोमा।</p> <p><b>वांछनीय:</b> कम्प्यूटर अनुप्रयोग विशेष रूप से फॉटोशॉप/कोरल ड्रा /इलस्ट्रेटर/ मल्टीमीडिया/क्वार्क एक्सप्रेस का ज्ञान</p> <p><b>नोट 1:</b> अर्हताएँ, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p>
--	--	--	--	--	--	---

क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या प्रोन्नति द्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नतिया प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	<p>(i) 50% सीधी भर्ती द्वारा।</p> <p>(ii) 50% प्रोन्नति द्वारा; जिसके न होने पर</p> <p>(iii) प्रतिनियुक्ति द्वारा, इसमें लघु अवधि संविदा भी सम्मिलित है; जिसके न होने पर</p> <p>(iii) सीधी भर्ती द्वारा</p> <p><b>नोट:</b> पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर</p>	<p><b>प्रोन्नति:</b> प्रचार सहायक-II के रूप में संबन्धित ग्रेड में पे-बैंड-1 (रु. 5200-20200) एवं ग्रेड-पे रु. 1900 में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p><b>नोट 1:</b> जहाँ पर ऐसे कनिष्ठ, जिन्होंने अपनी अर्हता या पात्रता सेवा पूर्ण कर ली हो, प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा हो, उनके वरिष्ठ पर भी प्रोन्नति के लिए विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हता/पात्रता</p>	<p>पुष्टि पर विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति</p> <p>1. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग-अध्यक्ष;</p> <p>2. निदेशक (प्रचार), खादी और ग्रामोद्योग आयोग-सदस्य</p>	लागू नहीं होता

		<p>स्थानांतरित या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों को केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/सांविधिक प्राधिकरणों/स्वायत्तशासी निकायों के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।</p>	<p>सेवा, अपेक्षित अर्हता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से कम न हो, जो भी कम हो, उन्होंने अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति हेतु अपने कनिष्ठों के साथ-साथ परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हता/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।</p> <p><b>नोट 2:</b> प्रोन्नति के लिए न्यूनतम पात्रता सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006, अर्थात् उस तारीख जिस दिन से छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधित वेतनमान लागू किया गया था, के पहले की गयी नियमित सेवा के बारे में यह माना जाएगा कि ऐसी सेवा इस वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर लागू किए गए अनुरूप वेतनमान/विस्तारित वेतनमान में की गयी है।</p> <p>प्रतिनियुक्ति, जिसमें लघु अवधि संविदा सम्मिलित है (आईएसटीसी): केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/सांविधिक प्राधिकरणों/स्वायत्तशासी निकायों के ऐसे अधिकारी;</p> <p>(क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हों; या</p> <p>(ii) पे-बैंड-1 (रु. रु. 5200-20200) एवं ग्रेड-पे रु. 2400 में पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; या</p> <p>(iii) जिन्होंने पे-बैंड-1(रु. 5200-20200) एवं ग्रेड-पे रु. 1900 में पद पर दस वर्ष की नियमित सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जो सीधी भर्ती के लिए स्तंभ (7) में विहित शैक्षिक अर्हताएँ रखते हों।</p> <p><b>नोट 1:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि (आईएसटीसी), जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा</p>	<p>3. दो अधिकारी जिनका स्तर सहायक निदेशक ग्रेड-1 से कम नहीं होगा- सदस्य; और</p> <p>4. निदेशक (प्रशासन और मानव संसाधन), खादी और ग्रामोद्योग आयोग-संयोजक</p>	
--	--	---	---	--	--

			<p>आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>नोट 2:</b> ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>नोट 3:</b> इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p>		
--	--	--	---	--	--

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे-बैंड, ग्रेड-पे या वेतनमान	चयन या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षितशैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
22.	प्रचार सहाय- II	1*(2016) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग'अननुसचिवीय	पे-बैंड-1 (रु. 5200-20200) एवं ग्रेड-पे रु. 1900	लागू नहीं।	<p>18 और 25 वर्ष के बीच (सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीय। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं)</p> <p><b>नोट 1:</b> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी। (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी अंतिम तारीख को छोड़कर)</p> <p><b>नोट 2:</b> आयु छूट का लाभ खादी और ग्रामोद्योग आयोग के केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो इन नियमों के अधीन शामिल किसी पद पर इन नियमों की अधिसूचना से</p>	<p>(i) पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा सहित किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से बारहवीं उत्तीर्ण; और</p> <p>(ii) किसी प्रतिष्ठित संगठन के पुस्तकालय में दो वर्ष का अनुभव; या</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड/संस्थान से पत्रकारिता में डिप्लोमा; या किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से अप्लाइड/ कर्माशियल आर्ट्स (03 वर्ष की अवधि) में डिप्लोमा।</p> <p><b>वांछनीय:</b> कम्प्यूटर अनुप्रयोग विशेष रूप से फॉटोशॉप/कोरल ड्रॉ /इलस्ट्रेटर/ मल्टीमीडिया/क्वार्क एक्सप्रेस का ज्ञान</p> <p><b>नोट 1:</b> अर्हताएँ, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p><b>नोट 2:</b> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएँ) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में तब शिथिल की जा सकती है, जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की</p>

						पूर्व खादी और ग्रामोद्योग आयोग में नियुक्त थे।	यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।
--	--	--	--	--	--	--	---

क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या प्रोन्नति द्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नतियाँ प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं।	पुष्टि पर विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति 1. उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग-अध्यक्ष; 2. निदेशक (प्रचार), खादी और ग्रामोद्योग आयोग-सदस्य 3. दो अधिकारी जिनका स्तर सहायक निदेशक ग्रेड-1 से कम नहीं होगा- सदस्य; और 4. निदेशक (प्रशासन और मानव संसाधन), खादी और ग्रामोद्योग आयोग-संयोजक	लागू नहीं होता

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे-बैंड, ग्रेड-पे या वेतनमान	चयन या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
23.	प्रबन्धक-सह-लेखाकार	1*(2016) *(कार्यभार के आधार	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अननुसचिवीय	पे-बैंड-1 (रु. 5200-	अचयन	27 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक	(i) किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड/संस्थान से होटल/आतिथ्य

		पर परिवर्तन किया जा सकता है)		20200) एवं ग्रेड-पे रु. 2400	<p>शिथिलनीय। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं)</p> <p><b>नोट 1:</b> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी। (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी अंतिम तारीख को छोड़कर)</p> <p><b>नोट 2:</b> आयु छूट का लाभ खादी और ग्रामोद्योग आयोग के केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो इन नियमों के अधीन शामिल किसी पद पर इन नियमों की अधिसूचना से पूर्व खादी और ग्रामोद्योग आयोग में नियुक्त थे।</p>	<p>प्रबंधन में डिग्री/डिप्लोमा और</p> <p>(ii) संबद्ध क्षेत्र में 03 वर्षका अनुभव।</p> <p><b>नोट 1:</b> अर्हताएँ, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p><b>नोट 2:</b> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएँ) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में तब शिथिल की जा सकती है, जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>
--	--	------------------------------	--	------------------------------	--	---

क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या प्रोन्नतिद्वारा या आमेसन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नतिया प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	(i) प्रोन्नति द्वारा; जिसके न होने पर (ii) प्रतिनियुक्ति द्वारा, इसमें लघु अवधि संविदा भी सम्मिलित है;	<b>प्रोन्नति:</b> सहायक प्रबंधक-सह-स्टोर कीपर के रूप में संबन्धित ग्रेड में पे-बैंड-1 (रु. 5200-20200) एवं ग्रेड-पे रु. 2000 में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो।	पुष्टि पर विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति 1. उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी,	लागू नहीं होता



	<p>जिसके न होने पर (iii) सीधी भर्ती द्वारा।</p> <p><b>नोट:</b> पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों को केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/सांविधिक प्राधिकरणों/स्वायत्तशासी निकायों के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।</p>	<p><b>नोट 1:</b> जहां पर ऐसे कनिष्ठ, जिन्होंने अपनी अर्हता या पात्रता सेवा पूर्ण कर ली हो, प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा हो, उनके वरिष्ठ पर भी प्रोन्नति के लिए विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हता/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से कम न हो, जो भी कम हो, उन्होंने अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति हेतु अपने कनिष्ठों के साथ-साथ परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हता/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।</p> <p><b>नोट 2:</b> प्रोन्नति के लिए न्यूनतम पात्रता सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006, अर्थात् उस तारीख जिस दिन से छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधित वेतनमान लागू किया गया था, के पहले की गयी नियमित सेवा के बारे में यह माना जाएगा कि ऐसी सेवा इस वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर लागू किए गए अनुरूप वेतनमान/विस्तारित वेतनमान में की गयी है।</p> <p>प्रतिनियुक्ति, जिसमें लघु अवधि संविदा सम्मिलित है (आईएसटीसी): केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/सांविधिक प्राधिकरणों/स्वायत्तशासी निकायों के ऐसे अधिकारी;</p> <p>(क)(i) जो नियमित आधार पर सद्‌श्य पद धारण किए हुए हों; या</p> <p>(ii) जिन्होंने पे-बैंड-1 (रु. रु. 5200-20200) एवं ग्रेड-पे रु. 2000 में पद पर दो वर्ष की नियमित सेवा की हो; या</p> <p>(iii) जिन्होंने पे-बैंड-1(रु. 5200-20200) एवं ग्रेड-पे रु. 1900 में पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; या</p> <p>(iv) जिन्होंने पे-बैंड-1(रु. 5200-20200) एवं ग्रेड-पे रु. 1900 में पद पर आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो; और</p>	<p>खादी और ग्रामोद्योग आयोग-अध्यक्ष;</p> <p>2. निदेशक (संपदा और सेवा), खादी और ग्रामोद्योग आयोग-सदस्य</p> <p>3. दो अधिकारी जिनका स्तर सहायक निदेशक ग्रेड-1 से कम नहीं होगा- सदस्य; और</p> <p>4. निदेशक (प्रशासन और मानव संसाधन), खादी और ग्रामोद्योग आयोग-संयोजक</p>	
--	--	--	--	--

			<p>(ख) जो सीधी भर्ती के लिए स्तंभ (7) में विहित शैक्षिक अर्हताएँ रखते हों।</p> <p><b>नोट 1:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि (आईएसटीसी), जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>नोट 2:</b> ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>नोट 3:</b> इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p>		
--	--	--	---	--	--

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे-बैंड, ग्रेड-पे या वेतनमान	चयन या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
24.	सहायक प्रबन्धक-सह-स्टोर कीपर	1*(2016) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग'अननुसचिवीय	पे-बैंड-1 (रु. 5200-20200) एवं ग्रेड-पे रु. 2000	अचयन	<p>27 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीय। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं)</p> <p><b>नोट 1:</b> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी। (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उपखंड,</p>	<p>(i) किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड/संस्थान से होटल/आतिथ्य प्रबंधन में डिग्री/डिप्लोमा और</p> <p><b>नोट 1:</b> अर्हताएँ, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p>

						<p>अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी अंतिम तारीख को छोड़कर)</p> <p><b>नोट 2:</b> आयु छूट का लाभ खादी और ग्रामोद्योग आयोग के केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो इन नियमों के अधीन शामिल किसी पद पर इन नियमों की अधिसूचना से पूर्व खादी और ग्रामोद्योग आयोग में नियुक्त थे।</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या प्रोन्नतिद्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नतियाँ प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	<p>(i) प्रोन्नति द्वारा; जिसके न होने पर</p> <p>(ii) प्रतिनियुक्ति द्वारा, इसमें लघु अवधि संविदा भी सम्मिलित है; जिसके न होने पर</p> <p>(iii) सीधी भर्ती द्वारा।</p> <p><b>नोट:</b> पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों को केंद्रीय सरकार/ राज्य सरकार/ सांविधिक प्राधिकरणों/ स्वायत्तशासी निकायों के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।</p>	<p><b>प्रोन्नति:</b> लिपिक के पद पर संबन्धित ग्रेड में पे-बैंड-1 (रु. 5200-20200) एवं ग्रेड-पे रु. 1900 में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p><b>नोट 1:</b> जहाँ पर ऐसे कनिष्ठ, जिन्होंने अपनी अर्हता या पात्रता सेवा पूर्ण कर ली हो, प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा हो, उनके वरिष्ठ पर भी प्रोन्नति के लिए विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हता/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से कम न हो, जो भी कम हो, उन्होंने अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति हेतु अपने कनिष्ठों के साथ-साथ परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हता/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।</p> <p><b>नोट 2:</b> प्रोन्नति के लिए न्यूनतम पात्रता सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006, अर्थात् उस</p>	<p>पुष्टि पर विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति</p> <p>1. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग-अध्यक्ष;</p> <p>2. निदेशक (संपदा और सेवा), खादी और ग्रामोद्योग आयोग-सदस्य</p> <p>3. दो अधिकारी जिनका स्तर सहायक निदेशक ग्रेड-1 से कम नहीं होगा- सदस्य; और</p> <p>4. निदेशक (प्रशासन और मानव संसाधन), खादी और ग्रामोद्योग आयोग-संयोजक</p>	लागू नहीं होता

		<p>तारीख जिस दिन से छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधित वेतनमान लागू किया गया था, के पहले की गयी नियमित सेवा के बारे में यह माना जाएगा कि ऐसी सेवा इस वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर लागू किए गए अनुरूप वेतनमान/विस्तारित वेतनमान में की गयी है।</p> <p>प्रतिनियुक्ति, जिसमें लघु अवधि संविदा सम्मिलित है (आईएसटीसी): केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/सांविधिक प्राधिकरणों/स्वायत्तशासी निकायों के ऐसे अधिकारी;</p> <p>(क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हों ; या</p> <p>(ii) जिन्होंने पे-बैंड-1 (रु. रु. 5200-20200) एवं ग्रेड-पे रु. 1900 में पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; या</p> <p>(iii) जिन्होंने पे-बैंड-1(रु. 5200-20200) एवं ग्रेड-पे रु. 1800 में पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो;</p> <p>और</p> <p>(ख) जो सीधी भर्ती के लिए स्तंभ (7) में विहित शैक्षिक अर्हताएँ रखते हों।</p> <p><b>नोट 1:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि (आईएसटीसी), जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>नोट 2:</b> ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>नोट 3:</b> इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p>		
--	--	--	--	--

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे-बैंड, ग्रेड-पे या वेतनमान	चयन या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षितशैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
25.	लिपिक	3*(2016) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अननुसचिवीय	पे-बैंड-1 (रु. 5200-20200) एवं ग्रेड-पे रु. 1900	लागू नहीं।	25 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीय। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं) <b>नोट 1:</b> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी। (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी अंतिम तारीख को छोड़कर) <b>नोट 2:</b> आयु छूट का लाभ खादी और ग्रामोद्योग आयोग के केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो इन नियमों के अधीन शामिल किसी पद पर इन नियमों की अधिसूचना से पूर्व खादी और ग्रामोद्योग आयोग में नियुक्त थे।	(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट (12वीं कक्षा उत्तीर्ण); या (ii) किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड/संस्थान से होटल/आतिथ्य प्रबंधन में डिग्री/डिप्लोमा और <b>नोट 1:</b> अर्हताएँ, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिचीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या प्रोन्नतिद्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नतियाँ प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं।	पुष्टि पर विचार करने के लिए समूह 'ग'	लागू नहीं होता

				विभागीय प्रोन्नति समिति : 1. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग-अध्यक्ष; 2. निदेशक (संपदा और सेवा), खादी और ग्रामोद्योग आयोग-सदस्य 3. दो अधिकारी जिनका स्तर सहायक निदेशक ग्रेड-1 से कम नहीं होगा- सदस्य; और 4. निदेशक (प्रशासन और मानव संसाधन), खादी और ग्रामोद्योग आयोग-संयोजक	
--	--	--	--	---	--

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे-बैंड, ग्रेड-पे या वेतनमान	चयन या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षितशैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
26.	मुख्य रसोइया	1*(2016) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग'अननुसचिवीय	पे-बैंड-1 (रु. 5200-20200) एवं ग्रेड-पे रु. 2400	अचयन	27 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीय। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं) <b>नोट 1:</b> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी। (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उपखंड,	(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मेट्रिक (10वीं कक्षा उत्तीर्ण);और (ii) पाक-कलामें निपुणता सहित तीन वर्ष का अनुभव। <b>नोट 1:</b> अर्हताएँ, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। <b>नोट 2:</b> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएँ) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में तब शिथिल की जा सकती है, जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय

					अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी अंतिम तारीख को छोड़कर) <b>नोट 2:</b> आयु छूट का लाभ खादी और ग्रामोद्योग आयोग के केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो इन नियमों के अधीन शामिल किसी पद पर इन नियमों की अधिसूचना से पूर्व खादी और ग्रामोद्योग आयोग में नियुक्त थे।	है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।
--	--	--	--	--	--	--

क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या प्रोन्नति द्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नतियाँ प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	(i) प्रोन्नति द्वारा; जिसके न होने पर (ii) प्रतिनियुक्ति द्वारा, इसमें लघु अवधि संविदा भी सम्मिलित है; जिसके न होने पर (iii) सीधी भर्ती द्वारा। <b>नोट:</b> पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों को केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/सांविधिक प्राधिकरणों/स्वायत्तशासी निकायों के ऐसे अधिकारियों में से	<b>प्रोन्नति:</b> हलवाई-सह-रसोइया के रूप में संबन्धित ग्रेड में पे-बैंड-1 (रु. 5200-20200) एवं ग्रेड-पे रु. 2000 में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो। <b>नोट 1:</b> जहाँ पर ऐसे कनिष्ठ, जिन्होंने अपनी अर्हता या पात्रता सेवा पूर्ण कर ली हो, प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा हो, उनके वरिष्ठ पर भी प्रोन्नति के लिए विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हता/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से कम न हो, जो भी कम हो, उन्होंने अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति हेतु अपने कनिष्ठों के साथ-साथ परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हता/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है। <b>नोट 2:</b> प्रोन्नति के लिए न्यूनतम पात्रता सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01	पुष्टि पर विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति 1. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग-अध्यक्ष; 2. निदेशक (संपदा और सेवा), खादी और ग्रामोद्योग आयोग-सदस्य 3. दो अधिकारी जिनका स्तर सहायक निदेशक ग्रेड-1 से कम नहीं होगा- सदस्य; और 4. निदेशक (प्रशासन और मानव संसाधन), खादी और ग्रामोद्योग आयोग-संयोजक	लागू नहीं होता

		<p>प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।</p> <p>जनवरी, 2006, अर्थात् उस तारीख जिस दिन से छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधित वेतनमान लागू किया गया था, के पहले की गयी नियमित सेवा के बारे में यह माना जाएगा कि ऐसी सेवा इस वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर लागू किए गए अनुरूप वेतनमान/विस्तारित वेतनमान में की गयी है।</p> <p>प्रतिनियुक्ति, जिसमें लघु अवधि संविदा सम्मिलित है (आईएसटीसी): केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/सांविधिक प्राधिकरणों/स्वायत्तशासी निकायों के ऐसे अधिकारी;</p> <p>(क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हों; या</p> <p>(ii) जिन्होंने पे-बैंड-1 (रु. रु. 5200-20200) एवं ग्रेड-पे रु. 2000 में पद पर दो वर्ष की नियमित सेवा की हो; या</p> <p>(iii) जिन्होंने पे-बैंड-1 (रु. 5200-20200) एवं ग्रेड-पे रु. 1900 में पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; या</p> <p>(iv) जिन्होंने पे-बैंड-1 (रु. रु. 5200-20200) एवं ग्रेड-पे रु. 1800 में पद पर आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो;</p> <p>और</p> <p>(ख) जो सीधी भर्ती के लिए स्तंभ (7) में विहित शैक्षिक अर्हताएँ रखते हों।</p> <p><b>नोट 1:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि (आईएसटीसी), जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>नोट 2:</b> ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p>		
--	--	---	--	--



			<b>नोट 3:</b> इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।		
--	--	--	--	--	--

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे-बैंड, ग्रेड-पे या वेतनमान	चयन या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
27.	हलवाई-सह-रसोइया	1*(2016) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अनुसूचित वीय	पे-बैंड-1 (रु. 5200-20200) एवं ग्रेड-पे रु. 2000	अचयन	25 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीय। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं) <b>नोट 1:</b> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी। (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी अंतिम तारीख को छोड़कर) <b>नोट 2:</b> आयु छूट का लाभ खादी और ग्रामोद्योग आयोग के केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो इन नियमों के अधीन शामिल किसी पद पर इन नियमों की अधिसूचना से पूर्व खादी और ग्रामोद्योग आयोग में नियुक्त थे।	(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मेट्रिक (10वीं कक्षा उत्तीर्ण); और (ii) पाक-कला में निपुणता सहित दो वर्ष का अनुभव। <b>नोट 1:</b> अर्हताएँ, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। <b>नोट 2:</b> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएँ) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में तब शिथिल की जा सकती है, जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या प्रोन्नतिद्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नतियाँ प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	<p>(i) प्रोन्नति द्वारा; जिसके न होने पर</p> <p>(ii) प्रतिनियुक्ति द्वारा, इसमें लघु अवधि संविदा भी सम्मिलित है; जिसके न होने पर</p> <p>(iii) सीधी भर्ती द्वारा।</p> <p><b>नोट:</b> पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों को केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/सांविधिक प्राधिकरणों/स्वायत्तशासी निकायों के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।</p>	<p><b>प्रोन्नति:</b> सहायक हलवाई-सह-रसोइया के रूप में संबन्धित ग्रेड में पे-बैंड-1 (रु. 5200-20200) एवं ग्रेड-पे रु. 1900 में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p><b>नोट 1:</b> जहां पर ऐसे कनिष्ठ, जिन्होंने अपनी अर्हता या पात्रता सेवा पूर्ण कर ली हो, प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा हो, उनके वरिष्ठ पर भी प्रोन्नति के लिए विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हता/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से कम न हो, जो भी कम हो, उन्होंने अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति हेतु अपने कनिष्ठों के साथ-साथ परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हता/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।</p> <p><b>नोट 2:</b> प्रोन्नति के लिए न्यूनतम पात्रता सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006, अर्थात् उस तारीख जिस दिन से छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधित वेतनमान लागू किया गया था, के पहले की गयी नियमित सेवा के बारे में यह माना जाएगा कि ऐसी सेवा इस वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर लागू किए गए अनुरूप वेतनमान/विस्तारित वेतनमान में की गयी है।</p> <p>प्रतिनियुक्ति, जिसमें लघु अवधि संविदा सम्मिलित है (आईएसटीसी): केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/</p>	<p>पुष्टि पर विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग-अध्यक्ष;</li> <li>निदेशक (संपदा और सेवा), खादी और ग्रामोद्योग आयोग-सदस्य</li> <li>दो अधिकारी जिनका स्तर सहायक निदेशक ग्रेड-1 से कम नहीं होगा- सदस्य; और</li> <li>निदेशक (प्रशासन और मानव संसाधन), खादी और ग्रामोद्योग आयोग-संयोजक</li> </ol>	लागू नहीं होता

			<p>सांविधिक प्राधिकरणों/स्वायत्तशासी निकायों के ऐसे अधिकारी;</p> <p>(क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हों; या</p> <p>(i) जिन्होंने पे-बैंड-1(रु. 5200-20200) एवं ग्रेड-पे रु. 1900 में पद पर तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; या</p> <p>(ii) जिन्होंने पे-बैंड-1 (रु. रु. 5200-20200) एवं ग्रेड-पे रु. 1800 में पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो;</p> <p>और</p> <p>(ख) जो सीधी भर्ती के लिए स्तंभ (7) में विहित शैक्षिक अर्हताएँ रखते हों।</p> <p><b>नोट 1:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि (आईएसटीसी), जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>नोट 2:</b> ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>नोट 3:</b> इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p>		
--	--	--	---	--	--

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे-बैंड, ग्रेड-पे या वेतनमान	चयन या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
28.	सहायक हलवाई-सह-रसोइया	3*(2016) *(कार्यभार के आधार पर	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग'अननुसचिवीय	पे-बैंड-1 (रु. 5200-20200)	लागू नहीं।	25 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीया खादी और ग्रामोद्योग आयोग	(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मेट्रिक (10वीं कक्षा उत्तीर्ण); और (ii) पाक-कला में निपुणता

		परिवर्तन किया जा सकता है)		एवं ग्रेड- पे रु. 1900	<p>के कर्मचारियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं)</p> <p><b>नोट 1:</b> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी। (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी अंतिम तारीख को छोड़कर)</p> <p><b>नोट 2:</b> आयु छूट का लाभ खादी और ग्रामोद्योग आयोग के केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो इन नियमों के अधीन शामिल किसी पद पर इन नियमों की अधिसूचना से पूर्व खादी और ग्रामोद्योग आयोग में नियुक्त थे।</p>	<p>सहित एक वर्ष अनुभव।</p> <p><b>नोट 1:</b> अर्हताएँ, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p><b>नोट 2:</b> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएँ) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में तब शिथिल की जा सकती है, जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>
--	--	---------------------------	--	------------------------------	---	--

क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या प्रोन्नतिद्वारा या आमेसन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नतिया प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं।	पुष्टि पर विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति : 1. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग-अध्यक्ष; 2. निदेशक (संपदा और सेवा), खादी और ग्रामोद्योग आयोग-	लागू नहीं होता

				सदस्य 3. दो अधिकारी जिनका स्तर सहायक निदेशक ग्रेड-1 से कम नहीं होगा- सदस्य; और 4. निदेशक (प्रशासन और मानव संसाधन), खादी और ग्रामोद्योग आयोग-संयोजक	
--	--	--	--	--	--

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे-बैंड, ग्रेड-पे या वेतनमान	चयन या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
29.	कैटीन परिचर	8*(2016) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अननुसचिवीय	पे-बैंड-1 (रु. 5200-20200) ग्रेड-पे रु. 1800	लागू नहीं।	25 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीय। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं) <b>नोट 1:</b> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी। (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी अंतिम तारीख को छोड़कर) <b>नोट 2:</b> आयु छूट का लाभ खादी और	(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मेट्रिक (10वीं कक्षा उत्तीर्ण); और (ii) चाय/कॉफी बनाने में निपुणता सहित एक वर्ष का अनुभव। <b>नोट 1:</b> अर्हताएँ, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। <b>नोट 2:</b> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएँ) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में तब शिथिल की जा सकती है, जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

						ग्रामोद्योग आयोग के केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो इन नियमों के अधीन शामिल किसी पद पर इन नियमों की अधिसूचना से पूर्व खादी और ग्रामोद्योग आयोग में नियुक्त थे।	
--	--	--	--	--	--	---	--

क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या प्रोन्नति द्वारा या आमेदन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नतियाँ प्रतिनियुक्ति या आमेदन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेदन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं।	पुष्टि पर विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति 1. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और अध्यक्ष; 2. निदेशक (संपदा और सेवा), खादी और ग्रामोद्योग आयोग-सदस्य 3. दो अधिकारी जिनका स्तर सहायक निदेशक ग्रेड-1 से कम नहीं होगा- सदस्य; और 4. निदेशक (प्रशासन और मानव संसाधन), खादी और ग्रामोद्योग आयोग-संयोजक	लागू नहीं होता

[फा. सं. ए-12018(11)/5/2015-केवीआई-पी]

बी. एच. अनिल कुमार, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March, 2016

**G.S.R. 294(E).**—In exercise of the powers conferred by section 14 and section 26 of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 and in supersession of the erstwhile Ministry of Industry, Khadi and Village Industries Commission, Group 'A' and Group 'B' posts Recruitment Rules, 1998, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the Group 'A', 'B', and 'C' posts in the Khadi and Village Industries Commission (hereinafter in these rules referred to as the Commission), namely:-

**1. Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Khadi and Village Industries Commission Group 'A', 'B', and 'C' posts Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Application.** – These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Number of posts, classification and pay band, grade pay or pay scale.** – The number of the said posts, their classification and the pay band, grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the said Schedule.

**4. Method of recruitment, age limit and other qualifications.**—The method of recruitment to the said posts, age limits and qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

**5. Initial constitution.** - (1) Group 'A', 'B' and 'C' officers and staff namely Joint Chief Executive Officer, Deputy Chief Executive Officer, Director, Deputy Director, Civil Engineer, Senior Hindi Officer, Assistant Director, Senior Scientific Officer, Accounts Officer, Research Officer, Senior Personal Assistant, Economic Officer, Hindi Officer, Law Officer, Superintendent, Caretaker, Stenographer (Selection Grade), Stenographer-I, Senior Hindi Translator, Sub Editor, Photographer, Librarian, Printing Manager, Senior Artist, Lecturer, Accountant, Development Officer, Economic Investigator, Legal Assistant, Junior Hindi Translator, Junior Sub Editor, Artist, Assistant Lecturer, Auditor-I, Auditor-II, Assistant Development Officer, Upper Division Clerk, Head Cook, Stenographer-II, Supervisor-II, Supervisor-III, Manager, Lower Division Clerk, Driver, Cook, Library Assistant, Artisan, Assistant Halwai, Coupon Clerk, Cook, Assistant Manager, Halwai, Tea Maker, Bearer, Multi Tasking Staff working on regular establishment in the Commission on the date of commencement of these rules shall be deemed to have been duly appointed to the corresponding posts which they were holding on regular basis on that date.

(2) The inter-se seniority of officials who are appointed at the initial constitution shall be determined as per the date of their regular appointment to respective grades subject to the condition that their inter-se seniority within their respective grades shall not be disturbed.

(3) The regular continuous service of officers mentioned in sub-rule (1) prior to their appointment at the initial constitution under these rules, shall count for the purpose of probation period, the qualifying service for promotion, confirmation and pension.

**6. Liability to serve throughout India.** – Any person appointed under the provisions of these rules shall be liable to serve anywhere in India.

**7. Liability to undergo training.** – (1) Any person appointed under the provisions of these rules shall be liable to undergo such training and be detailed on courses of instruction in India as the Commission may decide from time to time.

(2) Any person detailed for training or course, the duration of which is six months or more or any person detailed for training outside India or with private firms or factories in India, irrespective of the duration of the training, shall be liable to refund in full the expenses or cost of training, if for any reason, during the training or within a period of three years after the completion of such training, he opts to discontinue his service.

**8. Disqualification.** – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**9. Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**10. Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Sl. No.	Name of the post	Number of post	Classification	Pay band, grade pay or pay scale	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Joint Chief Executive Officer	1*(2016) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service Group 'A' Non-Ministerial	Pay Band 4 (Rupees 37400-67000) with Grade Pay of Rupees 8900	Selection.	Not exceeding fifty years (relaxable upto fifty five years for Government servants. No age limit for employees of Khadi and Village Industries Commission.)  Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).  Note 2: The benefit of age relaxation in respect of employees of Khadi and Village Industries Commission shall be available to only those employees who were appointed in Khadi and Village Industries Commission, before the notification of these rules, to a post covered under these rules.	(i) Bachelor of Engineering/Bachelor of Technology from a recognised University; or (ii) Chartered Accountant; or (iii) Masters degree in any subject from a recognised University; or (iv) Bachelors degree in Law from a recognised University; and (v) twenty years' experience in the relevant field.  Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.  Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill; up the vacancy reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion, absorption or deputation to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	One year for direct recruits.	(i) By promotion; failing which (ii) by deputation including short-term contract; failing which (iii) by direct recruitment.	Promotion: Deputy Chief Executive Officers in Pay Band 4 (Rupees 37400-67000) with Grade Pay of Rupees 8700 with two years' regular service in the grade.  Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying or	Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering confirmation: 1. Secretary to the Government of India, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises – Chairman; 2. Officer of Ministry of Micro,	Not applicable.



		<p>Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government/State Government/Statutory Authorities/Autonomous Bodies.</p>	<p>eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying /eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.</p> <p>Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p> <p>Deputation Including Short Term Contract (ISTC): Officers of the Central Government/State Government/Statutory Authorities/Autonomous Bodies: (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with two years' regular service in a post in Pay Band 4 (Rupees 37400-67000) with Grade Pay of Rupees 8700; or (iii) with six years' regular service in a post in Pay Band 3 (Rupees 15600-39100) with Grade Pay of Rupees 7600; or (iv) with ten years' regular service in a post in Pay Band 3 (Rupees 15600-39100) with Grade Pay of Rupees 6600; and (b) possessing the educational qualifications as prescribed for direct recruits in column (7).</p> <p>Note 1: The period of deputation (ISTC), including the period of deputation held against another ex-cadre post immediately preceding this appointment in the same or some other organisation shall not ordinarily exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of application.</p> <p>Note 2: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.</p> <p>Note 3: Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p>	<p>Small and Medium Enterprises not below the level of Joint Secretary – Member; 3. Chief Executive Officer, Khadi and Village Industries Commission – Convener; 4. Financial Advisor, Khadi and Village Industries Commission – Member; 5. Two officers of the level of Joint Secretary to Government of India – Members.</p>	
--	--	--	--	--	--

Sl. No.	Name of the post	Number of post	Classification	Pay band, grade pay or pay scale	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	Deputy Chief Executive Officer	8*(2016)*(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service Group 'A' Non-Ministerial	Pay Band 4 (Rupees 37400-67000) with Grade Pay of Rupees 8700	Selection.	<p>Not exceeding fifty years (relaxable upto fifty five years for Government servants. No age limit for employees of Khadi and Village Industries Commission.)</p> <p>Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).</p> <p>Note 2: The benefit of age relaxation in respect of employees of Khadi and Village Industries Commission shall be available to only those employees who were appointed in Khadi and Village Industries Commission, before the notification of these rules, to a post covered under these rules.</p>	<p>(i) Bachelor of Engineering/Bachelor of Technology from a recognised University; or</p> <p>(ii) Chartered Accountant; or</p> <p>(iii) Masters degree in any subject from a recognised University; or</p> <p>(iv) Bachelors degree in Law from a recognised University; and</p> <p>(v) fifteen years' experience in the relevant filed.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p>

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion, absorption or deputation to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	One year for direct recruits.	<p>(i) By promotion; failing which</p> <p>(ii) by deputation including short-term contract; failing which</p> <p>(iii) by direct recruitment.</p> <p>Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government/State Government/Statutory Authorities/Autonomous</p>	<p>Promotion: Directors in Pay Band 3 (Rupees 15600-39100) with Grade Pay of Rupees 7600 with five years' regular service in the grade.</p> <p>Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying /eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.</p> <p>Note 2 : For the purpose of</p>	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering confirmation:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Secretary to the Government of India, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises – Chairman;</li> <li>Officer of Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises not below the level of Joint Secretary – Member;</li> <li>Chief Executive Officer, Khadi and Village Industries Commission – Convener;</li> <li>Financial Advisor, Khadi and Village Industries Commission – Member;</li> <li>Two officers of the level of Joint Chief Executive Officer – Members.</li> </ol>	Not applicable.

		Bodies.	<p>computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p> <p>Deputation Including Short Term Contract (ISTC): Officers of the Central Government/State Government/Statutory Authorities/Autonomous Bodies :</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with five years' regular service in a post in Pay Band 3 (Rupees 15600-39100) with Grade Pay of Rupees 7600; or (iii) with seven years' regular service in a post in Pay Band 3 (Rupees 15600-39100) with Grade Pay of Rupees 6600; or (iv) with ten years' regular service in a post in Pay Band 3 (Rupees 15600-39100) or Pay Band 2 (Rupees 9300-34800) with Grade Pay of Rupees 5400; and</p> <p>(b) possessing the educational qualifications as prescribed for direct recruits in column (7).</p> <p>Note 1: The period of deputation (ISTC), including the period of deputation held against another ex-cadre post immediately preceding this appointment in the same or some other organisation shall not ordinarily exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of application.</p> <p>Note 2: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.</p> <p>Note 3: Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p>		
--	--	---------	---	--	--

Sl. No.	Name of the post	Number of post	Classification	Pay band, grade pay or pay scale	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	Director	44*(2016) *(Subject to variation dependent on	General Central Service Group 'A' Ministerial	Pay Band-3 (Rupees 15600-39100) with	Selection.	Not exceeding fifty years (relaxable upto fifty five years for Government servants. No age limit for employees of Khadi and Village Industries Commission.) Note 1: The crucial date for	(i) Bachelor of Engineering/Bachelor of Technology from a recognised University; or (ii) Chartered Accountant; or (iii) Masters degree in any

		workload).		Grade Pay of Rupees 7600	<p>determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).</p> <p>Note 2: The benefit of age relaxation in respect of employees of Khadi and Village Industries Commission shall be available to only those employees who were appointed in Khadi and Village Industries Commission, before the notification of these rules, to a post covered under these rules.</p>	<p>subject from a recognised University; or</p> <p>(iv) Bachelors degree in Law from a recognised University; and</p> <p>(v) Twelve years' experience in the relevant field.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p>
--	--	------------	--	--------------------------	--	--

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion, absorption or deputation to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	One year for direct recruits.	<p>(i) By promotion; failing which</p> <p>(ii) by deputation including short-term contract; failing which</p> <p>(iii) by direct recruitment.</p> <p>Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government/State Government/Statutory Authorities/Autonomous Bodies.</p>	<p>Promotion: Deputy Directors in Pay Band 3 (Rupees 15600-39100) with Grade Pay of Rupees 6600 with five years' regular service in the grade.</p> <p>Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying /eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.</p> <p>Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay</p>	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering confirmation:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chief Executive Officer, Khadi and Village Industries Commission – Chairman;</li> <li>2. Financial Advisor, Khadi and Village Industries Commission – Member;</li> <li>3. Officer of Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises not below the level of Director – Member;</li> <li>4. Two officers not below the level of Deputy Chief Executive Officer – Members; and</li> <li>5. Joint Chief Executive Officer, Khadi and Village Industries Commission – Convener.</li> </ol>	Not applicable.

			<p>Commission.</p> <p>Deputation Including Short Term Contract (ISTC): Officers of the Central Government/State Government/Statutory Authorities/Autonomous Bodies; (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with five years' regular service in a post in Pay Band 3 (Rupees 15600-39100) with Grade Pay of Rupees 6600; or (iii) with seven years' regular service in a post in Pay Band 3 (Rupees 15600-39100) or Pay Band 2 (Rupees 9300-34800) with Grade Pay of Rupees 5400; or (iv) with ten years' regular service in a post in Pay Band 2 (Rupees 9300-34800) with Grade Pay of Rupees 4800; and (b) possessing the educational qualifications as prescribed for direct recruits in column (7).</p> <p>Note 1: The period of deputation (ISTC), including the period of deputation held against another ex-cadre post immediately preceding this appointment in the same or some other organisation shall not ordinarily exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of application.</p> <p>Note 2: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.</p> <p>Note 3: Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p>		
--	--	--	--	--	--

Sl. No.	Name of the post	Number of post	Classification	Pay band, grade pay or pay scale	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	Deputy Director	43*(2016) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service Group 'A' Non-Ministerial	Pay Band 3 (Rupees 15600-39100) with Grade Pay of Rupees 6600	Selection.	<p>Not exceeding forty years (relaxable upto forty five years for Government servants. No age limit for employees of Khadi and Village Industries Commission.)</p> <p>Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).</p>	<p>(i) Bachelor of Engineering/Bachelor of Technology from a recognised University; or (ii) Chartered Accountant; or (iii) Masters degree in any subject from a recognised University; or (iv) Bachelors degree in Law from a recognised University; and (v) Ten years' experience in the relevant field.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.</p>

					<p>Note 2: The benefit of age relaxation in respect of employees of Khadi and Village Industries Commission shall be available to only those employees who were appointed in Khadi and Village Industries Commission, before the notification of these rules, to a post covered under these rules.</p>	<p>Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p>
--	--	--	--	--	--	--

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion, absorption or deputation to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years for direct recruits and promotees.	<p>(i) By promotion; failing which</p> <p>(ii) by deputation including short-term contract; failing which</p> <p>(iii) by direct recruitment.</p> <p>Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government/State Government/Statutory Authorities/Autonomous Bodies.</p>	<p>Promotion:</p> <p>From inter-se seniority of Assistant Director Grade-I in Pay Band 2 (Rupees 9300-34800) with Grade Pay of Rupees 5400 with five years' regular service in the grade.</p> <p>Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying /eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.</p> <p>Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p> <p>Deputation Including Short Term Contract (ISTC):</p> <p>Officers of the Central Government/State Government/Statutory Authorities/Autonomous Bodies :</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis; or</p> <p>(ii) with five years' regular service in a post in Pay Band 3 (Rupees 15600-39100) or Pay Band 2 (Rupees 9300-34800) with Grade Pay of Rupees</p>	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering confirmation:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chief Executive Officer, Khadi and Village Industries Commission – Chairman;</li> <li>2. Financial Advisor, Khadi and Village Industries Commission – Member;</li> <li>3. Officer of Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises not below the level of Director – Member;</li> <li>4. Two officers not below the level of Director – Members; and</li> <li>5. Joint Chief Executive Officer, Khadi and Village Industries Commission – Convener.</li> </ol>	Not applicable.

			<p>5400; or</p> <p>(iii) with six years' regular service in a post in Pay Band 2 (Rupees 9300-34800) with Grade Pay of Rupees 4800; or</p> <p>(iv) with seven years' regular service in a post in Pay Band 2 (Rupees 9300-34800) with Grade Pay of Rupees 4600; or</p> <p>(v) with ten years' regular service in a post in Pay Band 2 (Rupees 9300-34800) with Grade Pay of Rupees 4200; and</p> <p>(b) possessing the educational qualifications as prescribed for direct recruits in column (7).</p> <p>Note 1: The period of deputation (ISTC), including the period of deputation held against another ex-cadre post immediately preceding this appointment in the same or some other organisation shall not ordinarily exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of application.</p> <p>Note 2: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.</p> <p>Note 3: Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p>	
--	--	--	---	--

Sl. No.	Name of the post	Number of post	Classification	Pay band, grade pay or pay scale	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	Assistant Director Grade-I	114*(2016)  *(Cadre-wise allocation: Khadi-7, Village Industries-37, Training-5; Finance, Budget, Audit and Accounts-32; Administration and Human Resources-24, Economic Research-8, and Legal-1. Subject to variation dependent on workload).	General Central Service Group 'B' Technical	Pay Band 2 (Rupees 9300-34800) with Grade Pay of Rupees 5400	Selection.	<p>Not exceeding thirty five years (relaxable upto forty years for Government servants. No age limit for employees of Khadi and Village Industries Commission.)</p> <p>Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangri Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).</p> <p>Note 2: The benefit of age relaxation in respect of employees of Khadi and Village Industries Commission shall be available to only those employees who were appointed in Khadi and Village Industries Commission, before the notification of these</p>	<p>Cadre-wise required qualifications:</p> <p>(1) Khadi:</p> <p>(i) Bachelor of Engineering/Bachelor of Technology in Textile Engineering or Textile Technology or Fashion Technology from a recognised University; and</p> <p>(ii) five years' experience in the relevant field.</p> <p>(2) Village Industries:</p> <p>(i) Bachelor of Engineering/Bachelor of Technology from a recognised University; or</p> <p>Master of Science from a recognised University, or</p> <p>Master of Business Administration with Bachelor of Science from a recognised University; and</p> <p>(ii) five years' experience in the relevant field.</p> <p>(3) Training:</p> <p>(i) Bachelor of Engineering/ Bachelor of Technology from a</p>

					<p>rules, to a post covered under these rules.</p>	<p>recognised University, or Master of Science from a recognised University; or  Master of Business Administration with Bachelor of Science from a recognised University, and (ii) five years' experience in the relevant field</p> <p>Desirable:  Certificate Course of at least three months' duration from a Departmental Training Centre of Khadi and Village Industries Commission.</p> <p>(4) Finance, Budget, Audit and Accounts:  (i) Chartered Accountant; or  (ii) Master of Business Administration (Finance) from a recognised University; or  (iii) Master of Commerce from a recognised University; or  (ii) three years' experience in the relevant field;</p> <p>(5) Administration and Human Resources:  (i) Masters degree in any subject from a recognised University; and  (ii) five years' experience in the relevant field;</p> <p>(6) Economic Research:  (i) Masters degree in Economics/Statistics/Commerce (with Statistics and Economics as a subject) from a recognised University; and  (ii) three years experience in the relevant field.</p> <p>(7) Legal:  (i) Master of Law from a recognised University; and  (ii) three years' experience in the relevant field; or  (i) Bachelor of Law from a recognised University; and  (ii) five years' experience in the relevant field.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p>
--	--	--	--	--	--	---



Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion, absorption or deputation to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment		
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
Not applicable.	One year for direct recruits.	<p>Cadre-wise:</p> <p>Khadi, Village Industries, Economic Research, Training, Finance, Budget, Audit and Accounts; and Administration and Human Resources:</p> <p>(i) 50% - by direct Recruitment;</p> <p>(ii) 50% - by promotion; failing which</p> <p>(a) By deputation including short-term contract; failing which</p> <p>(b) by direct recruitment.</p> <p>Legal:</p> <p>100% by promotion.</p> <p>Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government/State Government/Statutory Authorities/Autonomous Bodies.</p>	<p>Promotion (Cadre-wise):</p> <p>Khadi, Village Industries, Economic Research and Legal: Assistant Directors Grade-II in Pay Band 2 (Rupees 9300-34800) with Grade Pay Rupees 4600 from respective cadre with three years' regular service in the grade.</p> <p>Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying /eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.</p> <p>Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p> <p>Training: Finance, Budget, Audit and Accounts, and Administration and Human Resources:</p> <p>Senior Executives in Pay Band 2 (Rupees 9300-34800) with Grade of Pay Rupees 4200 from respective cadre with eight years' regular service in the grade.</p> <p>Deputation Including Short Term Contract (ISTC): Officers of the Central Government/State Government/Statutory Authorities/Autonomous Bodies;</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis; or</p> <p>(ii) with two years' regular service in a post in Pay Band 2 (Rupees 9300-34800) with Grade Pay of Rupees 4800; or</p> <p>(iii) with three years' regular service in a post in Pay Band 2 (Rupees 9300-34800) with Grade Pay of Rupees 4600; or</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering confirmation:</p> <p>1. Chief Executive Officer, Khadi and Village Industries Commission – Chairman;</p> <p>2. Director (respective cadre incharge), Khadi and Village Industries Commission – Member;</p> <p>3. Officer of Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises not below the level of Under Secretary – Member;</p> <p>4. Two officers not below the level of Deputy Director – Members; and</p> <p>5. Director (Administration and Human Resources), Khadi and Village Industries Commission – Convener.</p>	Not applicable.		

			<p>(iv) with eight years' regular service in a post in Pay Band 2 (Rupees 9300-34800) with Grade Pay of Rupees 4200 ; and</p> <p>(b) possessing the educational qualifications as prescribed for direct recruits for the respective cadres in column (7).</p> <p>Note 1: The period of deputation (ISTC), including the period of deputation held against another ex-cadre post immediately preceding this appointment in the same or some other organisation shall not ordinarily exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of application.</p> <p>Note 2: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.</p> <p>Note 3: Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p>		
--	--	--	--	--	--

Sl. No.	Name of the post	Number of post	Classification	Pay band, grade pay or pay scale	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.	Assistant Director Grade-II	207*(2016) *(Cadre-wise allocation: Khadi-29, Village Industries-151, Economic Research-25 and Legal-2. Subject to variation dependent on workload).	General Central Service Group 'B'	Pay Band 2 (Rupees 9300-34800) with Grade Pay of Rupees 4600	Selection	<p>Not exceeding thirty years (relaxable upto forty years for Government servants. No age limit for employees of Khadi and Village Industries Commission.)</p> <p>Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).</p> <p>Note 2: The benefit of age relaxation in respect of employees of Khadi and Village Industries Commission shall be available to only those employees who were appointed in Khadi and Village Industries Commission, before the</p>	<p>Cadre-wise qualification required:</p> <p>(1) Khadi:</p> <p>(i) Bachelor of Engineering/Bachelor of Technology in Textile Engineering or Textile Technology or Fashion Technology from a recognised University; and</p> <p>(ii) three years experience in the relevant field.</p> <p>(2) Village Industries:</p> <p>(i) Bachelor of Engineering/Bachelor of Technology from a recognised University; or</p> <p>Master of Science from a recognised University; or</p> <p>Master of Business Administration with Bachelor of Science from a recognised University; and</p> <p>(ii) three years' experience in the relevant field.</p> <p>(3) Economic Research:</p> <p>Master degree in Economics/Statistics/Commerce (with Statistics and Economics as a subject) from a recognised University.</p>

						notification of these rules, to a post covered under these rules.	<p>(4) Legal:</p> <p>(i) Bachelor of Law from a recognised University; and</p> <p>(ii) three years' experience in the relevant field.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p>
--	--	--	--	--	--	---	---

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion, absorption or deputation to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years for direct recruits and *promotees.  *Applicable only to Khadi and Village Industries Cadres.	<p>(i) By promotion; failing which</p> <p>(ii) by deputation including short-term contract; failing which</p> <p>(iii) by direct recruitment.</p> <p>Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government/State Government/Statutory Authorities/Autonomous Bodies.</p>	<p>Cadre-wise Promotion:</p> <p>Khadi and Village Industries: Executives in Pay Band 1 (Rupees 5200-20200) with Grade Pay Rupees 2800 from respective cadre with ten years' regular service in the grade.</p> <p>Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying /eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.</p> <p>Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering confirmation:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Joint Chief Executive Officer, Khadi and Village Industries Commission – Chairman;</li> <li>2. Director (respective cadre incharge), Khadi and Village Industries Commission – Member;</li> <li>3. Officer of Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises not below the level of Under Secretary – Member;</li> <li>4. Two officers not below the level of Assistant Director Grade-I – Members; and</li> <li>5. Director (Administration and Human Resources), Khadi and Village Industries Commission – Convener.</li> </ol>	Not applicable.

			<p>extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p> <p>Economic Research and Legal: Senior Executives Pay Band 2 (Rupees 9300-34800) with Grade Pay of Rupees 4200 from respective cadre with five years' regular service in the grade.</p> <p>Deputation Including Short Term Contract (ISTC): Officers of the Central Government/State Government/Statutory Authorities/Autonomous Bodies : (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with five years' regular service in a post in Pay Band 2 (Rupees 9300-34800) with Grade Pay of Rupees 4200; or (iii) with ten years' regular service in a post in Pay Band 1 (Rupees 5200-20200) with Grade Pay of Rupees 2800; and (b) possessing the educational qualifications as prescribed for direct recruits for the respective cadres in column (7). Note 1: The period of deputation (ISTC), including the period of deputation held against another ex-cadre post immediately preceding this appointment in the same or some other organisation shall not ordinarily exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of application. Note 2: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Note 3: Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p>		
--	--	--	--	--	--

Sl. No.	Name of the post	Number of post	Classification	Pay band, grade pay or pay scale	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	Senior Executive	230*(2016) *(Cadre-wise allocation: Training-20; Finance, Budget, Audit and Accounts-64;	General Central Service Group 'B' Technical	Pay Band 2 (Rupees 9300-34800) with Grade Pay of Rupees	Selection.	Not exceeding thirty years (relaxable upto forty years for Government servants. No age limit for employees of Khadi and Village Industries Commission.)  Note 1: The crucial date for determining the age limit shall	Cadre-wise required qualifications: (1) Training: Bachelor of Engineering/Bachelor of Technology from a recognised University; or Master of Science from a

		Administration and Human Resources-98, Economic Research-40 and Legal-8. Subject to variation dependent on workload).		4200	<p>be the closing date for receipt of application from candidates in India (except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).</p> <p>Note 2: The benefit of age relaxation in respect of employees of Khadi and Village Industries Commission shall be available to only those employees who were appointed in Khadi and Village Industries Commission, before the notification of these rules, to a post covered under these rules.</p>	<p>recognised University; or Master of Business Administration with Bachelor of Science from a recognised University; and (ii) three years' experience in the relevant field.</p> <p>Desirable: Certificate Course of at least three months' duration from a Departmental Training Centre of Khadi and Village Industries Commission.</p> <p>(2) Finance, Budget, Audit and Accounts: (i) Chartered Accountant; or Master of Business Administration (Finance) from a recognised University; or Master of Commerce from a recognised University; and (ii) three years' experience in the relevant field.</p> <p>(3) Administration and Human Resources: Masters' Degree of a recognised University or equivalent; and (ii) one year experience in the relevant field.</p> <p>(4) Economic Research: Master degree in Economics/Statistics/Commerce (with Statistics and Economics as a subject) from a recognised University.</p> <p>(5) Legal: Bachelor of Law from a recognised University.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p>
--	--	---	--	------	--	---

Whether age and educational	Period of probation, if any	Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion, absorption or	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public
-----------------------------	-----------------------------	---	---	--	-------------------------------------

qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		promotion or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	deputation to be made		Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years for direct recruits and promotees.	<p>Cadre-wise: Training; Finance, Budget, Audit and Accounts; and Administration and Human Resources: (i) 100% by promotion; failing which (ii) by deputation (including short-term contract); failing which (iii) by direct recruitment.</p> <p>Economic Research and Legal: 100% by direct recruitment.</p> <p>Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government/State Government/Statutory Authorities/Autonomous Bodies.</p>	<p>Cadre-wise promotion: Training; and Finance, Budget, Audit and Accounts: Executives in Pay Band 1 (Rupees 5200-20200) with Grade Pay of Rupees 2800 from respective cadre with six years' regular service in the grade.</p> <p>Administration and Human Resources: Junior Executives in Pay Band 1 (Rupees 5200-20200) with Grade Pay of Rupees 2400 from respective cadre with ten years' regular service in the grade.</p> <p>Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying /eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.</p> <p>Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p> <p>Deputation Including Short Term Contract (ISTC): Officers of the Central Government/State Government/Statutory Authorities/Autonomous Bodies; (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with six years' regular service in a post in Pay Band 1 (Rupees 5200-20200) with Grade Pay of Rupees 2800; or (iii) with ten years' regular service in a post in Pay Band 1 (Rupees 5200-20200) with Grade Pay of Rupees 2400; and (b) possessing the educational qualifications as prescribed for direct recruits for the respective cadres in column (7).</p> <p>Note 1: The period of deputation (ISTC), including the period of</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering confirmation: 1. Joint Chief Executive Officer, Khadi and Village Industries Commission – Chairman; 2. Director (respective cadre incharge), Khadi and Village Industries Commission – Member; 3. Officer of Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises not below the level of Under Secretary – Member; 4. Two officers not below the level of Assistant Director Grade-I – Members; and 5. Director (Administration and Human Resources), Khadi and Village Industries Commission – Convener.</p>	Not applicable.

			<p>deputation held against another ex-cadre post immediately preceding this appointment in the same or some other organisation shall not ordinarily exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of application.</p> <p>Note 2: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.</p> <p>Note 3: Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p>		
--	--	--	---	--	--

Sl. No.	Name of the post	Number of post	Classification	Pay band, grade pay or pay scale	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8.	Executive	479*(2016) *(Cadre-wise allocation: Khadi-89, Village Industries-272, Training-38 and Finance, Budget, Audit and Accounts-80. Subject to variation dependent on workload).	General Central Service Group 'C' Technical	Pay Band 1 (Rupees 5200-20200) with Grade Pay of Rupees 2800	Selection.	<p>18-27 years (relaxable upto thirty three years for Government servants. No age limit for employees of Khadi and Village Industries Commission.)</p> <p>Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangri Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).</p> <p>Note 2: The benefit of age relaxation in respect of employees of Khadi and Village Industries Commission shall be available to only those employees who were appointed in Khadi and Village Industries Commission, before the notification of these rules, to a post covered under these rules.</p>	<p>Cadre-wise required</p> <p>(1) Khadi: Bachelor of Engineering/Bachelor of Technology in Textile Engineering or Textile Technology or Fashion Technology from a recognised University.</p> <p>(2) Village Industries: Bachelor of Engineering/Bachelor of Technology from a recognised University, or Master of Science from a recognised University, or Master of Business Administration with Bachelor of Science from a recognised University.</p> <p>(3) Training: Bachelor of Engineering/Bachelor of Technology from a recognised University, or Master of Science from a recognised University, or Master of Business Administration with Bachelor of Science from a recognised University.</p> <p>Desirable: Certificate Course of at least three months' duration from a Departmental Training Centre of Khadi and Village Industries Commission.</p> <p>(4) Finance, Budget, Audit and Accounts: (i) Bachelor of Commerce from a recognised University; and (ii) three years' experience in</p>

						<p>the relevant field.</p> <p>Desirable: Chartered Accountant/Cost and Management Accountant/Master of Business Administration (Finance)/Master of Commerce from a recognised University.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p>
--	--	--	--	--	--	---

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion, absorption or deputation to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years for direct recruits.	<p>Cadre-wise:</p> <p>Khadi, and Village Industries: (i) 85% - by direct Recruitment; (ii) 15% - by promotion; failing which (a) by deputation including short-term contract; Failing which (b) by direct recruitment.</p> <p>Training: (i) 60% By direct recruitment; And (ii) 40% by promotion; failing which (a) by deputation (including short-term contract); failing which (b) by direct recruitment.</p> <p>Finance, Budget, Audit and Accounts: (i) by promotion;</p>	<p>Cadre-wise promotion:</p> <p>Khadi, Village Industries, and Finance, Budget, Audit and Accounts: Junior Executives in Pay Band 1 (Rupees 5200-20200) with Grade Pay of Rupees 2400 from respective cadre with five years' regular service in the grade.</p> <p>Training: Assistants in Pay Band 1 (Rupees 5200-20200) with Grade Pay of Pay Rupees 1900 from respective cadre with ten years' regular service in the grade.</p> <p>Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying /eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering confirmation: 1. Deputy Chief Executive Officer, Khadi and Village Industries Commission – Chairman; 2. Director (respective cadre incharge), Khadi and Village Industries Commission – Member; 3. Two officers not below the level of Assistant Director Grade-I – Member; and 4. Director (Administration and Human Resources), Khadi and Village Industries Commission – Convener.</p>	Not applicable.



		<p>failing which (ii) by deputation (including short-term contract); failing which (ii) by direct recruitment.</p> <p>Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government/State Government/Statutory Authorities/Autonomous Bodies.</p>	<p>juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.</p> <p>Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p> <p>Deputation Including Short Term Contract (ISTC): Officers of the Central Government/State Government/Statutory Authorities/Autonomous Bodies:</p> <p>(i) holding analogous posts on regular basis; or</p> <p>(ii) with five years' regular service in a post in Pay Band 1 (Rupees 5200-20200) with Grade Pay of Rupees 2400; or</p> <p>(iii) with ten years' regular service in a post in Pay Band 1 (Rupees 5200-20200) with Grade Pay of Rupees 1900; and</p> <p>(b) possessing the educational qualifications as prescribed for direct recruits for the respective cadres in column (7).</p> <p>Note 1: The period of deputation (ISTC), including the period of deputation held against another ex-cadre post immediately preceding this appointment in the same or some other organisation shall not ordinarily exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of application.</p> <p>Note 2: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.</p> <p>Note 3: Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p>		
--	--	---	---	--	--

Sl. No.	Name of the post	Number of post	Classification	Pay band, grade pay or pay scale	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9.	Junior Executive	414*(2016) *(Khadi-16; Village Industries-51; Finance, Budget, Audit and Accounts-76; and Administration and Human	General Central Service Group 'C' Technical	Pay Band 1 (Rupees 5200-20200) with Grade Pay of Rupees 2400	Non-selection.	18-27 years (relaxable upto forty years for Government servants. No age limit for employees of Khadi and Village Industries Commission.)  Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (except the closing date	Cadre-wise required qualifications: (1) Khadi: Diploma in Textile Engineering or Textile Technology or Fashion Technology or Handloom Technology from a recognised University/Board/Institute.

		Resources - 271. Subject to variation dependent on workload.				<p>prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).</p> <p>Note 2: The benefit of age relaxation in respect of employees of Khadi and Village Industries Commission shall be available to only those employees who were appointed in Khadi and Village Industries Commission, before the notification of these rules, to a post covered under these rules.</p>	<p>(2) Village Industries: Diploma in Engineering or Bachelor of Science from a recognised University/Board/Institute.</p> <p>(3) Finance, Budget, Audit and Accounts: Bachelor of Commerce from a recognised University.</p> <p>Desirable: Chartered Accountant/Cost and Management Accountant/Master of Business Administration (Finance)/Master of Commerce from a recognised University.</p> <p>(4) Administration and Human Resources: (a) (i) Masters' Degree of a recognised University or equivalent; or (ii) degree of a recognised University or equivalent; and (b) three years' experience in the relevant field.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p>
--	--	--	--	--	--	---	---

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion, absorption or deputation to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years for direct recruits.	<p>Cadre-wise:</p> <p>Khadi, and Village Industries: (i) by promotion; failing which (ii) by deputation (including short-term contract); failing which (iii) by direct recruitment.</p> <p>Finance, Budget, Audit and Accounts: 100% by direct recruitment.</p> <p>Administration and Human</p>	<p>Cadre-wise promotion: Khadi, Village Industries, and Administration and Human Resources: Assistants in Pay Band 1 (Rupees 5200-20200) and Grade Pay Rupees 1900 from respective cadre with eight years' regular service in the grade.</p> <p>Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying /eligibility service or two years, whichever is less and have successfully</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering confirmation: 1. Deputy Chief Executive Officer, Khadi and Village Industries Commission – Chairman; 2. Director (respective cadre incharge), Khadi and Village</p>	Not applicable.

		<p>Resources: (i) 50% by direct recruitment; (ii) 50% by promotion failing which by deputation (including short-term contract); failing which by direct recruitment.</p> <p>Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government/State Government/Statutory Authorities/Autonomous Bodies.</p>	<p>completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.</p> <p>Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p> <p>Deputation Including Short Term Contract (ISTC): Officials of the Central Government/State Government/Statutory Authorities/Autonomous Bodies: (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with five years' regular service in a post in Pay Band 1 (Rupees 5200-20200) and Grade Pay Rupees 1900; and (b) possessing the educational qualifications as prescribed for direct recruits for the respective cadres in column (7).</p> <p>Note 1: The period of deputation (ISTC), including the period of deputation held against another ex-cadre post immediately preceding this appointment in the same or some other organisation shall not ordinarily exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of application.</p> <p>Note 2: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.</p> <p>Note 3: Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p>	<p>Industries Commission – Member; 3. Two officers not below the level of Assistant Director Grade-I – Member; and 4. Director (Administration and Human Resources), Khadi and Village Industries Commission – Convener.</p>	
--	--	---	---	--	--

Sl. No.	Name of the post	Number of post	Classification	Pay band, grade pay or pay scale	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10.	Assistant	264*(2016) *(Cadre-wise allocation: Khadi-15, Village Industries-58, Training-18; and Administration and Human Resources-173. Subject to variation dependent on workload).	General Central Service Group 'C' Technical	Pay Band 1 (Rupees 5200-20200) with Grade Pay of Rupees 1900	Not applicable.	18-27 years (relaxable upto forty years for Government servants. No age limit for employees of Khadi and Village Industries Commission.)  Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of	Cadre-wise required qualification: (1) Khadi: Diploma in Textile Engineering or Textile Technology or Fashion Technology or Handloom Technology from a recognised University/Board/Institute. (2) Village Industries: Diploma in Engineering or Bachelor of Science from a recognised University/Board/Institute. (3) Training: Diploma in Engineering or

					<p>Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).</p> <p>Note 2: The benefit of age relaxation in respect of employees of Khadi and Village Industries Commission shall be available to only those employees who were appointed in Khadi and Village Industries Commission, before the notification of these rules, to a post covered under these rules.</p>	<p>Bachelor of Science from a recognised University/Board/Institute. Desirable: Certificate Course of at least three months' duration from a Departmental Training Centre of Khadi and Village Industries Commission.</p> <p>(4) Administration and Human Resources: (i) XIIth Class or equivalent qualification from a recognised Board or University; and (ii) A typing speed of 35 word per minute in English or 30 word per minute in Hindi on computer. (35 word per minute and 30 word per minute correspond to 10500 key depressions per hour/ 9000 key depressions per hour on an average of 5 key depressions for each word.)</p> <p>Note: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.</p>
--	--	--	--	--	--	---

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion, absorption or deputation to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years for direct recruits.	<p>Cadre-wise:</p> <p>Khadi, Village Industries and Training: 100% by direct recruitment.</p> <p>Administration and Human Resources: (i) 85% by direct recruitment; (ii) 10% of the vacancies shall be filled from amongst Multi Tasking Staff who possess XIIth Class pass or equivalent qualification and have rendered three years' regular service in the grade, on the basis of departmental qualifying examination. The maximum age limit for eligibility for examination is forty five years (fifty years of age for Scheduled Caste/</p>	<p>Cadre-wise promotion:</p> <p>Administration and Human Resources: As prescribed in column 10.</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering confirmation:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deputy Chief Executive Officer, Khadi and Village Industries Commission – Chairman;</li> <li>2. Director (respective cadre incharge), Khadi and Village Industries Commission – Member;</li> <li>3. Two officers not below the level of Assistant Director Grade-I – Member; and</li> <li>4. Director (Administration and Human Resources), Khadi and Village Industries Commission – Convener.</li> </ol>	Not applicable.

		<p>Scheduled Tribe).</p> <p>Note:- If more of such employees than the number of vacancies available under clause (ii) qualifies at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination.</p> <p>and</p> <p>(iii) 5% of the vacancies shall be filled on seniority-cum-fitness basis from amongst the Multi Tasking Staff who have rendered three years' regular service.</p>			
--	--	--	--	--	--

Sl. No.	Name of the post	Number of post	Classification	Pay band, grade pay or pay scale	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11.	Multi Tasking Staff	183*(2016)*(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service Group 'C' Non Ministerial	Pay Band 1 (Rupees 5200-20200) with Grade Pay of Rupees 1800	Not Applicable.	<p>18-25 years (relaxable upto forty years for Government servants)</p> <p>Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).</p> <p>Note 2: The benefit of age relaxation in respect of employees of Khadi and Village Industries Commission shall be available to only those employees who were appointed in Khadi and Village Industries Commission, before the notification of these rules, to a post covered under these rules.</p>	<p>Matriculation or equivalent pass; or Industrial Training Institute pass in the relevant subject.</p> <p>Note : Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.</p>

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of	Period of probation, if any	Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or absorption and percentage of the vacancies to	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion, absorption or deputation to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
---	-----------------------------	--	---	--	---

promotees		be filled by various methods			
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years.	100% by direct recruitment.	Not applicable.	Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering confirmation: 1. Deputy Chief Executive Officer, Khadi and Village Industries Commission – Chairman; 2. Director (respective cadre incharge), Khadi and Village Industries Commission – Member; 3. Two officers not below the level of Assistant Director Grade-I – Member; and 4. Director (Administration and Human Resources), Khadi and Village Industries Commission – Convener.	Not applicable.

Sl. No.	Name of the post	Number of post	Classification	Pay band, grade pay or pay scale	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12.	Staff Car Driver	60*(2016) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service Group 'C' Non-Ministerial	Pay Band 1 (Rupees 5200-20200) with Grade Pay of Rupees 1900	Not Applicable.	<p>18 - 25 years (relaxable upto forty years for Government servants. No age limit for employees of Khadi and Village Industries Commission.)</p> <p>Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).</p> <p>Note 2: The benefit of age relaxation in respect of employees of Khadi and Village Industries Commission shall be available to only those employees who were appointed in Khadi and Village Industries Commission, before the notification of these rules, to a post covered under these rules.</p>	<p>(i) Possession of a valid driving license for motor cars;</p> <p>(ii) Knowledge of motor mechanism (The candidate should be able to remove minor defects in vehicle);</p> <p>(iii) Experience of driving a motor car for at least three years; and</p> <p>(iv) Pass in Xth standard.</p> <p>Desirable: Three years' service as Home Guard/Civil Volunteers.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p>

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will	Period of probation, if any	Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or absorption and	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion, absorption or deputation to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in
--	-----------------------------	---	---	--	--

apply in the case of promotees		percentage of the vacancies to be filled by various methods			making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years.	100% by direct recruitment.	Not applicable.	Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering confirmation: 1. Deputy Chief Executive Officer, Khadi and Village Industries Commission – Chairman; 2. Director (respective cadre incharge), Khadi and Village Industries Commission – Member; 3. Two officers not below the level of Assistant Director Grade-I – Member; and 4. Director (Administration and Human Resources), Khadi and Village Industries Commission – Convener.	Not applicable.

Sl. No.	Name of the post	Number of post	Classification	Pay band, grade pay or pay scale	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13.	Deputy Director (Official Language)	1*(2016) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service Group 'A' Non-Ministerial	Pay Band 3 (Rupees 15600-39100) with Grade Pay of Rupees 6600	Selection.	<p>Not exceeding forty years (relaxable upto forty five years for Government servants. No age limit for employees of Khadi and Village Industries Commission.)</p> <p>Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).</p> <p>Note 2: The benefit of age relaxation in respect of employees of Khadi and Village Industries Commission shall be available to only those employees who were appointed in Khadi and Village Industries Commission, before the notification of these rules, to a post covered under these rules.</p>	<p>(i) Masters degree of a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Masters degree of a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Masters degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Masters degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as a medium of examination at the degree level; or Masters degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level; and (ii) Five years' experience of using/applying terminology (terminological work) in Hindi and translation work</p>

						<p>from English to Hindi or vice-versa, preferably of technical or scientific literature under Central/State Governments/ Autonomous Body/Statutory Organisations/ PSUs/Universities or recognised research or educational institutions; or Five years' experience of teaching in Hindi and English or research in Hindi or English under Central/State Governments/ Autonomous Body/Statutory Organisations/ PSUs/Universities or recognised research or educational institutions.</p> <p>Desirable: Studied one of the languages other than Hindi included in the eighth schedule to the Constitution at Xth level from a recognised Board.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p>
--	--	--	--	--	--	---

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion, absorption or deputation to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years.	<p>(i) By composite method: (including short-term contract)/promotion (in case the post in the feeder grade of Assistant Director (Official Language) is held by a direct recruit or a promotee); failing which (ii) by direct recruitment.</p> <p>Note: Vacancies caused by the incumbent being</p>	<p>Deputation Including Short Term Contract (ISTC): Officials of the Central Government/State Government/Statutory Authorities/Autonomous Bodies:</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with three years' regular service in a post in Pay Band 3 (Rupees 15600-39100) or Pay Band 2 (Rupees 9300-34800) with Grade Pay of Rupees 5400; or (iii) with five years' regular service in a post in Pay Band 2 (Rupees 9300-34800) with Grade Pay of Rupees 4800; or (iv) with seven years' regular service in a post in Pay Band 2 (Rupees 9300-34800) with Grade Pay of Rupees 4600; or (v) with ten years' regular service in a post in Pay Band 2 (Rupees 9300-34800) with Grade Pay of</p>	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering confirmation:</p> <p>1. Chief Executive Officer, Khadi and Village Industries Commission – Chairman;</p> <p>2. Financial Advisor, Khadi and Village Industries</p>	Not applicable.



		away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government/State Government/Statutory Authorities/Autonomous Bodies.	Rupees 4200; and (b) possessing the educational qualifications as prescribed for direct recruits for the respective cadres in column (7). Note 1: Departmental Officers namely Assistant Director (Official Language) in Pay Band 2 (Rupees 9300-34800) and Grade Pay of Rupees 5400 with five years' regular service in that grade shall also be considered along with outside candidates and if selected for appointment to the post, shall be treated as having been filled by promotion. Note 2: The period of deputation (ISTC) including the period of deputation held against another ex-cadre post immediately preceding this appointment in the same or some other organisation shall not ordinarily exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of application.	Commission – Member; 3. Officer of Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises not below the level of Deputy Secretary – Member; 4. Two officers not below the level of Director – Members; and 5. Joint Chief Executive Officer, Khadi and Village Industries Commission – Convener.
--	--	---	--	---

Sl. No.	Name of the post	Number of post	Classification	Pay band, grade pay or pay scale	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14.	Assistant Director (Official Language)	1*(2016) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service Group 'B' Non-Ministerial	Pay Band 2 (Rupees 9300-34800) with Grade Pay of Rupees 5400	Selection.	<p>Not exceeding Thirty five years (relaxable upto forty years for Government servants. No age limit for employees of Khadi and Village Industries Commission.)</p> <p>Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).</p> <p>Note 2: The benefit of age relaxation in respect of employees of Khadi and Village Industries Commission shall be available to only those employees who were appointed in Khadi and Village Industries Commission, before the notification of these rules, to a post covered under these rules.</p>	<p>(i) Masters degree of a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or</p> <p>Masters degree of a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or</p> <p>Masters degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or</p> <p>Masters degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as a medium of examination at the degree level; or</p> <p>Masters degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level; and</p> <p>(ii) Three years' experience of using/applying terminology (terminological work) in Hindi and translation work from English to Hindi or vice-</p>

						<p>versa, preferably of technical or scientific literature under Central/State Governments/ Autonomous Body/Statutory Organisations/ Public Sector Units/Universities or recognised research or educational institutions; or Three years' experience of teaching in Hindi and English or research in Hindi or English under Central/State Governments/ Autonomous Body/Statutory Organisations/ Public Sector Units/Universities or recognised research or educational institutions.</p> <p>Desirable: Studied one of the languages other than Hindi included in the eighth schedule of the Constitution at Xth level from a recognised Board.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p>
--	--	--	--	--	--	--

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion, absorption or deputation to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years for direct recruits.	<p>(i) By promotion; failing which</p> <p>(ii) by deputation including short-term contract; failing which</p> <p>(iii) by direct recruitment.</p> <p>Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on</p>	<p>Promotion: Senior Translators in Pay Band 2 (Rupees 9300-34800) with Grade Pay of Rupees 4200 with eight years' regular service in the grade.</p> <p>Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying /eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering confirmation:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chief Executive Officer, Khadi and Village Industries Commission – Chairman;</li> <li>2. Deputy Director (Official Language), Khadi and Village Industries Commission – Member;</li> <li>3. Officer of Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises not below the level of Under Secretary – Member;</li> <li>4. Two officers not below the level of Deputy Director – Members; and</li> </ol>	Not applicable.

		<p>deputation basis from officers of the Central Government/State Government/Statutory Authorities/Autonomous Bodies.</p>	<p>probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.</p> <p>Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p> <p>Deputation Including Short Term Contract (ISTC): Officials of the Central Government/State Government/Statutory Authorities/Autonomous Bodies: (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with three years' regular service in a post in Pay Band 2 (Rupees 9300-34800) with Grade Pay of Rupees 4600; or (iii) with eight years' regular service in a post in Pay Band 2 (Rupees 9300-34800) with Grade Pay of Rupees 4200; or (iv) with ten years' regular service in a post in Pay Band 1 (Rupees 5200-20200) with Grade Pay of Rupees 2800; and (b) possessing the educational qualifications as prescribed for direct recruits for the respective cadres in column (7).</p> <p>Note 1 : The period of deputation (ISTC) including the period of deputation held against another ex-cadre post immediately preceding this appointment in the same or some other organisation shall not ordinarily exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of application.</p> <p>Note 2: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.</p> <p>Note 3: Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p>	<p>5. Director (Administration and Human Resources), Khadi and Village Industries Commission – Convener.</p>	
--	--	---	---	--	--

Sl. No.	Name of the post	Number of post	Classification	Pay band, grade pay or pay scale	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15.	Senior	3*(2016)	General	Pay	Selection.	Not exceeding thirty years (relaxable	(i) Masters degree of a

	Translator	*(Subject to variation dependent on workload).	Central Service Group 'B', Non-Ministerial	Band 2 (Rupees 9300-34800) with Grade Pay of Rupees 4200	<p>upto forty years for Government servants. No age limit for employees of Khadi and Village Industries Commission.)</p> <p>Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).</p> <p>Note 2: The benefit of age relaxation in respect of employees of Khadi and Village Industries Commission shall be available to only those employees who were appointed in Khadi and Village Industries Commission, before the notification of these rules, to a post covered under these rules.</p>	<p>recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or</p> <p>Masters degree of a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or</p> <p>Masters degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level; or</p> <p>Masters degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level; or</p> <p>Masters degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level; and</p> <p>(ii) Possessing recognised Diploma or Certificate course in translation from Hindi to English and vice versa or three years' experience of translation work from Hindi to English and vice versa in a Central or State Government, including Government of India Undertaking.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p>
--	------------	--	--	--	--	--

Whether age and educational	Period of probation, if any	Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion, absorption or	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public
-----------------------------	-----------------------------	---	---	--	-------------------------------------

qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		promotion or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	deputation to be made		Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years for direct recruits.	<p>(i) By promotion; failing which</p> <p>(ii) by deputation including short-term contract; failing which</p> <p>(iii) by direct recruitment.</p> <p>Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government/State Government/Statutory Authorities/Autonomous Bodies.</p>	<p>Promotion: Junior Translators in Pay Band 2 (Rupees 9300-34800) with Grade Pay of Rupees 4200 with five years' regular service in the grade.</p> <p>Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying /eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.</p> <p>Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p> <p>Deputation Including Short Term Contract (ISTC): Officials of the Central Government/State Government/Statutory Authorities/Autonomous Bodies; (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with six years' regular service in a post in Pay Band 1 (Rupees 5200-20200) with Grade Pay of Rupees 2800; or (iii) with ten years' regular service in a post in Pay Band 1 (Rupees 5200-20200) with Grade Pay of Rupees 2400; and (b) possessing the educational qualifications as prescribed for direct recruits for the respective cadres in column (7).</p> <p>Note 1: The period of deputation (ISTC) including the period of deputation held against another ex-cadre post immediately preceding this appointment in the same or some other organisation shall not ordinarily exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall be not exceeding fifty six years as on the</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering confirmation:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Joint Chief Executive Officer, Khadi and Village Industries Commission – Chairman;</li> <li>2. Deputy Director (Official Language), Khadi and Village Industries Commission – Member;</li> <li>3. Officer of Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises not below the level of Under Secretary – Member;</li> <li>4. Two officers not below the level of Assistant Director Grade-I – Members; and</li> <li>5. Director (Administration and Human Resources), Khadi and Village Industries Commission – Convener.</li> </ol>	Not applicable.

			<p>closing date of receipt of application.</p> <p>Note 2: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.</p> <p>Note 3: Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p>		
--	--	--	--	--	--

Sl. No.	Name of the post	Number of post	Classification	Pay band, grade pay or pay scale	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16.	Junior Translator	12*(2016) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service Group 'B', Non-Ministerial	Pay Band 2 (Rupees 9300-34800) with Grade Pay of Rupees 4200	Selection.	<p>Not exceeding thirty years (relaxable upto forty years for Government servants. No age limit for employees of Khadi and Village Industries Commission.)</p> <p>Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).</p> <p>Note 2: The benefit of age relaxation in respect of employees of Khadi and Village Industries Commission shall be available to only those employees who were appointed in Khadi and Village Industries Commission, before the notification of these rules, to a post covered under these rules.</p>	<p>(a) Masters degree of a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Masters degree of a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Masters degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level; or Masters degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level; or Masters degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level; and</p> <p>(b) Recognised Diploma or Certificate course in translation from Hindi to English and vice versa or three years' experience of translation work from Hindi to English and vice versa in a Central or State Government, including Government of India Undertaking.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification(s)</p>

							regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.
--	--	--	--	--	--	--	--

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion, absorption or deputation to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years.	100% by direct recruitment.	Not applicable.	Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering confirmation: 1. Joint Chief Executive Officer, Khadi and Village Industries Commission – Chairman; 2. Deputy Director (Official Language), Khadi and Village Industries Commission – Member; 3. Officer of Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises not below the level of Under Secretary – Member; 4. Two officers not below the level of Assistant Director Grade-I – Members; and 5. Director (Administration and Human Resources), Khadi and Village Industries Commission – Convener.	Not applicable.

Sl. No.	Name of the post	Number of post	Classification	Pay band, grade pay or pay scale	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17.	Private Secretary	3*(2016) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service Group 'B' Ministerial	Pay Band 2 (Rupees 9300-34800) with Grade Pay of Rupees 4600	Selection.	Not exceeding thirty years (relaxable upto forty years for Government servants. No age limit for employees of Khadi and Village Industries Commission.)  Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti	(i) Graduate in any discipline from a recognised University; (ii) Skill test norms: (a) Dictation (English/Hindi): 10 minutes @ 100 word per minute (b) Transcription (on Computer): 40 minutes (English) or 55 minutes (Hindi); and (iii) three years' experience in stenography and Computer operation.  Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well

						<p>Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).</p> <p>Note 2: The benefit of age relaxation in respect of employees of Khadi and Village Industries Commission shall be available to only those employees who were appointed in Khadi and Village Industries Commission, before the notification of these rules, to a post covered under these rules.</p>	<p>qualified.</p> <p>Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion, absorption or deputation to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years for direct recruits.	<p>(i) By promotion; failing which</p> <p>(ii) by deputation including short-term contract; failing which</p> <p>(iii) by direct recruitment.</p> <p>Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government/State Government/Statutory Authorities/Autonomous Bodies.</p>	<p>Promotion: Personal Assistant in Pay Band 2 (Rupees 9300-34800) with Grade Pay of Rupees 4200 with five years' regular service in the grade.</p> <p>Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying /eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.</p> <p>Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p> <p>Deputation Including Short Term Contract (ISTC): Officials of the Central Government/State Government/Statutory Authorities/Autonomous Bodies:</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis; or</p> <p>(ii) with five years' regular service in a post in Pay Band 2 (Rupees 9300-34800) with Grade Pay of Rupees</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering confirmation:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Joint Chief Executive Officer, Khadi and Village Industries Commission – Chairman;</li> <li>2. Officer of Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises not below the level of Under Secretary – Member;</li> <li>3. Two officers not below the level of Assistant Director Grade-I – Members; and</li> <li>4. Director (Administration and Human Resources), Khadi and Village Industries Commission – Convener.</li> </ol>	Not applicable.



			<p>4200; or</p> <p>(iii) with ten years' regular service in a post in Pay Band 1 (Rupees 5200-20200) with Grade Pay of Rupees 2800; or</p> <p>(iv) with twelve years' regular service in a post in Pay Band 1 (Rupees 5200-20200) with Grade Pay of Rupees 2400; and</p> <p>(b) possessing the educational qualifications as prescribed for direct recruits for the respective cadres in column (7).</p> <p>Note 1: The period of deputation (ISTC) including the period of deputation held against another ex-cadre post immediately preceding this appointment in the same or some other organisation shall not ordinarily exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of application.</p> <p>Note 2: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.</p> <p>Note 3: Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p>		
--	--	--	--	--	--

Sl. No.	Name of the post	Number of post	Classification	Pay band, grade pay or pay scale	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18.	Personal Assistant	22*(2016) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service Group 'B', Ministerial	Pay Band 2 (Rupees 9300-34800) with Grade Pay of Rupees 4200	Selection.	<p>Not exceeding thirty years (relaxable upto forty years for Government servants. No age limit for employees of Khadi and Village Industries Commission.)</p> <p>Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).</p> <p>Note 2: The benefit of age relaxation in respect of employees of Khadi and Village Industries Commission shall be available to only those employees who were appointed in Khadi and Village Industries Commission, before the notification of these rules, to a post covered under these rules.</p>	<p>(i) Passed Intermediate (XIIth class) examination from a recognised Board;</p> <p>(ii) Skill test norms:</p> <p>(a) Dictation (English/Hindi): 10 minutes @ 100 word per minute</p> <p>(b) Transcription (on Computer): 40 minutes (English) or 55 minutes (Hindi); and</p> <p>(iii) three years' experience in stenography and Computer operation.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these</p>

							communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.
--	--	--	--	--	--	--	--

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion, absorption or deputation to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years.	<p>(i) By promotion; failing which</p> <p>(ii) by deputation including short-term contract; failing which</p> <p>(iii) by direct recruitment.</p> <p>Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government/State Government/Statutory Authorities/Autonomous Bodies.</p>	<p>Promotion: Stenographer Grade D in Pay Band 1 (Rupees 5200-20200) with Grade Pay of Rupees 2400 with ten years' regular service in the grade.</p> <p>Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying /eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.</p> <p>Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p> <p>Deputation Including Short Term Contract (ISTC): Officials of the Central Government/State Government/Statutory Authorities/Autonomous Bodies: (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with 6 years' regular service in a post in Pay Band 1 (Rupees 5200-20200) and Grade Pay Rupees 2800; or (iii) with ten years' regular service in a post in Pay Band 1 (Rupees 5200-20200) and Grade Pay Rupees 2400; and (b) possessing the educational qualifications as prescribed for direct recruits for the respective cadres in</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering confirmation:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Joint Chief Executive Officer, Khadi and Village Industries Commission – Chairman;</li> <li>2. Officer of Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises not below the level of Under Secretary – Member;</li> <li>3. Two officers not below the level of Assistant Director Grade-I – Members; and</li> <li>4. Director (Administration and Human Resources), Khadi and Village Industries Commission – Convener.</li> </ol>	Not applicable.

			<p>column (7).</p> <p>Note 1 : The period of deputation (ISTC) including the period of deputation held against another ex-cadre post immediately preceding this appointment in the same or some other organisation shall not ordinarily exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of application.</p> <p>Note 2: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.</p> <p>Note 3: Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p>		
--	--	--	---	--	--

Sl. No.	Name of the post	Number of post	Classification	Pay band, grade pay or pay scale	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
19.	Stenographer Grade D	48*(2016)*(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service Group 'C' Ministerial	Pay Band 1 (Rupees 5200-20200) with Grade Pay of Rupees 2400	Not Applicable.	<p>Not exceeding twenty five years (relaxable upto forty years for Government servants. No age limit for employees of Khadi and Village Industries Commission.)</p> <p>Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).</p> <p>Note 2: The benefit of age relaxation in respect of employees of Khadi and Village Industries Commission shall be available to only those employees who were appointed in Khadi and Village Industries Commission, before the notification of these rules, to a post covered under these rules.</p>	<p>(i) Passed Intermediate (XIth class) examination from a recognised Board;</p> <p>(ii) Skill test norms:</p> <p>(a) Dictation (English/Hindi): 10 minutes @ 80 word per minute</p> <p>(b) Transcription (on Computer): 50 minutes (English) or 65 minutes (Hindi).</p> <p>Note : Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.</p>

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion, absorption or deputation to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
---	-----------------------------	---	---	--	---

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years.	100% by direct recruitment.	Not applicable.	Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering confirmation: 1. Deputy Chief Executive Officer, Khadi and Village Industries Commission – Chairman; 2. Two officers not below the level of Assistant Director Grade-I – Member; and 3. Director (Administration and Human Resources), Khadi and Village Industries Commission – Convener.	Not applicable.

Sl. No.	Name of the post	Number of post	Classification	Pay band, grade pay or pay scale	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20.	Publicity Officer	7*(2016) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service Group 'B', Non-Ministerial	Pay Band 2 (Rupees 9300-34800) with Grade Pay of Rupees 4200	Selection.	<p>Not exceeding thirty years (relaxable upto forty years for Government servants. No age limit for employees of Khadi and Village Industries Commission.)</p> <p>Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).</p> <p>Note 2: The benefit of age relaxation in respect of employees of Khadi and Village Industries Commission shall be available to only those employees who were appointed in Khadi and Village Industries Commission, before the notification of these rules, to a post covered under these rules.</p>	<p>(i) Bachelors degree with Diploma in Journalism from a recognised University/Board/Institution; or</p> <p>(ii) Bachelors degree in Journalism; and</p> <p>(iii) Three years' experience in publication/editorial proof reading/writing of articles/to edit news items/translation of Hindi to English and vice versa/to prepare the layout of news items in any organisation of repute;</p> <p>or</p> <p>(i) Bachelors degree in any discipline from a recognised University with diploma in Photography or Microphotography (at least six months' duration) from a recognised Institute; and</p> <p>(ii) Three years' experience in photo developing and printing in any reputed organization;</p> <p>or</p> <p>(i) Bachelors degree in Library science or a graduate with diploma in Library Science from a recognised University/Institute; and</p> <p>(ii) Three years experience in a Library or reading room in reputed organization;</p> <p>or</p> <p>(i) Bachelors degree/diploma in Printing Technology (three years duration) from a recognised University/Institute; and</p> <p>(ii) Three years' experience in a Publication House and knowledge of printing periodical and publication in any reputed organization;</p> <p>or</p> <p>(i) Bachelors degree in Applied Art from a recognised University or Diploma in Applied/Commercial Arts (three years' duration) from a recognised Institute; and</p> <p>(ii) Three years' experience in designing and preparation of Art work, graphic, photographic, reproduction for block making through letter press, cinema slides, displays, block making, sight setting, organizing exhibition etc., in any organisation of repute.</p>

						<p>Desirable: Knowledge of Computer Applications especially Photoshop / Corel Draw/Illustrator/Multi Media/Quark Express.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p>
--	--	--	--	--	--	---

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion, absorption or deputation to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years.	<p>(i) 75% by direct recruitment.</p> <p>(ii) 25% by promotion; failing which</p> <p>(a) by deputation including short-term contract; failing which</p> <p>(b) by direct recruitment.</p> <p>Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government/State Government/Statutory Authorities/Autonomous Bodies.</p>	<p>Promotion: Publicity Assistant-I in Pay Band 1 (Rupees 5200-20200) with Grade Pay of Rupees 2800 with six years' regular service in the grade.</p> <p>Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying /eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.</p> <p>Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p> <p>Deputation Including Short Term Contract (ISTC):</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering confirmation:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Joint Chief Executive Officer, Khadi and Village Industries Commission – Chairman;</li> <li>2. Director (Publicity), Khadi and Village Industries Commission – Member;</li> <li>3. Officer of Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises not below the level of Under Secretary – Member;</li> <li>4. Two officers not below the level of Assistant Director Grade-I – Members; and</li> <li>5. Director (Administration and Human Resources), Khadi and Village Industries Commission – Convener.</li> </ol>	Not applicable.

			<p>Officials of the Central Government/State Government/Statutory Authorities/Autonomous Bodies:</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis; or</p> <p>(ii) with 6 years' regular service in a post in Pay Band 1 (Rupees 5200-20200) with Grade Pay of Rupees 2800; or</p> <p>(iii) with ten years' regular service in a post in Pay Band 1 (Rupees 5200-20200) with Grade Pay of Rupees 2400; and</p> <p>(b) possessing the educational qualifications as prescribed for direct recruits for the respective cadres in column (7).</p> <p>Note 1: The period of deputation (ISTC) including the period of deputation held against another ex-cadre post immediately preceding this appointment in the same or some other organisation shall not ordinarily exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of application.</p> <p>Note 2: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.</p> <p>Note 3: Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p>		
--	--	--	--	--	--

Sl. No.	Name of the post	Number of post	Classification	Pay band, grade pay or pay scale	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
21.	Publicity Assistant-I	2*(2016) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service Group 'C' Non-Ministerial	Pay Band 1 (Rupees 5200-20200) with Grade Pay of Rupees 2800	Non-Selection	<p>Not exceeding twenty seven years (relaxable upto forty years for Government servants. No age limit for employees of Khadi and Village Industries Commission.)</p> <p>Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar</p>	<p>(i) Bachelors degree with diploma in Journalism from a recognised University/Board/Institution; or</p> <p>(ii) Bachelors degree in Journalism;</p> <p>or</p> <p>Bachelors degree in Applied Art from a recognised University or diploma in Applied/Commercial Arts (three years' duration) from a recognised Institute.</p> <p>Desirable: Knowledge of Computer Applications especially Photoshop / Corel Draw/Illustrator/Multi Media/Quark Express.</p> <p>Note : Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.</p>

					Islands and Lakshadweep).	
					Note 2: The benefit of age relaxation in respect of employees of Khadi and Village Industries Commission shall be available to only those employees who were appointed in Khadi and Village Industries Commission, before the notification of these rules, to a post covered under these rules.	

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion, absorption or deputation to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years.	<p>(i) 50% by direct recruitment,</p> <p>(ii) 50% by Promotion; failing which</p> <p>(a) by deputation including short-term contract; failing which</p> <p>(b) by direct recruitment.</p> <p>Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government/State Government/Statutory Authorities/Autonomous Bodies.</p>	<p>Promotion: Publicity Assistant-II in Pay Band 1 (Rupees 5200-20200) with Grade Pay of Rupees 1900 with ten years regular service in the grade.</p> <p>Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying /eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.</p> <p>Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p> <p>Deputation Including Short Term Contract (ISTC): Officers of the Central Government/State Government/Statutory Authorities/Autonomous Bodies: (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with five years' regular service</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering confirmation:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deputy Chief Executive Officer, Khadi and Village Industries Commission – Chairman;</li> <li>2. Director (Publicity), Khadi and Village Industries Commission – Member;</li> <li>3. Two Officers not below the level of Assistant Director Grade-I – Members; and</li> <li>4. Director (Administration and Human Resources), Khadi and Village Industries Commission – Convener.</li> </ol>	Not applicable.

			<p>in a post in Pay Band 1 (Rupees 5200-20200) with Grade Pay of Rupees 2400; or</p> <p>(iii) with ten years' regular service in a post in Pay Band 1 (Rupees 5200-20200) with Grade Pay of Rupees 1900; and</p> <p>(b) possessing the educational qualifications as prescribed for direct recruits for the respective cadres in column (7).</p> <p>Note 1: The period of deputation (ISTC) including the period of deputation held against another ex-cadre post immediately preceding this appointment in the same or some other organisation shall not ordinarily exceed three years. The maximum age limit for applicant by deputation (ISTC) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of application.</p> <p>Note 2: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.</p> <p>Note 3: Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p>		
--	--	--	--	--	--

Sl. No.	Name of the post	Number of post	Classification	Pay band, grade pay or pay scale	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
22.	Publicity Assistant-II	1*(2016) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service Group 'C' Non-Ministerial	Pay Band 1 (Rupees 5200-20200) with Grade Pay of Rupees 1900	Not applicable.	<p>Between 18 and 25 years (relaxable upto forty years for Government servants. No age limit for employees of Khadi and Village Industries Commission.)</p> <p>Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).</p> <p>Note 2: The benefit of age relaxation in respect of employees of Khadi and Village Industries Commission shall be available to only those employees who were appointed in Khadi and Village Industries Commission, before the notification of these rules, to a post covered under these rules.</p>	<p>(i) Passed Intermediate (XIIth standard) from a recognised Board/ University with Diploma in Library Science; and</p> <p>(ii) Two years' experience in a Library of a reputed organisation.</p> <p>or</p> <p>(i) Diploma in Journalism from a recognised University/Board/ Institution; or</p> <p>Diploma in Applied/Commercial Arts (three years' duration) from a recognised Institute.</p> <p>Desirable: Knowledge of Computer Applications especially Photoshop / Corel Draw/Illustrator/Multi Media/ Quark Express.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the</p>



							requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.
--	--	--	--	--	--	--	---

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion, absorption or deputation to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years.	100% by direct recruitment.	Not applicable.	Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering confirmation: 1. Deputy Chief Executive Officer, Khadi and Village Industries Commission – Chairman; 2. Director (Publicity), Khadi and Village Industries Commission – Member; 3. Two officers not below the level of Assistant Director Grade-I – Member; and 4. Director (Administration and Human Resources), Khadi and Village Industries Commission – Convener.	Not applicable.

Sl. No.	Name of the post	Number of post	Classification	Pay band, grade pay or pay scale	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
23.	Manager-cum-Accountant	1*(2016) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service Group ‘C’ Non-Ministerial	Pay Band 1 (Rupees 5200-20200) with Grade Pay of Rupees 2400	Non-selection.	<p>Not exceeding twenty seven years (relaxable upto forty years for Government servants. No age limit for employees of Khadi and Village Industries Commission.)</p> <p>Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangri Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).</p> <p>Note 2: The benefit of age relaxation in respect of employees of Khadi and Village Industries Commission shall be available to only those employees who were appointed in Khadi and Village Industries Commission, before the notification of these rules, to a post covered under these rules.</p>	<p>(i) Degree/Diploma in Hotel/Hospitality Management from a government recognised University/Board/Institute; and</p> <p>(ii) three years’ experience in the relevant field.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p>

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion, absorption or deputation to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years for direct recruits.	<p>(i) by promotion; failing which</p> <p>(ii) by deputation including short-term contract; failing which</p> <p>(iii) by direct recruitment.</p> <p>Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government/State Government/Statutory Authorities/Autonomous Bodies.</p>	<p>Promotion: Assistant Manager-cum-Storekeeper in Pay Band 1 (Rupees 5200-20200) with Grade Pay of Rupees 2000 with five years' regular service in the grade.</p> <p>Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying /eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.</p> <p>Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p> <p>Deputation Including Short Term Contract (ISTC): Officials of the Central Government/State Government/Statutory Authorities/Autonomous Bodies: (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with two years' regular service in a post in Pay Band 1 (Rupees 5200-20200) with Grade Pay of Rupees 2000; or (iii) with five years' regular service in a post in Pay Band 1 (Rupees 5200-20200) with Grade Pay of Rupees 1900; or (iv) with eight years' regular service in a post in Pay Band 1 (Rupees 5200-20200) with Grade Pay of Rupees 1800; and (b) possessing the educational qualifications as prescribed for direct recruits for the respective cadres in column (7).</p> <p>Note 1 : The period of deputation (ISTC) including the period of deputation held against another ex-</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering confirmation:</p> <p>1. Deputy Chief Executive Officer, Khadi and Village Industries Commission – Chairman;</p> <p>2. Director (Estate &amp; Services), Khadi and Village Industries Commission – Member;</p> <p>3. Two officers not below the level of Assistant Director Grade-I – Member; and</p> <p>4. Director (Administration and Human Resources), Khadi and Village Industries Commission – Convener.</p>	Not applicable.

			<p>cadre post immediately preceding this appointment in the same or some other organisation shall not ordinarily exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of application.</p> <p>Note 2: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.</p> <p>Note 3: Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p>		
--	--	--	--	--	--

Sl. No.	Name of the post	Number of post	Classification	Pay band, grade pay or pay scale	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
24.	Assistant Manager-cum-Storekeeper	1*(2016) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service Group 'C' Non-Ministerial	Pay Band 1 (Rupees 5200-20200) with Grade Pay of Rupees 2000	Non-selection.	<p>Not exceeding twenty seven years (relaxable upto forty years for Government servants. No age limit for employees of Khadi and Village Industries Commission.)</p> <p>Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).</p> <p>Note 2: The benefit of age relaxation in respect of employees of Khadi and Village Industries Commission shall be available to only those employees who were appointed in Khadi and Village Industries Commission, before the notification of these rules, to a post covered under these rules.</p>	<p>Essential : Degree/Diploma in Hotel/Hospitality Management from a government recognised University/Board/Institute.</p> <p>Note : Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.</p>

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion, absorption or deputation to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years for	(i) By promotion; failing which	Promotion: Clerks in Pay Band 1 (Rupees 5200-	Group 'C' Departmental Promotion Committee for	Not applicable.

	direct recruits.	<p>(ii) by deputation including short-term contract; failing which (iii) by direct recruitment.</p> <p>Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government/State Government/Statutory Authorities/Autonomous Bodies.</p>	<p>20200) with Grade Pay of Rupees 1900 with three years' regular service in the grade.</p> <p>Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying /eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.</p> <p>Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p> <p>Deputation Including Short Term Contract (ISTC): Officials of the Central Government/State Government/Statutory Authorities/Autonomous Bodies; (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with three years' regular service in a post in Pay Band 1 (Rupees 5200-20200) with Grade Pay of Rupees 1900; or (iv) with five years' regular service in a post in Pay Band 1 (Rupees 5200-20200) with Grade Pay of Rupees 1800; and (b) possessing the educational qualifications as prescribed for direct recruits for the respective cadres in column (7).</p> <p>Note 1 : The period of deputation (ISTC) including the period of deputation held against another ex-cadre post immediately preceding this appointment in the same or some other organisation shall not ordinarily exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of application.</p> <p>Note 2: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.</p> <p>Note 3: Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p>	<p>considering confirmation:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deputy Chief Executive Officer, Khadi and Village Industries Commission – Chairman;</li> <li>2. Director (Estate &amp; Services), Khadi and Village Industries Commission – Member;</li> <li>3. Two officers not below the level of Assistant Director Grade-I – Member; and</li> <li>4. Director (Administration and Human Resources), Khadi and Village Industries Commission – Convener.</li> </ol>	
--	------------------	--	---	---	--

Sl. No.	Name of the post	Number of post	Classification	Pay band, grade pay or pay scale	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
25.	Clerk	3*(2016) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service Group 'C' Non-Ministerial	Pay Band 1 (Rupees 5200-20200) with Grade Pay of Rupees 1900	Not applicable.	<p>Not exceeding twenty five years (relaxable upto forty years for Government servants. No age limit for employees of Khadi and Village Industries Commission.)</p> <p>Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).</p> <p>Note 2: The benefit of age relaxation in respect of employees of Khadi and Village Industries Commission shall be available to only those employees who were appointed in Khadi and Village Industries Commission, before the notification of these rules, to a post covered under these rules.</p>	<p>(i) Intermediate (Passed XIIth Standard) from a recognised Board; or</p> <p>(ii) Degree/Diploma in Hotel/Hospitality Management from a government recognised University/Board/Institute.</p> <p>Note: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.</p>

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion, absorption or deputation to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years.	100% by direct recruitment.	Not applicable.	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering confirmation:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deputy Chief Executive Officer, Khadi and Village Industries Commission – Chairman;</li> <li>2. Director (Estate &amp; Services), Khadi and Village Industries Commission – Member;</li> <li>3. Two officers not below the level of Assistant Director Grade-I – Member; and</li> <li>4. Director (Administration and Human Resources), Khadi and Village Industries Commission – Convener.</li> </ol>	Not applicable.

Sl. No.	Name of the post	Number of post	Classification	Pay band,	Whether selection	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct
---------	------------------	----------------	----------------	-----------	-------------------	-------------------------------	---

	post			grade pay or pay scale	or non-selection post		recruits
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
26.	Head Cook	1*(2016) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service Group 'C' Non-Ministerial	Pay Band 1 (Rupees 5200-20200) with Grade Pay of Rupees 2400	Non-selection.	<p>Not exceeding Twenty seven years (relaxable upto forty years for Government servants. No age limit for employees of Khadi and Village Industries Commission.)</p> <p>Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).</p> <p>Note 2: The benefit of age relaxation in respect of employees of Khadi and Village Industries Commission shall be available to only those employees who were appointed in Khadi and Village Industries Commission, before the notification of these rules, to a post covered under these rules.</p>	<p>(i) Matriculation (passed Xth standard) from a recognised Board; and</p> <p>(ii) three years' experience of competence in cooking.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p>

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion, absorption or deputation to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years for direct recruits	<p>(i) by promotion; failing which</p> <p>(ii) by deputation including short-term contract; failing which</p> <p>(iii) by direct recruitment.</p> <p>Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government/State Government/Statutory Authorities/Autonomous Bodies.</p>	<p>Promotion: Halwai-cum-Cook in Pay Band 1 (Rupees 5200-20200) and Grade Pay Rupees 2000 with five years' regular service in the grade.</p> <p>Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying /eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.</p> <p>Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering confirmation:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Deputy Chief Executive Officer, Khadi and Village Industries Commission – Chairman;</li> <li>Director (Estate &amp; Services), Khadi and Village Industries Commission – Member;</li> <li>Two officers not below the level of Assistant Director Grade-I – Member; and</li> <li>Director (Administration and Human Resources), Khadi and Village Industries Commission – Convener.</li> </ol>	Not applicable.

			<p>has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p> <p>Deputation Including Short Term Contract (ISTC): Officials of the Central Government/State Government/Statutory Authorities/Autonomous Bodies: (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with two years' regular service in a post in Pay Band 1 (Rupees 5200-20200) with Grade Pay of Rupees 2000; or (iii) with five years' regular service in a post in Pay Band 1 (Rupees 5200-20200) with Grade Pay of Rupees 1900; or (iv) with eight years' regular service in a post in Pay Band 1 (Rupees 5200-20200) with Grade Pay of Rupees 1800; and (b) possessing the educational qualifications as prescribed for direct recruits for the respective cadres in column (7).</p> <p>Note 1 : The period of deputation (ISTC) including the period of deputation held against another ex-cadre post immediately preceding this appointment in the same or some other organisation shall not ordinarily exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of application.</p> <p>Note 2: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.</p> <p>Note 3: Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p>		
--	--	--	---	--	--

Sl. No.	Name of the post	Number of post	Classification	Pay band, grade pay or pay scale	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
27.	Halwai-cum-Cook	1*(2016)*(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service Group 'C' Non-Ministerial	Pay Band 1 (Rupees 5200-20200) with Grade Pay of Rupees	Non-selection.	<p>Not exceeding twenty five years (relaxable upto forty years for Government servants. No age limit for employees of Khadi and Village Industries Commission.)</p> <p>Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application</p>	<p>(i) Matriculation (passed Xth standard) from a recognised Board; and</p> <p>(ii) Two years' experience of competence in cooking.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the</p>

				2000	<p>from candidates in India (except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).</p> <p>Note 2: The benefit of age relaxation in respect of employees of Khadi and Village Industries Commission shall be available to only those employees who were appointed in Khadi and Village Industries Commission, before the notification of these rules, to a post covered under these rules.</p>	<p>Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p>
--	--	--	--	------	---	---

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion, absorption or deputation to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years for direct recruits.	<p>(i) By Promotion; failing which</p> <p>(ii) by deputation including short-term contract; failing which</p> <p>(iii) by direct Recruitment.</p> <p>Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government/State Government/Statutory Authorities/Autonomous Bodies.</p>	<p>Promotion: Assistant Halwai-cum-Cook in Pay Band-1 5200-20200 with Grade Pay of Rupees 1900 with three years' regular service in the grade.</p> <p>Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying /eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.</p> <p>Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p> <p>Deputation Including Short Term Contract (ISTC): Officials of the Central Government/State Government/Statutory Authorities/Autonomous Bodies:</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering confirmation:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deputy Chief Executive Officer, Khadi and Village Industries Commission – Chairman;</li> <li>2. Director (Estate &amp; Services), Khadi and Village Industries Commission – Member;</li> <li>3. Two officers not below the level of Assistant Director Grade-I – Member; and</li> <li>4. Director (Administration and Human Resources), Khadi and Village Industries Commission – Convener.</li> </ol>	Not applicable.



			<p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with three years' regular service in a post in Pay Band 1 5200-20200 with Grade Pay of Rupees 1900; or (iv) with five years' regular service in a post in Pay Band 1 5200-20200 with Grade Pay of Rupees 1800; and</p> <p>(b) possessing the educational qualifications as prescribed for direct recruits for the respective cadres in column (7).</p> <p>Note 1 : The period of deputation (ISTC) including the period of deputation held against another ex-cadre post immediately preceding this appointment in the same or some other organisation shall not ordinarily exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of application.</p> <p>Note 2: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.</p> <p>Note 3: Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p>		
--	--	--	--	--	--

Sl. No.	Name of the post	Number of post	Classification	Pay band, grade pay or pay scale	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
28.	Assistant Halwai-cum-Cook	3*(2016) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service Group 'C' Non-Ministerial	Pay Band 1 (Rupees 5200-20200) with Grade Pay of Rupees 1900	Not applicable.	<p>Not exceeding twenty five years (relaxable upto forty years for Government servants. No age limit for employees of Khadi and Village Industries Commission.)</p> <p>Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).</p> <p>Note 2: The benefit of age relaxation in respect of employees of Khadi and Village Industries Commission shall be available to only those employees who were appointed in Khadi and Village Industries Commission, before the notification of these rules, to a post covered under these rules.</p>	<p>(i) Matriculation (Passed Xth Standard) from a recognised Board; and (ii) one year experience of competence in cooking.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p>

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion, absorption or deputation to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years.	100% by direct recruitment.	Not applicable.	Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering confirmation: 1. Deputy Chief Executive Officer, Khadi and Village Industries Commission – Chairman; 2. Director (Estate & Services), Khadi and Village Industries Commission – Member; 3. Two officers not below the level of Assistant Director Grade-I – Member; and 4. Director (Administration and Human Resources), Khadi and Village Industries Commission – Convener.	Not applicable.

Sl. No.	Name of the post	Number of post	Classification	Pay band, grade pay or pay scale	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
29.	Canteen Attendant	8*(2016) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service Group 'C' Non-Ministerial	Pay Band 1 (Rupees 5200-20200) with Grade Pay of Rupees 1800	Not applicable.	<p>Not exceeding twenty five years (relaxable upto forty years for Government servants. No age limit for employees of Khadi and Village Industries Commission.)</p> <p>Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).</p> <p>Note 2: The benefit of age relaxation in respect of employees of Khadi and Village Industries Commission shall be available to only those employees who were appointed in Khadi and Village Industries Commission, before the notification of these rules, to a post covered under these rules.</p>	<p>Essential : (i) Matriculation (Passed Xth Standard) from a recognised Board; and (ii) one year's experience of competence in preparing Tea/Coffee.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p>

Whether age and	Period of probation,	Method of recruitment :	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from	If a Departmental Promotion Committee exists what is its	Circumstances in which
-----------------	----------------------	-------------------------	--	--	------------------------

educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	if any	Whether by direct recruitment or by promotion or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	which promotion, absorption or deputation to be made	composition	Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years.	100% by direct recruitment.	Not applicable.	Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering confirmation: 1. Deputy Chief Executive Officer, Khadi and Village Industries Commission – Chairman; 2. Director (Estate & Services), Khadi and Village Industries Commission – Member; 3. Two officers not below the level of Assistant Director Grade-I – Member; and 4. Director (Administration and Human Resources), Khadi and Village Industries Commission – Convener.	Not applicable.

[F. No. A-12018(11)/5/2015-KVI-P]

B. H. ANIL KUMAR, Jt. Secy.